द्वितीय माला, खंड ५०—अंक ८

गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१
४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

१ रुपया (देश में)

४ शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १ से १०—१४ से २७ फरवरी, १९६१/२५ माघ से ८ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक १—मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१/२५ माघ, १८८२ (शक)

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
निधन संबंधी उल्लेख	१
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया . .	२—७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	७—८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८—९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०—६१ . .	९
सदस्य द्वारा पद त्याग	९
प्रसूति लाभ विधेयक	१०
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	
बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . .	१०
दैनिक संक्षेपिका	११—१३

अंक २—बुधवार, १५ फरवरी, १९६१/माघ २६, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ और २३ . . .	१५—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९ से २२ और २४ से ४२ .	३७—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४५ और ४७ से ५७ . .	५२—८०
स्थगन प्रस्ताव	
कुछ बैंकों को शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न स्थिति .	८०—८२
कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य	८२—८६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८७—९१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०—६१ . . .	९१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	९१—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि . . .	९३
रेलवे अनिवार्यक (१९६१—६२)—उपस्थापित . . .	९४—१२०
दैनिक संक्षेपिका	१२१—१२८

अंक ३—गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ, १८८२ (शक) **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४६, ४८ से ५५ और ५७ . १२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ५६ और ५८ से ८२ . . १५५—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ से १४८ और १५० से १६३ . १६७—२२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर में शुद्धि . . . २२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२१–२२

प्राक्कलन समिति—

सौवां प्रतिवेदन २२३

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड २२३

सभा का कार्य २२४

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . . २२४

विचार प्रस्ताव . . . . . २२४—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन २६४

कार्य मंत्रणा समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन २६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६६—७३

अंक ४—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१/२८ माघ, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ९३ . . . . २७५—३०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ और ९४ से १४० . . . ३०१—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ से २५१ . . . ३२४—६२

दिनांक १६-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि . ३६२

स्थगत प्रस्तावों के बारे में ३६२–६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३–६४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन ३६४

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ३६४

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर में शुद्धि . . .	३६५
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकसठवां प्रतिवेदन . .	३६५
सभा का कार्य . . .	३६५—६६
समिति का निर्वाचन--	
मानव विज्ञान के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड	३६६
सभा के कार्य के बारे में	३६६
द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . .	३६६—८७
खंड २ से ८	३६९—८७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियत्तरवां प्रतिवेदन	३८७—८८
कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प--	
अस्वीकृत	३८८—९४
राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध सम्बन्धी संकल्प	३९५--४०६
दैनिक संक्षेपिका	४०७

अंक ५—सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १५४ और १५७	४१५--४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१, १५५, १५६, और १५८ से १६७	४४२—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २८८	४४८—६४
निधन सम्बन्धी उल्लेख	४६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४६४
प्रक्कलन समिति--	४६५
एकसौ छै वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी	४६५—६८
समिति के लिये निर्वाचन —	
राजघाट समाधि समिति	४६८
द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०—	

विषय	पृष्ठ
खण्ड ३, ६ और अधिनियम सूत्र	४६८
पारित करने का प्रस्ताव	४६९—७४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४७४—५१८
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१९—२२

अंक ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १७१ और १७४ से १८२	५२३—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७३, १८३ से २०६	५४९—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ से ३५४	५६५—९३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	५९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	५९४—९७
रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका .	५९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
"हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड", दिल्ली का बन्द होना .	५९७
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—पुरःस्थापित .	५९८
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया . . .	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	५९९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५९९—६३९
दैनिक संक्षेपिका . . .	६४०—४७

अंक ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २१२, २१४, २१६ और २१८ .	६४७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २१५, २१७, २१९ से २५० .	६७०—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ से ३५८ और ३६० से ४१५ .	६८७—७१३
स्थगन प्रस्ताव—	
चीनी आक्रमण का कथित खतरा . . .	७१४

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७१४—१७
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ तीनवां प्रतिवेदन	७१७
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७१७—५९
दैनिक संक्षेपिका . . .	७६०—६७

अंक ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २६३, २५२ से २५९, और २६८ .	७७१—९४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . .	७९४—९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६२, २६४ से २६७ और २६९ से २८०	७९६—८०६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४७० .	८०६—३२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	८३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	८३३
रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका . . .	८३३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	८३३—६१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१	८६१—६८
दैनिक संक्षेपिका	८६९—७३

अंक ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१ / ५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६	८७५—९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७	८९८—९१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४	९१०—४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९४६
लोक लेखा समिति—	
तेतीसवां प्रतिवेदन .	९४६
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तवां प्रतिवेदन	९४६

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य . .	६४७
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	४७—४८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . .	६४८—७४
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) .	६७४
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का—पुरःस्थापित .	६७४
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१-क का रखा जाना) श्री तंगामणि का—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	६७४—७८
सदस्य की गिरफ्तारी	६८१
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) श्री अजित सिंह सरहदी का—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	६८२
परिचालन करने का संशोधन—स्वीकृत हुआ . .	६८२—८८
ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक—	
श्री अरविन्द घोषाल का—	
विचार करने का प्रस्ताव	६८८
दैनिक संक्षेपिका . .	६८९—९४
अंक १०, सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	९९५
दैनिक संक्षेपिका .	९९६

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—2079 (Ai) LSD—27-3-61—125

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

२३ फरवरी, १९६१
गुरुवार,———————
४ फाल्गुन , १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूमिहीन श्रमिक

†*२५१. श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई निश्चित निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितना आवण्टन किया गया है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भूमिहीन श्रमिकों केहित में किये जाने वाले प्रस्थापित उपाय प्रारूप रूपरेखा के (पृष्ठ ९६ और ९७ पर) पैरा १०७ और १०८ में दिये गये हैं। योजना आयोग ने भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने और उन के हित में आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक "केन्द्रीय कृषि श्रमिक परामर्शदात्री समिति" की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय किया है ।

(ख) योजना आयोग अभी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या राज्य योजनाओं में प्रस्थापित विभिन्न योजनाओं की अनुपूरक सहायता के लिये कोई विशेष राशि दी जाये या नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

2019 (Ai) LSD.—1

भूमिहीन श्रमिक

+

†*२६३. { **श्री वें० ईयाचरण :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए मंत्रणा बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कृत्य किस प्रकार के होंगे और उस में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा; और

(ग) दूसरी खेतीहर श्रमिक जांच समिति द्वारा कौन-कौन से अन्य साधनों की सिफारिश की गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग भूमिहीन श्रमिकों के हित के लिये उपायों का सुझाव देने, उन के पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये और उनकी प्रगति के बारे में पुनरीक्षण करने के लिये एक केन्द्रीय कृषि श्रमिक परामर्शदात्री समिति की शीघ्र ही स्थापना करने का विचार रखता है ।

(ग) दूसरी खेतीहर श्रमिक जांच समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य केवल जांच के परिणामों को ही प्रस्तुत करना है, किसी कार्यवाही के लिये सिफ़ारिशें करना नहीं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने प्रतिशत राशि इस के लिए आवंटित की जायेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हम यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि इस के लिये कितने प्रतिशत राशि आवंटित की जायेगी । योजना कई भागों में विभाजित है । उनका ऐसी कई कार्यवाहियों से सम्बन्ध है, जिनका खेतीहर श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और इसलिये उन सभी को इकट्ठा करना और प्रतिशतक बनाना बहुत कठिन है ।

†**श्री गोरे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सभी राज्यों में भूमि सम्बन्धी सीमायें निर्धारित कर दी गयी हैं, तो उन भूमिहीन श्रमिकों के लिये कितनी भूमि मिल जायेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : भूमि सुधार तालिका की एक समिति के हाल ही में उपलब्ध हुए एक प्राक्कलन के आधार पर विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को लगभग ७० लाख एकड़ भूमि बांटी गयी है । परन्तु फिर भी इस संबंध में हमने प्राक्कलन तैयार करना है । इस समय कोई भी अनिश्चित अन्दाज़ देना उचित न होगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या ये बोर्ड केवल केन्द्र में ही बनेंगे याकि राज्यों में भी बनेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** फिलहाल तो केवल केन्द्र में ही बोर्ड स्थापित करने का विचार है ।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी ने भिन्न भिन्न राज्यों को इस संबंध में लिखा है कि उनके राज्यों में जो कुछ भी बंजर ज़मीनें हैं या जो भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के बाद उन को मिलेंगी या इसी प्रकार की दूसरी जमीनें हैं और कुछ जमीनें भूदान में भी मिली हैं, इन सब जमीनों के बारे में वे पूरी योजना बनायें और ये जमीनें सहकारी समितियां स्थापित करके उन को दे दें ?

श्री श्या० नं० मिश्र : माननीय सदस्य ने बिल्कुल हम लोगों के मन की बात कही है। हम इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं।

डा० गोविन्द दास : क्या सरकार के पास इस प्रकार के कोई अंक हैं जिस से मालूम हो कि कितनी जमीन उस के पास बांटने के लिए है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : अभी हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं । मैंने एक पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में ऐसा कहा था कि अभी अच्छी तरह से इस के बारे में कोई पक्के फिगर्ज़, आंकड़े एकत्र नहीं कर पाये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय उपमंत्री जी ने जवाब दिया है कि अभी हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं आया है । तीसरा प्लान जो है, वह फाइनेलाइज़ होने जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने पता लगाया है कि सीलिंग के बाद कितनी जमीन आपको मिलेगी । सीलिंग के फलस्वरूप जो जमीन आपको मिलेगी उस के अलावा कितनी बंजर जमीन है जिसको तोड़ा जा सकता है ? विनोवा जी के भूदान यज्ञ के फलस्वरूप कितनी जमीन मिली है और जो भूदान में जमीन मिली है, उसका अभी तक बटवारा नहीं हो पाया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह सब करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि जो लैंडलैस आदमी हैं, जो भूमिहीन हैं, उन्हें जमीन मिल सके ?

श्री श्या० नं० मिश्र : विनोवा जी के भूदान के जरिये एक मिलियन यानी दस लाख एकड़ जमीन अभी तक वितरित की गई है । जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि कोई ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, यही दो एक महीने के अन्दर ही हम लोग कुछ न कुछ हिसाब लगा लेंगे । अभी भी हमारे पास कुछ आंकड़े हैं लेकिन ये कच्चे आंकड़े पेश करना सदन के प्रति न्याय नहीं होगा ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, तीसरा प्लान फाइनेलाइज़ होने जा रहा है और मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास अंक नहीं हैं, हिसाब मालूम नहीं है । जो कच्चे अंक आपके पास हैं, उन्हीं को तो कम से कम बता दीजिये ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** इस संबंध में मैं भी कुछ बता देना चाहता हूं । अधिकतम सीमा लागू करने पर कितनी भूमि उपलब्ध हो सकेगी, इसका उत्तर इस समय देना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी तक यह कानून बना ही नहीं है । जहां कानून बन गये हैं; वहां किये गये निर्णयों के अनुसार

---

†मूल अंग्रेजी में

सर्वेक्षण कार्य करने हैं। इसलिये जबकि विभिन्न कार्यवाहियां की ही नहीं गयी हैं या पूरी ही नहीं हुई हैं, हम निश्चित आंकड़े कैसे बता सकते हैं?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : दूसरे प्लान में और पहले प्लान में भूमि हीनों को अधिक फायदा ब्लाक डिवेलेपमेंटों से नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि आगे आप क्या कदम उठायेंगे जिस से ब्लाक डिवेलेपमेंट के ज़रिये भूमिहीनों को अधिक फायदा हो सके और उनको जमीन मिल सके?

श्री श्या० नं० मिश्र : कई तरह की बातें हमने रूपरेखा में बताई हैं। अगर माननीय सदस्य इसकी तरफ दखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पहले तो गांवों में जो हमारे आदमी रहते हैं वे खास तौर पर ऐसे लोगों जो भूमिहीन हैं उनके श्रम का पूरे तौर पर उपयोग हो, हम उसकी कोशिश करेंगे । इस से अर्द्ध-बेकारी की समस्या बहुत कुछ हल होगी । इसी तरह भूमिहीनों को, घर बनाने के लिए जगह मिले, उन के बीच जमीन वितर्धारित की जाए, उन के लिए मिनिमम वेजिज़ निर्धारत की जायें, इस तरह की बहुत सारी बातें हमने उस में दर्शाई हैं।

†**श्री सै० अ० मेहदी :** जिन व्यक्तियों को भूदान भूमि प्राप्त हुई है, उन्हें उस भूमि को अपने नाम में कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है जिस से कोई ऐसा कानून पास किया जाये जिस से इस भूमि का उचित रूप से हस्तान्तरण किया जा सके?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मेरा ख्याल है कि सभी राज्य इस सम्बन्ध में कानून के द्वारा कार्यवाही कर रहे हैं। यदि उन के वर्तमान कानूनों में इस दृष्टि से उपयुक्त व्यवस्था नहीं है तो वे उन कानूनों में संशोधन करने का यत्न कर रहे हैं;

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इतने अधिक सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति कैसे दे सकता हूं । जब तक मंत्रालय की मांगें चर्चा के लिये आयेंगी, उस समय सदस्य इस पर प्रकाश डाल सकते हैं।

राजनयिक प्रतिनिधियों का वापस भेजा जाना

+

†*२५२. **श्री सै० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कोरटकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में तीन राजनयिक प्रतिनिधियों को देश से वापस भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). यह सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे कुछ एक कनिष्ठ कर्मचारियों, क्लर्कों आदि के द्वारा यहां के कुछ विदेशी मिशनों के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को कुछ गोपनीय कागजात दे दिये गये थे। सम्बन्धित मिशनों के प्रमुख अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया जिस के परिणाम उन्होंने उन अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों को वापस भेज दिया था ।

†**श्री सै० अ० मेहदी** : वे कर्मचारी किस किस देश से संबंध रखते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उन का संबंध एक से अधिक देशों से है । मैं उन के नाम नही बताना अच्छा समझता हूं । यदि हम इस प्रकार से उन के नाम लेते रहें, तो उस से स्थिति उलझ जाने की आशंका है । अतः मैं उन के नाम न बताने में ही अच्छाई समझता हूं। परन्तु मैंने यह बता दिया है कि उन देशों की संख्या एक से अधिक है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि कुछ लोकतंत्र-विरोधी देशों के कुछ व्यक्ति किन्हीं सरकारी संस्थाओं जैसे कि केन्द्रीय सांख्यिकीय प्रयोगशाला आदि में काम कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्या किसकी ओर निर्देश कर रही हैं? किसी भी प्रयोगशाला पर सांख्यिकीय संस्था का इस से कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री आसर** : क्या कोई और राजनयिक प्रतिनिधि भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन तीनों के अतिरिक्त।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझ नहीं सका । पहली बात तो यह है कि इन व्यक्तियों को राजनयिक प्रतिनिधि कहा ही नहीं जा सकता । कनिष्ठ कर्मचारी राजनयिक प्रतिनिधि नहीं होते । कभी कभी वे होते हैं; और कभी नहीं होते ।

वैसे तो तीन से भी अधिक कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे, परन्तु वे पहले समय पहले ही वापस चले गये थे। वे यहां नहीं हैं । केवल ये तीन व्यक्ति ही यहां थे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इन राजदूतावासों के कर्मचारियों के जासूसी कार्यों में अन्तर्ग्रस्त होने के सम्बन्ध में उन देशों की सरकारों को सूचित कर दिया गया है और क्या इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है और यदि हां तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या माननीय सदस्य भारतीय अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं या कि विदेशी अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं उन विदेशी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं । क्या इन देशों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है जिन से उनका सम्बन्ध है और क्या हम ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्हें वापिस इसी लिये भेजा गया था कि हमने मिशनों के प्रमुख पदाधिकारियों को इस बारे में सूचित किया था। जहां तक अन्य व्यक्तियों का

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध है, उन्हें विरोध अधिनियम के अधीन नजरबन्द कर दिया गया है । मैं कह नहीं सकता कि उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि अभी मामले पर विचार करना है, फिर भी उन्हें नजरबन्द कर दिया गया है ।

†**श्री नाथ पाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार के कागज़ात और जानकारी दी गयी बतायी जाती है? यदि उस जानकारी का संबंध आवश्यक मामलों जैसे प्रतिरक्षा और सुरक्षा से है, तो इन व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है क्योंकि ये मामले जासूसी के मामले हैं; और दूसरी बात यह है कि यद्यपि हम यह महसूस करते हैं कि उन देशों के नाम लेने से मामले में कुछ उलझन सी पैदा हो जायेगी तथापि क्या प्रधान मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन के नाम बता देने से अन्य देशों के बारे में शक दूर हो जायगा, वे उन के नाम बता देने की वांच्छनीयता पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक मुझे याद है, उन कागज़ात का प्रतिरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है । और उनका भारत से भी कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । मेरा तात्पर्य यह है कि वे कागज़ात वे रिपोर्टें हैं जो हमें अन्य देशों से प्राप्त हुई हैं। उनका सम्बन्ध कुछ अन्य देशों से है और वे रिपोर्टें अभी प्राप्त हुई थीं। वे टाइप किये गये कागज थे। वे गोपनीय इस दृष्टि से भी थे कि अब अधिकांश काग़ज़ों को गोपनीय काग़ज़ात कहा जाता है उनका सम्बन्ध भारत में होने वाले किसी भी जासूसी कार्य से नहीं है, परन्तु उन कागज़ों का सम्बन्ध उन रिपोर्टों से है जो कि हमें अन्य देशों से प्राप्त हुई हैं। मैं नहीं समझता कि यह उचित है । गत कई वर्षों में हम कई बार विदेशी मिशनों के संबंध में यह कार्यवाही कर चुके हैं; अर्थात मिशिनों के प्रमुख पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर चुके हैं और सामान्यतया मिशनों के वे कर्मचारी यहां से वापस भेज दिये जाते हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** कुल कितने विदेशियों को वापस चले जाने के लिये कहा गया था और विशेषतया क्या यह सच है कि कलकत्ता के बैंक आफ़ चायना के मनेजर को वापस चले जाने के लिये कहा गया था, परन्तु उस ने आदेश का उल्लंघन कर दिया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इस बारे में इस समय ज्ञात नहीं है । परन्तु यह तो एक नया ही प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या कनिष्ठ कर्मचारियों और उन की पत्नियों के संबंध में कोई सामान्य हिदायतों का नियम है कि वे राजदूतावासों, सामाजिक सम्पर्कों या किसी और प्रकार से इस प्रकार का कोई सबंध न रखें?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बारे में सामान्य नियम तो हैं, परन्तु अब हम उन्हें अधिक सख्त बना रहे हैं;

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि इस मामले में एक से अधिक देश अन्तर्गस्त हैं। क्या उन व्यक्तियों का सम्बन्ध इस देश से भी है जिसका हमारी उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में झगड़ा है?

---

†मल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानकारी नहीं देना चाहते ।

†**श्री वाजपेयी** : कुछ एक समाचार पत्रों के समाचारों में इसका नाम लिया जाता है क्या माननीय प्रधान मंत्री इस समाचार का खण्डन कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रधान मंत्री इस प्रकार से इन समाचारों का खण्डन कर सकने की स्थिति में नहीं हैं ?

उर्वरक संयंत्र

+

†*२५३. { **श्रीमती इला पालचौधरी** : / **श्री वें० प० नायर** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन और एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग ने हाल में दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य-पूर्व के देशों के संयुक्त स्वामित्व के अन्तर्गत एक विशाल उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की अपनी प्रस्तावित योजना के सिलसिले में भारत सरकार से कोई लिखापढ़ी की थी;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लौह अयस्क का निर्यात

†*२५४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर्याप्त पत्तन तथा रेल परिवहन सुविधायें लौह अयस्क के आयात में सारभूत वृद्धि में बाधक सिद्ध हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन बाधकों को दूर करने और लौह अयस्क के अधिक निर्यात के मार्ग को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). लौह अयस्क का निर्यात १९५४ में १० लाख टन था जो कि बढ़कर १९६० में ३० लाख टन हो गया है । निर्यात को पर्याप्त सीमा तक बढ़ाने के लिये रेल तथा पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अ० मु० तारिक : जब से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने इस काम को अपने हाथ में लिया है, उस से कब्ल जब यह काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, और जब वे उसकी तिजारत करते थे , तो उन की एक शर्त हुआ करती थी कि आला किस्म

---

†मूल अंग्रेजी में

के आइरन ओर के साथ अदना किस्म का आइरन ओर भी लेना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब भी ऐसा होता है, और अगर होता है तो किस हद तक ?

श्री सतीश चन्द्र : जापान और दूसरे मुल्कों के साथ हमारी यह कोशिश रहती है कि वे हाई ग्रेड आइरन ओर के साथ मीडियम और लो ग्रेड आइरन ओर भी लें ।

श्री अ० मु० तारिक : मेरा मतलब यह है कि अब तक हम ने कितना आइरन ओर आला किस्म का बाहर के मुल्कों को भेजा है और उस के साथ क्या निस्बत है अदना किस्म के आइरन ओर की । यहां कोशिश का सवाल नहीं है, वह तो हो रही है, लेकिन आपकी कोशिश किस हद तक कामयाब हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र : अगर माननीय सदस्य सही आंकड़े चाहें तो वे दूसरा सवाल पूछें । यह सवाल मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाला था । दूसरे आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ एक यूरोपीय देशों जैसे कि रूमानिया, चेकोस्लावाकिया और इटली इस शर्त पर उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के लिये आर्डर देने के लिये तैयार हैं कि पश्चिमी तट पर रेलवे और पत्तन सम्बन्धी और अधिक सुविधायें दी जायें ? इस सबध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस संबंध में योजना, आयोग, हमारा मंत्रालय , रेलवे मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय तथा सभी सम्बन्धित विभाग निस्तर विचार कर रहे हैं । मंगलौर-पत्तन तथा हसन-मंगलौर रेलवे परियोजना पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है । परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका है ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : क्या यह आवश्यक नहीं है कि यदि हम यूरोप को लौह-अयस्क का निर्यात करना चाहते हैं तो इन सुविधाओं की शीघ्रता से व्यवस्था की जायें ?

९**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी, हां । हम अनुभव करते हैं कि यह कार्य कितना आवश्यक है और हम यह समझते हैं कि पश्चिमी तट पर किसी पत्तन का एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकास करना आवश्यक है । परन्तु यह तो उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है । यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो, हम निश्चय ही यह कार्य प्रारम्भ कर देंगे । मंगलोर पत्तन को एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित करने के लिये कार्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना में उच्चतम प्राथमिकता दी गयी है ।

डा० गोविन्द दास : यह जो लोहे का पत्थर बाहर जाता है यह किस किस राज्य से बाहर जाता है और सब से अधिक कहां से जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र . यह सब से ज्यादा उड़ीसा से और दक्खिन में मैसूर से जाता है । और विशाखापत्तनम, बम्बई और मद्रास के पोर्ट इस के लिए इस्तैमाल होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह सच है कि १९६० में पत्तन सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत सा लौह अयस्क पत्तनों से उठाया नहीं जा सका था? यदि हां तो १९६० में निर्यात सम्बन्धी कुल लक्ष्य कितना था और उस में से कितना उठाया जा सका था और कितना पत्तनों में ही पड़ा रह गया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९६० में लगभग ३० लाख टन का निर्यात किया जा सका था। जुलाई, १९६० से जून, १९६० तक के लिये कुल लक्ष्य ३५ लाख टन का था। आशा है कि उस समय तक लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

†**श्री आचार** : क्या यह सच है कि रूमानिया ने २० लाख टन से अधिक लौह अयस्क खरीदने का प्रस्ताव किया था परन्तु हमारी सरकार पश्चिमी तट पर पत्तन संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण केवल दस लाख टन के संभरण के लिये ही ठेका कर सकी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़े ठीक नहीं हैं। हम ने इस बारे में रूमानिया के मंत्री से लम्बी बात चीत की थी और अंत में हम ने एक निर्णय कर लिया है जिस के बारे में वे पूर्व रूपेण संतुष्ट हैं।

†**श्री आचार** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि वे अधिक मात्रा खरीदना चाहते थे जब कि सरकार ने कम मात्रा देना स्वीकार किया है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : प्रत्येक देश अधिक मात्रा मांगते हैं, परन्तु हमें कई देशों का ध्यान रखना पड़ता है। केवल रूमानिया ही नहीं, अपितु बहुत से अन्य देशों से भी हम बातचीत प्रारम्भ करने वाले हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि यदि हल्दिया पत्तन का विकास किया जाये तो रेलवे और सड़क के द्वारा लौह अयस्क का निर्यात आसान हो जायेगा ? यदि हां, तो, हल्दिया पत्तन के विकास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह मामला अभी विचाराधीन है, और परिवहन मंत्रालय ने हल्दिया पत्तन के निर्माण सम्बन्धी प्रश्न को ले लिया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया है कि उड़ीसा से विदेशों को पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, इस लौह अयस्क का सस्ते दामों पर निर्यात करने के लिये उड़ीसा की सहायता के लिये परदीप के विकास के लिये क्या क्या सुविधा दी जा रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : परदीप के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक जांच की गयी थी। जापान भी यह चाहता था कि उस पत्तन का विकास किया जाये। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में सीधी बातचीत भी की थी। परन्तु वे सभी सुझाव असफल रहे और जापान ने अब विजाग पत्तन के विकास के लिये हमें ऋण भी दिया था। अतः इन परिस्थितियों में संसाधनों के अभाव में परदीप पत्तन का विकास संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम

+

†*२५५. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री हेम बरुआ :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन) के कार्यकलाप रीति, और नीति में जिन सुधारों की रूपरेखा सरकार ने तैयार की है, उस की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ;

(ख) निगम की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये उसकी स्थापना और संगठन में क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र से व्यापक सहयोग प्राप्त करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) निगम की स्थापना और उसकी सदस्य संख्या में गर-सरकारी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) राज्य व्यापार निगम के कार्य-संचालन में कोई मूलभूत सुधार लागू करने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । राज्य व्यापार निगम को सौंपे जाने वाले कार्यों को बताने वाले प्रस्ताव को जारी करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है ।

(ख) और (घ). प्राक्कलन समिति ने निगम के निदेशक बोर्ड के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) निगम ने उप-समितियां बनाई हैं जिन में नकली रेशम , हथकरघे की चीजें तथा खनिज जैसी वस्तुओं के व्यापारियों के प्रतिनिधि रखे गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर यथा समय अन्य वस्तुओं के लिये भी ऐसी ही समितियां बना दी जायेंगी।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की शाखाओं में बहुत से काम एक साथ होने के कारण काम नियमितता से और दक्षतापूर्वक नहीं हो पाता, और यह भी समाचार निकला था कि मंत्रालय उन में सुधार के सम्बन्ध में विचार कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार निराधार है और अगर नहीं, तो इस संबंध में क्या विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कानूनगो : ऐसा कोई समाचार हमारी नजर तो नहीं आया लेकिन जैसा कि मैं ने जवाब में कहा है, एस्टीमेट कमेटी की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने यह भी पूछा था कि क्या स्टेट ग्रेडिंग कारपोरेशन में बहुत सा काम एक साथ होने के कारण काम जल्दी नहीं हो पाता और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या इसको सुधारने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है, और कर रही है तो कब तक विचार कर सकेगी ?

श्री कानूनगो : विचार तो किया जाता है क्योंकि काम बढ़ने लगा है और काम कैसे जल्दी हो इस पर विचार किया जाता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने पूछा था कि कब तक विचार हो जाएगा क्योंकि इतने दिनों से सरकार विचार कर रही है पर अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और प्रश्न का उत्तर भी गोल गोल दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इस पर विचार हो जाएगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है । यह कहना कि बहुत ज्यादा देरी होती है गलत है । आपने देखा कि एस० टी० सी० का काम बराबर बढ़ता जाता है, एक्सपोर्ट का भी और इम्पोर्ट का भी, और उन्होंने इस काम को बड़ी योग्यता से किया है । जिस चीज का एक्स्पोर्ट हाथ में लिया उसका का एक्स्पोर्ट बढ़ाया है, सिवा एक आइटम को छोड़ कर । पहले जहां हम एक दो चीजों का इम्पोर्ट करते थे अब अनेकों चीजों का इम्पोर्ट करने लगे हैं और उनका देश में ठीक ठीक बटवारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि एस० टी० सी० और ज्यादा मजबूत किस तरह से कर सकते हैं। यह तो हर संगठन के बारे में हमें हमेशा विचार करना पड़ता है कि उस को कैसे ज्यादा मजबूत करें, तो वह बात तो हमारे विचाराधीन है और उस के बारे में हम प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि राज्य व्यापार निगम का अधिकांश निर्यात तथा आयात कार्य गैर-सरकारी ऐजेंटो द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां तो भविष्य में आयात और निर्यात संबंधी कार्य स्वयं राज्य व्यापार निगम द्वारा कराने के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य की जानकारी गलत है । सभी निर्यात कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधे ही किये जाते हैं । आयात के कार्य भी राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधे ही किये जाते हैं, परन्तु वितरण का कार्य अन्य संगठनों के द्वारा करना पड़ता है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि कुछ एक और समितियां भी स्थापित की जायेंगी। तो वे समितियां किन किन वस्तुओं के लिये होंगी ?

†**श्री कानूनगो** : इस संबंध में हमने अभी तक निर्णय नहीं किया है । यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किस किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार अधिक मात्रा में होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या राज्य व्यापार निगम को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार से जिन वस्तुओं के लिये लाइसेंस प्राप्त करता है उन वस्तुओं का कार्य वह किसी और एजेंसी को भी सौंप सकता है ? यदि हां, तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि बीच के दलालों को फिर से नया जीवन दिया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य स्पष्टतया कुछ एक मदों जैसे मोटर टायरों की ओर निर्देश कर रहे हैं। इन वस्तुओं के संबंध में राज्य व्यापार निगम स्थायी रूप से व्यापार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता । इन वस्तुओं की कमी होने के कारण सरकार ने यह हिदायत दी है कि इन वस्तुओं के व्यापार को अस्थायी रूप से अपने हाथ में ले लिया जाये । यह निगम उन वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध करता है जो कि सामान्य व्यापार के द्वारा आयात की जाती हैं।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : मैं प्रश्न के भाग (घ) के बारे में यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बोर्ड के एक गैर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, नहीं; फिलहाल नहीं ।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां पर आयात जो पहले कम चीजों का होता था वह भी बढ़ाया गया है । सरकार की यह नीति रही है कि हमारी वैदेशिक मुद्राओं को ध्यान में रखते हुए इस देश में आयात कम से कम किया जाय तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है और क्या आयात बढ़ाने का भी कोई इरादा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्य अगर विकास और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो इतना अलग अलग चीजों में विकास होता जा रहा है और इंडस्ट्रीज बढ़ता जा रहा है कि आपको उन चीजों के वास्ते जरूरी मशीनरी और दूसरी चीजें इस देश में नहीं मिलती और इस लिए नई इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम को कुछ चीजों को अधिक इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसलिए इम्पोर्ट हमारा बढ़ता है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या राज्य व्यापार निगम और गैर सरकारी पार्टियों--इन दोनों एजेंसियों के एक ही क्षेत्र में काम करने के कारण मेंगनीज अयस्क के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है और यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम को इस अयस्क के निर्यात कार्य में भी वैसा ही एकाधिकार दिया जायेगा जैसा कि उसे लौह अयस्क के सम्बन्ध में प्राप्त है ?

†**श्री कानूनगो** : मेंगनीज अयस्क के निर्यात पर बुरा असर विश्व मार्केट की स्थिति के कारण पड़ा है जहां मेंगनीज के लिये मांग प्रयाप्त मात्रा में कम हो गयी है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या इस सम्बन्ध में लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : वे लक्ष्य न ही केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा पूरे नहीं किये गये हैं अपितु अन्य पार्टियों द्वारा भी वे लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके हैं।

इस के कुछ ऐसे कारण हैं जो कि हमारे वश में नहीं हैं क्योंकि यह तो विश्व में मांग पर निर्भर करता है। इस समय वह मांग कम हो गयी है और राज्य व्यापार निगम द्वारा इसे एकाधिकार में ले लेने की कोई इच्छा नहीं है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में चीनी का उत्पादन हो रहा है, और इसके निर्यात की बड़ी गुंजाइश है तो क्या राज्य व्यापार निगम इस के निर्यात को अपने हाथ में ले लेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । यदि वह मंत्रालय निर्णय कर ले तो निश्चय ही उस के लिये निर्यात को अपने हाथ में ले लिया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इसका क्या कारण है कि राज्य व्यापार निगम में अधिकांश निवृत्ति प्राप्त पदाधिकारी और ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं जिनका व्यापार और वाणिज्य से कोई संबंध नहीं है ? ऐसे नवयुवकों को अवसर नहीं दिये जाते जिन्होंने विदेशों से व्यापार प्रशासन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । ऐसे नवयुवक अभी तक बेरोजगार हैं ।

†**श्री कानूनगो** : सभा में यह मामला चर्चा के लिये आयेगा क्योंकि राज्य व्यापार निगम की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये एक प्रस्ताव है । परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह निवृत्ति प्राप्त अधिकारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि इम्पोर्ट के मामले में आयात के बन्दरगाहों के बहुत से माल का कंसाइनमेंट गायब हो गया उदाहरण के लिए न्यूजप्रिंट के कई कंसाइनमेंट्स गायब हो गये और उनका पता नहीं चल सका । इस में कहां तक तथ्य है ?

श्री कानूनगो : बिलकुल गलत बात है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जांच करायेंगे तो सही निकलेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि उस में रिटायर्ड अर्थात् अवकाश प्राप्त अधिकारी लिए गए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कौन अवकाश प्राप्त अधिकारी आपकी इस स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में रक्खे गये हैं और वे किन पदों पर हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : असल में यह ज्यादातर सवाल अगर अवकाश प्राप्त अधिकारियों का हो तो वह डाइरैक्टर्स के बारे में है जो कि हमारे पूरे समय के डाइरैक्टर्स हैं । इस संबंध में काफी बड़े हम परिवर्तन करने वाले हैं क्योंकि बोर्ड आफ डाइरैक्टर्स में इस समय अगर कायदे से देखा जाय तो एक हैं और बहुत ज्यादा बारीकी से देखा जाय तो दो डाइरैक्टर्स हैं। उन में से एक अवकाश प्राप्त अधिकारी जोकि डाइरैक्टर हैं वे बहुत जल्द पेंशन पर जाने वाले हैं। उनका समय समाप्त होने वाला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राज्य अमेरिका को हथकरघा वस्त्र का निर्यात

+

†*२५६. **श्री उस्मान अली खाँ:**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुब्बय्या अम्बलम् :
श्री आचार:
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ और १९६० के दौरान दक्षिण भारत से अमेरिका को निर्यात किया गया हथकरघा वस्त्र उस किस्म से घटिया पाया गया जिसका ठेका किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी आयातकों ने अपने व्यादेश (आडर) रद्द कर दिये हैं और लगभग १६ लाख गज "ब्लीडिंग मद्रास" नामक कपड़ा निर्माताओं के पास बिना बिका पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अमेरिका में खोये हुए बाजार को पुन: प्राप्त करने और जमा हो गये स्टाक को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष १९५९ में हुए शिकागो व्यापार मेले में हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा भाग लिये जाने के फलस्वरूप "ब्लीडिंग मद्रास" नामक हथकरघे के कपड़े में अमरीका में बड़ी रुचि पैदा की । हथकरघा निर्यात संगठन को इस किस्म के कपड़े की अधिक मात्रा के लिये अमरीकी आयातकों से व्यादेश प्राप्त हुए हैं और इसलिये हम ने अपेक्षित मात्रा के उत्पादन के लिये कई बुनकरी सहकारी समितियां और बड़े बुनकरों द्वारा माल बनाना चालू कर दिया । इस प्रक्रम पर कुछ अमरीकी आयातक, जो अमरीका में इस रुचि से लाभ उठाना चाहते थे, भारत आ गये और उन्होंने सीधे बुनकरों को व्यादेश दे दिये । उन्होंने खड्डियों पर चढ़ा हुआ कपड़ा तक खरीद लिया । इस अवव्यवस्थित खरीद के कारण मूल्यों में इस आशा में वृद्धि हो गयी कि इस किस्म के कपड़े की बहुत मांग होगी । हथकरघा निर्यात संगठन को अपने आर्डरों पर कपड़ा नहीं मिल सका और फलस्वरूप वह पहले के मूल्यों पर जिस पर उन्होंने ठेका किया था, अमरीकी आयातकों के साथ संविदा पूरा नहीं कर सका । इतने समय में अमरीकी मार्केट में कपड़ा बहुत इकट्ठा हो गया और कुछ आयातकों ने, जिन्होंने हथकरघा निर्यात संगठन को व्यादेश दिये थे, संविदा के पूरा होने में विलम्ब के कारण अपने व्यादेश रद्द करने के अवसर से लाभ उठाया । इस प्रकार अमरीकी मार्केट के लिये बनाया गया कपड़ा बड़ी मात्रा में पड़ा रह गया और इसके लगभग १६ लाख गज होने का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा निर्यात किये गये कपड़े की किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है । अमरीकी आयातकों द्वारा सीधे या अपने एजेंटों द्वारा खरीदे गये अन्य पारेषणों के बारे में भी कपड़े की किस्म के बारे में भी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

बुनकर सहकारी समितियों और अन्य बड़े बुनकरों के पास जमा स्टाक को समाप्त करने में सहायता देने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

हथकरघा निर्यात संगठन अमरीका में उपभोक्ताओं की रुचि के बढ़िया किस्म के और चुने हुए कपड़े के नियमित निर्यात द्वारा अमरीका में हथकरघे के कपड़े के मान को बनाये रखने का पूरा प्रयत्न कर रहा है ।

†**श्री उस्मान अली खां** : विवरण में यह बताया गया है कि "ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े की किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं हुई है । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार बुनकरों को सहायता देने के ख्याल से इस समस्त कपड़े की खरीद के बारे में मद्रास की राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो:** : जैसा मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं, सरकार इस मामले पर विचार कर रही है । परन्तु इस विशेष माल के बारे में मैं यह बता देता हूं कि इस सामान की मांग खतम हो गयी है ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम** : जमा हुए माल में से अब तक कितना निकाला जा चुका है और इस समय स्टाक की क्या स्थिति है ।

†**श्री कानूनगो:** : मैंने विवरण में बताया है इसका १६ लाख गज का अनुमान है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : विवरण में अन्तिम पैरा इस प्रकार है :

> "हथकरघा निर्यात संगठन अमरीका में हथकरघा से बने कपड़े के मान को बनाये रखने का पूरा प्रयत्न कर रहा है ।"

इसका यह मतलब है कि अमरीका में भारतीय हथकरघे के कपड़े का मान खतम हो गया है । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या अमरीकी आयातकों ने, जब कपड़े की किसी किस्म के लिये व्यादेश दिये थे, तब उन्होंने सैम्पिल लिये थे और यदि हां, तो दिया गया कपड़ा सैम्पिलों के अनुसार था या नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : मूल्यों में घटा बढ़ी के कारण संविदा पूरे नहीं किये जा सके । कपड़े की किस्म का कोई प्रश्न नहीं था । 'मान' शब्द का अर्थबोधन यह है कि इससे हथकरघा से बने कपड़े के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है ।

†**श्री आचार** : क्या मूल्य स्तर अनिश्चित है और अमरीकी आयातक इसी कारण आयात करना नहीं चाहते ? कुछ हथकरघा उद्योगपति सस्ते दामों पर बेचते हैं और अन्य माल इकट्ठा कर लेते हैं और ऊंचे भाव पर बेचते हैं । मूल्यों की अनिश्चितता के कारण, अमरीकी मार्केट पर प्रभाव पड़ा है और वहां इस कपड़े की कोई मांग नहीं है ।

†**श्री कानूनगो** : जैसा मैं विवरण में बता चुका हूं, स्थिति में गैर-जिम्मेदार अमरीकी आयातकों से असर पड़ा है । कुछ निर्यातक भी गैर-जिम्मेवार सिद्ध हुए हैं । परन्तु सत्य यह है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि यह नमूना राज्य व्यापार निगम के हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा निकाला गया था और उस सामान की मांग इसलिये कम हो गयी है क्योंकि फैशन बदल गया है ।

†**श्री तंगामणि** : तीन महीने पहले एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा था कि "ब्लीडिंग मद्रास" का १६ लाख गज का स्टाक है और वे स्टाक को समाप्त करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । निर्माता संघ ने भी "ब्लीडिंग मद्रास" के बारे में अभ्यावेदन किये हैं और कुछ प्रस्ताव रखे हैं । मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूं क्या इस माल को निकालने के लिये सरकार का हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा अथवा अन्य किसी जरिये से इस माल का निर्यात करने की कोई प्रस्थापना है अथवा हम राज्य व्यापार निगम द्वारा नियुक्त किये गये हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा मंजूर किये गये इन नमूनों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं अथवा वह इस "ब्लीडिंग मद्रास" के डिजाइन को समाप्त करना चाहते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : यह मामला केवल हथकरघा निर्यात संगठन का ही नहीं है । जैसा मैंने बताया, कई विचारशील निर्यातकों ने कुछ काम किया है जिसके लिये वे जिम्मेवार हैं । एक बार सरकार ने यह महसूस किया और वह अब भी महसूस करती है कि वह उन व्यक्तियों की सहायता नहीं कर सकती जो अपने व्यापारिक-कार्य में गैर-जिम्मेवार रहे हैं परन्तु इस बात को देखते हुए कि बड़ी संख्या व्यक्तियों के कठिनाइयों के बारे में मद्रास सरकार ने अभ्यावेदन दिया है, सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों को भी किस प्रकार सहायता दी जाये ।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय

+

†*२५७. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की पिछली बैठक में दिये गये सुझावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में कोई परिवर्तन किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह पुनर्गठन किस प्रकार का है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) संयुक्त राज्य सचिवालय में परिवर्तन करने सम्बन्धी कुछ सुझाव दिये गये हैं परन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, कोई परिवर्तन करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का विस्तार करने के बारे में हमने जो सुझाव दिया था, उसका क्या स्वरूप है और क्या मैं जान सकता हूं कि हमने इस ओर कोई और पग बठाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : इन में से एक सुझाव का सब को पता है जो कि रूस की ओर से की गयी है कि एक के स्थान पर तीन महा-सचिव हों। अन्य सुझाव सहायक महा-सचिवों के बारे में है, अर्थात् एक महा-सचिव के अधीन, एक, दो, तीन या अधिक सहायक महा-सचिव हों। अन्य बातें छोटे कमचारियों के बारे में है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथर** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम ने कोई सुझाव दिया है और क्या हमने उन सुझावों पर जोर डाला है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने कोई औपचारिक सुझाव नहीं दिया। परन्तु जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में था, तब अनौपचारिक रूप से मैंने यह सुझाव दिया था कि वहां पर सहायक महा-सचिव अथवा उप महा-सचिव होने चाहियें। तर्क यह था कि महा-सचिव के पद को कई अर्थात् तीन भागों में विभक्त कर देने से यह क्रियाहीन हो जाता। परन्तु संयुक्त राष्ट्र के कार्य के बारे में किये गये विवेचन का भी इसमें कुछ सार था क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की—विश्व की—निन्दा होती है और यदि निन्दा नहीं होती है, तो कठिनाइयां पैदा होती हैं। अतः सहायक महा-सचिव अथवा उप महा-सचिव बना कर और इसी समय एक ही अध्यक्ष के जरिये पदा के क्रियाकारी रूप से कार्य करने में बाधा न डालते हुए—यह कार्य किस प्रकार किया जाना सम्भव है—तर्क इन बातों पर था।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में कर्मचारियों में एशियाई व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के बारे में एशियाई देशों के अभ्यावेदन का कोई उत्तर मिला है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उत्तर किससे ?

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये एक अभ्यावेदन पर महा-सचिव से उत्तर।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर किससे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : संयुक्त राष्ट्र-संघ कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारियों में अधिक एशियाई व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में महा-सचिव से उत्तर।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अधीनस्थ कर्मचारिगण उतने महत्वपूर्ण हैं। संभवतः अधीनस्थ कर्मचारियों में कुछ अच्छे व्यक्ति हैं; वह वरिष्ठ कर्मचारियों से भिन्न है।

†**श्री कोडियान** : क्या सरकार का इस बारे में महासभा की अगली बैठक में एक विशिष्ट प्रस्ताव रखने का विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं।

†**श्री नाथ पाई** : इस सामान्य आलोचना को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के वरिष्ठ श्रेणी में कर्मचारी केवल कुछ ही राष्ट्रों के व्यक्ति हैं, क्या हम जान सकते हैं कि क्या हमारे अपने व्यक्तियों के लिये कोई कार्यवाही की गयी है और इस समय वरिष्ठ श्रेणी में नियोजित भारतीय राष्ट्रजनों की क्या संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** स्पष्टत: मैं आंकड़े नहीं बता सकता । समूची बात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अभ्यावेदन ने पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है । मेरा विश्वास है कि वरिष्ठ श्रेणी में भी एक या दो भारतीय हैं । परन्तु इस समय नियुक्तियों के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है । परन्तु नियुक्तियों के अलावा कई अन्य बातें हैं; एक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण स्थिति में हो सकता है परन्तु फिर भी वह नीति पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में परिवर्तन से संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र में परिवर्तन होता है, क्या मैं जान सकता हूं कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बातें सोचते क्यों हैं ? वे प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि भारत ने यह सुझाव दिया था कि इस बात का अध्ययन करने के लिये चार बड़े राष्ट्रों की समिति बनायी जाये कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में परिवर्तन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र में किस प्रकार सर्वोत्तम परिवर्तन किया जा सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इस बात का पता नहीं है कि भारत ने ऐसी एक समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया । हो सकता है, किसी ने अपने भाषण के दौरान इस बात का सुझाव दिया हो लेकिन मैं गारन्टी नहीं करता । परन्तु मुख्य बात यह है, हमने अकसर यह बात कही है कि जब तक उचित वातावरण न बन जाये, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये । यह शीत-युद्ध के वातावरण में नहीं किया जा सकता इससे सारी बातें टूट सकती हैं । यह नहीं कि हम इसके विरुद्ध हैं, हम महसूस करते हैं कि परिवर्तन किया जाना है परन्तु हमने तत्काल परिवर्तन का बहुत कम समर्थन किया है क्योंकि परिव र्तन के स्थान पर इसके परिणाम बुरे निकल सकते हैं । अत: हमने सहायक महा-सचिवों आदि के बारे में जो सुझाव दिया, उससे घोषणा-पत्र में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं । यह घोषणा-पत्र के भीतर ही किया जा सकता है । वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र के आरम्भ में वहां पर ऐसे उप-महा-सचिव थे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के पुनर्गठन पर किस स्तर पर विचार किया जायेगा ? इस पर महासभा द्वारा विचार किया जायेगा या सुरक्षा परिषद् द्वारा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्या वे प्रश्न को दोहरा सकते हैं ? उन्होंने पूछा "किस स्तर पर" । इससे माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि इस पर महासभा में विचार किया जायेगा अथवा सुरक्षा परिषद् में । वह कर्मचारियों में वृद्धि आदि का निर्देश कर रहे थे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कहीं भी नहीं । इस पर इस तरह विचार होता है कि महासभा में भाषणों के दौरान, इसका निर्देश किया जाता है । इस पर सभा की विशेष समिति में विचार किया जा सकता है । यह कार्य करना सुरक्षा परिषद् का काम नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह** : सोवियत ब्लाक द्वारा महा-सचिव के पद की मान्यता न मानने से क्या वैधिक प्रभाव पड़ा है ? सोवियत ब्लाक ने महा-सचिव की मान्यता वापस ले ली है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वैधिक प्रभाव के बारे में उत्तर देना मेरे लिये कठिन है परन्तु व्यावहारिक रूप से इसका कुछ बुरा असर पड़ सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सुझाव का समर्थन बढ़ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय विश्व में सेनाओं के परस्पर सम्बन्धों पर प्रभाव डाले, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र की अगली बैठक में, जो एक या दो महीनों में होगी, विचार किये जाने की आवश्यकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या मेरी राय जानना चाहती हैं कि क्या कोई गौर करने या विचार करने योग्य है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह कार्य-सूची में निरन्तर रहा है ? क्या इस पर अगली बैठक में विचार किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह कार्य-सूची में कभी नहीं रहा । इसमें निरन्तरता का प्रश्न नहीं है । इस बारे में कुछ भाषणों के दौरान निर्देश किया गया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के प्रश्न की किस तरीके से जांच की जायेगी और यह पुनर्गठन किस प्रकार लागू किया जायेगा ? क्या महा-सचिव की सहमति पर्याप्त होगी ? कोई पुनर्गठन करने से पूर्व क्या तरीका अपनाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अभी कहा है कि एक समिति इस पर विचार कर सकती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि इससे घोषणा-पत्र में संशोधन करना पड़ता है तो यह बड़ा मामला है । फिर तो एक विशेष समिति द्वारा इस बारे में कार्य किये जाने के पश्चात् महा-सभा ही यह कठिन काम कर सकती है । परन्तु यदि घोषणा-पत्र के भीतर यह कार्य हो सकता है, वह महत्वपूर्ण भी हो सकता है और गैर-महत्वपूर्ण भी । यदि यह महत्वपूर्ण है, तो इसको विशेष समिति के समक्ष लाना ही पड़ेगा और महासभा के समक्ष भी लाया जा सकता है ।

†**श्री नलवुर्गकर** : क्या संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के बारे में प्रधान मंत्री महोदय ने लार्ड एटली के साथ कुछ विचार किया है ? यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे पता है, इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगों में संयुक्त राष्ट्र समझौता आयोग

+

†*२५८. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेसीडेण्ट कासावुबू ने संयुक्त राष्ट्र समझौता आयोग में भारत के प्रतिनिधि के सम्मिलित किये जाने का विरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). प्रेसीडेन्ट कासावुबू ने संभवतः इसलिये तथाकथित समझौता आयोग में कुछ देशों के प्रतिनिधियों के शामिल किये जाने पर शंका प्रकट की कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके प्रतिनिधिमण्डल को स्थान दिये जाने के विरुद्ध मत दिया था । तथापि, जैसा कि विदित है, ११ सदस्यीय आयोग इस वर्ष जनवरी के आरम्भ में लियोपोल्डविल में समवेत हुआ और उस के सदस्य प्रेसीडेंट कासावुबू से मिले । आयोग में भारत का प्रतिनिधि भी है परन्तु मूल रूप से पन्द्रह सदस्यों में से चार ने, अर्थात् मोरक्को संयुक्त अरब गणराज्य, गिनी और माली, इस में भाग लेने से इन्कार कर दिया ।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयोग में भारत के शामिल किये जाने पर प्रेसीडेन्ट कासावुबू द्वारा विरोध को प्रेसीडेण्ट द्वारा कांगो में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को असफल बनाने का प्रयत्न कहा जा सकता है ताकि वह पश्चिमी मित्र-देशों से द्विपक्षी सहायता ले सकें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इन पेचीदा प्रश्नों को समझने के लिये मेरा दिमाग इतना क्रियाशील नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** यह एक साधारण सा प्रश्न है । क्या प्रेसीडेंट कासावुबू द्वारा भारत के आयोग में शामिल किये जाने का विरोध करने को ऐसा कहा जा सकता है या नहीं ? मेरा प्रश्न यह है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऐसा समझना, सुझाव देना आदि क्या इस सभा का काम है ?

†**श्री हेम बरुआ :** आयोग में भारत के शामिल किये जाने के विरोध के बारे में राष्ट्रपति कासावुब द्वारा क्या कारण बताये गये हैं ? क्या कांगो में भारत ऐसा अलोकप्रिय हो गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत है जिससे वे भारत को आयोग का सदस्य नहीं मान रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कांगो के प्रशासन और कुछ तथा-कथित प्राधिकारियों के विरुद्ध बहुत शिकायतें हैं और भारत ने उन शिकायतों के बताने के लिये काफी कार्य किया है और वह कर रहा है।

ग्रामीण जनशक्ति

†

†*२५९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री कोडियान:
श्री वारियर:
श्री पुन्नूस:
श्री पहाड़िया:
श्री आचार:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के लिए कोई अग्रिम परियोजनायें सामुदायिक विकास खण्डों में शुरू करने के लिए स्वीकार की गयी थीं; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वे कहां कहां शुरू की जायेंगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अब तक स्वीकार की गयी ३४ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६८**]

†**श्री अ० क० गोपालन** : इन प्रमुख परियोजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इन परियोजनाओं में प्रत्येक के लिये २ लाख रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष हम ने प्रत्येक को २५,००० रुपये आवंटित किये हैं।

†**श्री पुन्नूस** : इन परियोजनाओं और स्थानों को चुनने का क्या औचित्य है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : राज्य सरकारों ने उनकी सिफारिश की है। प्रमुख औचित्य यह है कि ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाये जहां अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है और जहां कृषि तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की गुंजायश है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : केरल के बारे में विवरण में यह कहा गया है : "और अन्य सम्बन्धित रचनात्मक कार्य"। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सम्बन्धित रचनात्मक कार्यों के बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्थापना मिली है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कार्यक्रम भूमि का कटाव, भूमि संरक्षण, कृषि, सिंचाई और निर्माण के बारे में है। परन्तु अधिकाश में कृषि उत्पादन-कार्यक्रम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का यह विचार है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में इन परियोजनाओं के साथ समूचे सामुदायिक विकास खण्डों को मिलाया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अभी तक ये ३४ बड़ी परियोजनायें मंजूर की गयी हैं। यदि परिणाम अच्छा रहा तो हम प्रयत्न करेंगे।

†**श्री कोडियान :** इन बड़ी परियोजनाओं में कितने कृषि श्रमिक लगाये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** बड़ी परियोजनायें अभी मंजूर की गयी हैं और हम उन बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण करेंगे जिन्हें योजनायें आरम्भ करते ही नौकरी दे दी जायेगी।

†**श्री पुन्नूस :** विवरण में केरल के बारे में दो परियोजनाओं का जिक्र है। इन परि-योजनाओं में कितनी जन-शक्ति लगेगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** हम ने अभी उनको मंजूर किया है और बड़ी परियोजनाओं में शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा। तब ही यह पता चलेगा कि हमें कितने व्यक्तियों को रोजगार देना होगा।

†**श्री आसर :** क्या इन परियोजनाओं में छोटे उद्योग चालू किये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह औद्योगिक नहीं है। ये कृषि के बारे में हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन :** विवरण के अनुसार कई राज्य ऐसे हैं जिनमें ब्यौरे तैयार नहीं किये गये। क्या मैं जान सकता हूं कि ये ब्यौरे कब तक तैयार कर लिये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** बड़ी परियोजनायें बनाने का फैसला केवल कुछ ही महीनों पूर्व किया गया था। कई राज्यों ने योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है और कई राज्य वह तैयार कर रहे हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** कांगो के बारे में प्रश्न संख्या २६८ बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्न-काल में केवल ४ मिनट ही रहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या प्रधान मंत्री महोदय इसका उत्तर देने को तैयार हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगो

+

†*२६८. डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेमराज :
श्री सम्पत :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री कालिका सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भारतीय योद्धा सैनिकों की एक बटालियन कांगो भेजने की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रार्थना पर विचार किया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री साइत अली खां): (क) और (ख). सरकार को संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव से दिनांक २१ जनवरी, १९६१ के संदेश में एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिसमें भारत से कांगो में कार्य रहे विशेष यूनिट के अतिरिक्त एक सैनिक बटालियन देने को कहा गया था। उत्तर में महा-सचिव को बता दिया गया है कि यदि सुरक्षा परिषद् तत्काल और कड़ी कार्यवाही करने समेत क्रियात्मक कार्यवाही करने का फैसला करे, तो हम सैनिक भेज देंगे।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तीन देशों का संकल्प पारित हो जाने के बाद भारत सरकार महा-सचिव की प्रार्थना को मंजूर करना उचित समझती है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस समय कोई निश्चित उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि मैं यह देखना चाहूंगा कि क्या इससे क्या बातें पैदा होती हैं। परन्तु यह सत्य है कि सुरक्षा परिषद् के नये फैसले ने हमारी फौजें भेजने के बारे में एक रोड़ा तो हटा दिया है और इस बारे में अब हमारी कार्यवाही करने की संभावना है, अर्थात् अब फौजें भेजने के बारे में महा-सचिव की प्रार्थना के स्वीकार किये जाने की संभावना है।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या इस निर्णय पर पहुंचने के लिये महा-सचिव से इस मामले में कोई और स्पष्टीकरण मांगा जायेगा अथवा सरकार स्वयं इस पर विचार करेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, हां। की गयी कार्यवाही द्वारा स्पष्टीकरण, घटनाओं द्वारा स्पष्टीकरण और सम्भवतः प्रत्यक्ष रूप से स्पष्टीकरण।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या राष्ट्र संघ द्वारा फौजें भेजने के लिये अन्य देशों से भी ऐसी ही प्रार्थनायें की गयी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे ख्याल है कि यह प्रार्थना एशिया और अफ्रीका के कई देशों से की गयी है। एक देश, मलाया, ने तो निश्चित रूप से यह स्वीकार कर ली है और कुछ फौजें भेज भी दी हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने कांगो के बारे में प्रस्ताव सम्बन्धी राष्ट्र संघ के फैसले का स्वागत किया है। परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हो रहा है कि मेजर जनरल मोबुतू एक गृह युद्ध बल्कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**एक माननीय सदस्य :** मेजर जनरल मोबुतू नहीं बल्कि मिस्टर शोम्बे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विवादास्पद स्थिति में मैं कुछ उत्तर देना नहीं चाहता—यह ठीक नहीं हो सकता है—और कांगो में आन्तरिक रूप से वही हो रहा है। यह समय समय पर बदलती है। जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है, वह चाहे पूरी तौर पर विश्वसनीय हो या नहीं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई अफ्रीकी देशों ने अपनी फौजें वापस बुला ली थीं, क्या मैं जान सकती हूं कि अपनी फौजें भेजने का अन्तिम रूप से निश्चय करने से पूर्व क्या प्रधान मंत्री जी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से तथाकथित कसाब्लांका शक्तियों के साथ पूर्व परामर्श करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किसके साथ परामर्श ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** कसाब्लांका शक्तियों के साथ जिन्होंने अपनी फौजें वापस बुला ली हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि हम औपचारिक रूप से अन्य देशों से बातचीत करेंगे। हम अक्सर उनके साथ सम्बन्ध बनाये रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रतिनिधियों से और बाज दफ़ा प्रत्यक्ष रूप से और हम उन्हें अपनी नीति बता देते हैं और उनकी नीति जान लेते हैं। परन्तु इस विशेष मामले के बारे में उनसे परामर्श करने का कोई इरादा नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या प्रधान मंत्री जी कांगो में फौजें भेजने से पहले कम से कम संयुक्त अरब गणराज्य और कांगो की प्रतिक्रिया जान लेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता। परन्तु सभा को याद होगा कि सुरक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वह संयुक्त अरब गणराज्य ने रखा था।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १, श्री काशीनाथ पांडे :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति में विलम्ब के फलस्वरूप और इस बात को देखते हुए कि चीनी का सीज़न समाप्त हो रहा है, चीनी उद्योग में लगे श्रमिक हड़ताल करने की सोच रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति न आने देने के लिये मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). हमें चीनी मजूरी बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों की शीघ्र कार्यान्विति के बारे में श्रमिकों की उत्कंठा का पता है।

सभा पटल पर एक सरकारी संकल्प रखा जाता है जिसमें सिफारिशें मंजूर की गयी हैं और मालिकों से कहा गया है कि वह उसे कार्यान्वित करें। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६९]**

†**श्री काशीनाथ पांडे**: क्या सरकार सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप उठने वाले विवादों को सुलझाने के लिये केन्द्र में और राज्यों में एक त्रिदलीय क्रियान्विति व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री आबिद अली**: इस बात पर राज्य सरकारें ध्यान देंगी और इस बारे में जो भी आवश्यक है निश्चय ही वे वह कार्य करेंगी।

†**श्री काशीनाथ पांडे**: क्योंकि समय कम है, क्या मंत्रालय सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : इसको तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

†**श्री पलनियण्डी**: क्या सरकार सीमेन्ट उद्योग के बारे में मजूरी बोर्ड की अन्य सिफारिशें भी क्रियान्वित करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : सीमेन्ट उद्योग के बारे में कुछ समय पूर्व जानकारी दी गयी थी और उस दिशा में सारभूत प्रगति की गयी है।

†**श्री विश्वनाथ राय**: क्या मैं जान सकता हूं कि मजूरी बोर्ड के निर्णय कार्यान्वित किये जाने से कितने श्रमिकों को लाभ होगा और उनको कितनी धनराशि दी जावेगी ?

†**श्री आबिद अली**: धनराशि बताना कठिन है। यह करीब १५-१६ रुपये हो सकता है। अन्तिम सिफारिशों के फलस्वरूप श्रमिकों को ३ रुपये मिले हैं। इन कारखानों में श्रमिकों की संख्या लगभग १,९०,००० होगी।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : सरकार को कितने समय तक इसके कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

†**श्री आबिद अली**: जैसा मैंने कहा, मुझे आशा है कि इसको तेजी से कार्यान्वित किया जायेगा।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : सीजन समाप्त होने से पहले ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने कहा कि "तेजी से"।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इलियास :** क्या सरकार को चीनी मजूरी बोर्ड के निर्णयो पर पुनर्विचार करने के लिये हिन्द मजदूर सभा, अखिल भारत कार्मिक संघ कांग्रेस और संयुक्त कार्मिक संघ कांग्रेस से एक संयुक्त सिफारिश प्राप्त हुई है और यदि हां, तो सरकार का उस बारे में क्या ख्याल है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** मुझे इस बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं अपने मित्र से प्रश्न-काल के बाद मिलूंगा।

†**श्री आबिद अली:** हिन्द मजदूर सभा से नहीं।

†**श्री नन्दा :** यह श्री सक्सेना से मिला है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि बोर्ड की मंजूर की गई सिफारिशों में कोई परिवर्तन किये जाने की गुंजायश नहीं है।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** अब जैसे कि उन्होंने एक बोनस आयोग नियुक्त किया है, क्या सरकार चीनी श्रमिकों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री नन्दा:** यदि बोर्ड द्वारा बोनस के बारे में सिफारिश किये गये तरीके में कोई परिवर्तन करना वांछनीय है, तो करार द्वारा वह भी हो सकता है।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार मजूरी बोर्ड पंचाट को उन चीनी कारखानों से सम्बद्ध खेतिहर मजदूरों पर भी लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगी जहां कम्पनी के ही अपने बहुत बड़े फार्म हैं जो कई हजार एकड़ो में हैं ?

†**श्री नन्दा:** इस मामले को बोर्ड के परिक्षेत्र से बाहर रखा गया था। परन्तु यह एक पृथक मामला है जिस पर अन्य तरीके से बातचीत की जा सकती है।

†**श्री तंगामणि:** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न जोनों में और विशेषत: दक्षिण में कोई समय निर्धारित किया जायेगा जब तक कि चीनी कारखानों जैसे मद्रास में अरूरन शुगर मिल्स द्वारा सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**श्री नन्दा :** मेरे साथी ने बता दिया है कि हम चाहते हैं कि इनको तत्काल कार्यान्वित किया जाये।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या मैं जान सकता हूं बोर्ड की सिफारिश के अनुसार, मजूरी के भुगतान के बारे में बात पक्षों पर छोड़ दी गयी है कि वे उसे माने या न मानें ?

†**श्री आबिद अली :** पटल पर रखे गये पत्र के पैरा ३ के भाग(ख) में इसका उत्तर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दलाई लामा के लिए विदेशी मुद्रा

†*२६०. श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने अपने कुछ व्यक्तियों को बाहर, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, भेजने के लिए सरकार से विदेशी मुद्रा प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दलाई लामा को जब से वह भारत आये हैं, कुछ राशि प्रदान की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी, हां। चार विभिन्न अवसरों पर कुल मिला कर ६०,००० रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी है जिसमें दलाई लामा की माता के लिये चिकित्सा के लिये यूरोप जाने के लिये विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

उर्वरक संयंत्र

†*२६१. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री हेम बरुआ :
श्री हेमराज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहायता से उर्वरक संयंत्रो की स्थापना का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया गया है;

(ग) वे भारतीय उद्यमी तथा विदेशी सहयोगी कौन कौन से हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी, हां। सरकार ने विदेशी सहायता से गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के विचार का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) अभी तक कोई योजनायें अनुमोदित नहीं की गयी हैं परन्तु कुछ विचाराधीन हैं। यह आशा की जाती है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जावेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). सरकार की अन्तिम रूप से अनुमति दिये जाने से पूर्व भाग (ग) और (घ) में मांगी गयी जानकारी बताना उचित नहीं है।

उडीसा में अल्युमिनियम संयंत्र

†*२६२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक अन्य अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उसके लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ग) इस प्रस्तावित नये संयंत्र की उत्पादन-क्षमता कितनी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). सरकार को कालाहाण्डी जिले (उड़ीसा) में एक २०,००० टन अल्युमिनियम गलाने वाला संयंत्र लगाने के लिये, जिसमें लगभग १६,००० टन की निर्माण सुविधा होगी, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र मिला है। यह आवेदन-पत्र उस स्थान पर बौक्साइट और बिजली की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता के कारण रद्द कर दिया गया है।

फ्रांस में भारतीय राजदूतावास

†*२६४. **श्री मुरारका:**
श्री राजेश्वर पटेल:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास के कुछ अधिकारियों पर गबन का आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां। राजदूतावास के एक अधिकारी पर सार्वजनिक निधि के गबन का आरोप लगाया गया है।

(ख) इसमें लगभग ११,७०० न्यू फ्रान्क (लगभग ११,३०० रुपये) अन्तर्ग्रस्त हैं। सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल सदर मुकाम भेज दिया गया और वहां पहुंचने पर उन्हें तुरन्त निलम्बित कर दिया गया। पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चलाई गयी है और वह प्रगति पर है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*२६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत परिनियत दर बढ़ाने के सम्बन्ध अन्तिम निर्णय कर चुकी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बंगलौर में घड़ी का कारखाना

†*२६६. { **श्री रामी रेड्डी:**
श्री विभूति मिश्र:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में घड़ी का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) कारखाने का निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की आशा है और वह कब तक चालू हो सकेगा;

(ग) परियोजना की लागत और क्षमता कितनी है;

(घ) वहां बनायी जाने वाली घड़ी का मूल्य क्या होगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में भारत-जापान करार के निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ). जी, हां । यह कारखाना हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा लगाया जायेगा । इमारत का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा । इस कारखाने के वर्ष १९६१ के अन्त तक चालू किये जाने की संभावना है । परियोजना का लागत का अनुमान २५० लाख रुपये लगाया गया है । इसकी क्षमता एक पारी में २४०,००० घड़ियां वार्षिक होगी और गुणित पारी में ३,६०,००० । घड़ियों का मूल्य उत्पादन आरम्भ होने के बाद लगाया जा सकता है ।

(ङ) घड़ियां बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा मेसर्ज़ सिटीजन वाच कम्पनी, टोक्यो के साथ किये गये करार की प्रति २८ अप्रैल, १९६० को सभा पटल पर रख दी गयी थी ।

दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन का शिक्षा सम्मेलन

†*२६७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन द्वारा कराची में जनवरी और फरवरी, १९६१ में जो शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें भारत को आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). कोई औपचारिक निमंत्रण तो नहीं मिला था परन्तु अनौपचारिक रूप से संदेश मिलने पर भारत सरकार ने कहा कि वह सम्मेलन में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाशास्त्रियों के भाग लेने के लिए व्यवस्था करने में असमर्थ है।

रेशम कीट पालन उद्योग

†*२६९. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रेशम कीट पालन उद्योग के अन्तर्गत उत्पादन की किस्म और मात्रा के सुधार के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने रेशम उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड नामक एक परिनियत निकाय निर्मित किया है। केन्द्रीय रेशम कीट पालन गवेषणा केन्द्र, बहरामपुर, जो भारत सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत है, को भी रेशम उत्पादन के विभिन्न प्रक्रमों में सुधार और मितव्ययता लाने के लिए प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों निकाय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रयत्न करते हैं यह उस विवरण में बताया गया है जो मैं सभा-पटल पर रख रहा हूं।

विवरण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(१) वह रेशम कीट पालन के विकास की योजनाओं के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता करता है और ऐसी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की सिफारिश करता है।

(२) वह राज्यों में विकास-कार्य का समन्वय करता है।

(३) वह रेशम के कीड़ों की विशेष जातियों के प्रशिक्षण और विकास की योजनायें क्रियान्वित करता है। रेशम के कीड़ों की जातियों के संरक्षण के लिए श्रीनगर में केन्द्रीय रेशम कीट बीज केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमें मादा कीड़े पाले जाते हैं। रेशम कीट पालन में अग्रेतर प्रशिक्षण देने के लिए मैसूर में अखिल भारतीय रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गई है।

(४) वह रेशम का मूल्य कम और स्थिर रखने और देश में कच्चे रेशम की कमी की किसी हद तक पूर्ति करने के लिए कच्चे रेशम के आयात और उसके वितरण का विनियमन करता है।

(५) समय समय पर निम्नलिखित की आवश्यकता पर विचार करना :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) अधिकारियों को रेशम कीट पालन में जापान और चीन जैसे उन्नत देशों में उच्चतर प्रशिक्षण के लिये भेजना ।

(ख) अच्छे किस्म के रेशम के कीड़ों और शहतूत का सम्भरण प्राप्त करना ।

(ग) विदेशों से विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना ।

केन्द्रीय रेशम कीट पालन गवेषणा केन्द्र बहरामपुर (पश्चिमी बंगाल)

वह रेशम कीट पालन उद्योग की विभिन्न शाखाओं में विकास पर प्रयोग और गवेषणा करता है । उसके कलिम्पांग स्थित उपकेन्द्र में विदेशी और देसी जाति के कीड़ों को वायुजलानुकूलन हेतु पाला जाता है ।

विदेशों में प्रदर्शन कक्ष

†*२७०. **श्री त्रिदिबकुमार चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका कानपुर में उत्तर भारतीय वाणिज्य मण्डल के सदस्यों के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत के दौरान दिया गया यह सुझाव कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ विदेशों में अपने व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त करे और अपने प्रदर्शन कक्ष खोले, सरकार द्वारा किसी समय संघ के समक्ष औपचारिक ढंग से रखा गया है; और

(ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की उनके सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान नई दिल्ली के भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ को विदेशों में प्रदर्शनियां और प्रदर्शनकक्षों के संगठन में अधिक सक्रिय भाग लेने और विदेशों में निर्यात गृहों की अपनी शाखायें खोलने का सुझाव दिया गया था ।

(ख) अभी तक इस सुझाव के प्रति संघ की प्रतिक्रिया सन्तोषजनक नहीं रही है । इस मामले के सम्बन्ध में उनसे फिर कहने का विचार किया जा रहा है ।

अलौह धातुयें

†*२७१. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ३० नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अलौह धातुओं की कमी की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के बावजूद लघु उद्योग एककों के आवण्टनों को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है । इन धातुओं के उन देशों, जिनके साथ भारत की रुपए भुगतान व्यवस्था है, से आयात की व्यवस्था भी की जा रही है जिससे उपभोक्ता उद्योगों की मांग पूरी की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्य नीति

†*२७२. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी
श्री सूपकार :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग मूल्य नीति के प्रश्न पर बहुत समय से निरन्तर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार अभी तक किन्हीं अस्थायी परिणामों पर पहुंच सकी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और योजना उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मूल्य नीति की समस्या के विभिन्न पहलुओं का विकास आयोजन का विशेष रूप से निर्देश करते हुए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम प्रारूप में उल्लेख कर दिया जाएगा।

जूट मिलें

†*२७३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट मिलों के कार्य के घण्टों में और कमी कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका उत्पादन पर क्या असर पड़ा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हां, श्रीमान्। ३० जनवरी, १९६१ से कार्य के घण्टे ४५ घण्टे प्रति सप्ताह से कम करके ४२ $^{1}/_{2}$ प्रति सप्ताह कर दिये गए हैं परन्तु बन्द करघों का प्रतिशत अभी भी १२ $^{1}/_{2}$ बना हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कच्चे जूट की खपत का उपलब्ध सम्भरणों से समायोजन द्वारा उत्पादन विनियमित करने और मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी रोकने के लिए।

(ग) उत्पादन में थोड़ी सी कमी होगी।

जहाजों के डीजल इंजनों का निर्माण

†*२७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाजों के डीजल इंजनों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : परियोजना की जांच की जा रही है और उसकी प्रविधिक तथा अन्य बातों की विदेशी सहयोगियों के साथ चर्चा की जा रही है।

खेल-कूद के सामान का निर्यात

†*२७५. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पांगरकर :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल-कूद के सामान के निर्यात के संवर्धन की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). पुनरीक्षित निर्यात संवर्धन योजना १-१-१९६१ से लागू हो चुकी है। उसमें यह उपबन्ध किया गया है कि कच्चे सामान, पैकिंग के सामान, औजारों, पुर्जों और मशीनों, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं और गोल्फ तथा बिलियर्ड के कुछ सामान तथा कुछ प्रकार की दूरबीनों के लिये आयात लाइसेंस एक निर्धारित सीमा तक दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

नगरीय अचल सम्पत्ति

†*२७६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टिमेनन :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को नगरीय अचल सम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण करने और ऐसी सम्पत्तियों पर कर लगाने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में ठोस प्रस्ताव क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** (क) और (ख). योजना आयोग नगरीय भूमि और सम्पत्ति को राजस्व का महत्वपूर्ण एव विकासशील संसाधन समझता है। परन्तु उसने कराधान के स्तरों अथवा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में कोई निर्दिष्ट सुझाव नहीं दिये हैं। इन मामलों पर राज्य सरकारें विचार करती हैं।

न्यू जेमहैरी खास कोयला खान

†*२७७. **श्री इलियास मुहम्मद :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू जेमहैरी खास कोयला खान के प्रबन्धों के विरुद्ध कार्मिक शिशु-गृह की नर्सों से सम्बन्धित पंचाट को पूर्णत: क्रियान्वित न करने के कारण कानूनी कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कार्मिक शिशु-गृह की नर्सों को वैकल्पिक नौकरियां देने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) हां, प्रबन्धकों ने कारण बताने के नोटिस का उत्तर भेज दिया है जो विचाराधीन है।

(ख) हाल में कार्मिक शिशु-गृह नियम, १९५९ में संशोधन किया गया है जिससे प्रत्येक ऐसी खान में, जिनमें महिलायें काम करती हों, शिशु-गृहों की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। शिशु-गृहों के छंटनी किए गए कर्मचारियों को फिर से नौकरी में रखने के प्रश्न की सम्बन्धित नियोजकों के साथ चर्चा करने के लिये प्रख्यापन यन्त्र के अधिकारियों को उपयुक्त निदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

दण्डकारण्य में कृषि योग्य बनाई गयी भूमि

†*२७८. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि अपेक्षित संख्या में विस्थापित व्यक्ति एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर दण्डकारण्य नहीं पहुंचे तो खेती के योग्य बनाई गयी भूमि के पुन: जंगल बन जाने का भय है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने, पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के दण्डकारण्य न पहुंचने की दशा में, खेती के योग्य बनाई गयी भूमि को काम में लाने की क्या व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति नोटिस दिये जाने के बावजूद वहां नहीं जाते हैं तो क्या वह क्षेत्र राज्यों के भूमिहीन किसानों के लिये उपलब्ध कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना** : (क) अभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं मालूम होती है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

फ्रांस द्वारा अणुबम का विस्फोट

†*२७९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टिमेनन :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हेम बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान फ्रान्स द्वारा विस्फोट किए गए तीसरे अणुबम की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो फ्रांस द्वारा अपने नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण जारी रखे जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जैसाकि भारत सरकार भूतकाल में अनेक बार घोषित कर चुकी है, हम नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों के सर्वथा विरुद्ध हैं ।

आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में उर्वरक संयंत्र

†*२८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० म० तारिक :
श्री उस्मान अली खाँ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री नथवानी :
श्री मुरारका :
श्री रामी रेड्डी :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में दो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ;

(घ) ये संयंत्र कब तक स्थापित हो जायेंगे ; और

(ङ) इस प्रयोजना के लिए कौन से स्थान अंतिम रूप से चुने गए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) प्राप्त प्रस्ताव उर्वरक कारखानों की आन्ध्र प्रदेश में विशाखापटनम और राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थापना के लिए हैं ।

कहवा बागान

†**४१६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी व्यापारिक संस्थाओं के कितने कहवा बागान तथा कारखाने हैं ;

(ख) कितने कहवा बागान भारतीयों के हैं ;

(ग) दोनों व्यापारिक संस्थाओं में कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इन व्यापारिक संस्थाओं में सेवा की अधिकारियों की श्रेणी में प्रतिवर्ष औसतन कितने भारतीयों को लिया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) २५ ।

(ख) ४७,८२३ बागान ।

(ग) कहवा उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है । चूंकि एककों के आकार में बहुत अन्तर है इसलिए नियोजन की शर्तों में भी बहुत अन्तर है । सरकार को विभिन्न सम्पदाओं की वास्तविक सेवा शर्तों की कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) केवल कहवा पैदा करने वाले अथवा अन्य बागान फसलों के साथ संयुक्त रूप से कहवा पैदा करने वाले विदेशी स्वामित्व नियंत्रण के समवायों में १००० रुपए प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पर १-१-१९५९ को १६ भारतीय थे जब कि १-१-१९५८ को १२ भारतीय थे । बाद के समय के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य को तांबे का वार्षिक आवंटन

†**४१७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को प्रतिवर्ष तांबे का कितना कोटा आवण्टित किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जम्मू तथा काश्मीर राज्य को वर्ष अप्रैल १९६० से मार्च १९६१ में १७८ मीट्रिक टन तांबा आवण्टित किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर में रेशम कीट पालन का विकास

†४१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को रेशमकीट पालन के विकास के लिए दूसरी पंच वर्षीय योजना में कितनी राशि आवण्टित की गई थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जम्मू तथा काश्मीर राज्य को रेशम कीट पालन के विकास के लिए दूसरी पंच वर्षीय योजना में अभी तक २५,९५,६८८ रुपए की राशि आवण्टित की गई र ।

पंजाब में ग्राम आवास योजना

†४१९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राज्य को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्राम आवास योजना के लिए कुल कितनी राशि आवण्टित की गई ; और

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त अवधि में वास्तव में कितनी राशि (जिलावार) व्यय की गई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार को आवण्टित की गई ८·४५ लाख रुपए की राशि में से उसने योजना के अक्टूबर, १९५७ में प्रारंभ होने के समय से ३१ मार्च, १९६० तक ६·१९ लाख रुपए निकाले थे । राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए २४·८५ लाख रुपए की राशि और आवण्टित की गई है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पंजाब सरकार द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६० तक जिलावार खर्च की गई राशि बताई गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

पश्चिमी बंगाल की लघु उद्योग सेवा संस्था में व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण

†४२०. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की लघु उद्योग सेवा संस्था में १९५७-१९६० की अवधि में कितने व्यक्तियों को व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ख) उसमें कितना व्यय हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल की लघु उद्योग संस्था में १-१-१९५७ से ३१-१२-१९६० तक की अवधि में २३९ व्यक्तियों को व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संस्था के कर्मचारी व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त अन्य कार्य, अर्थात् खण्ड स्तर विस्तार अधिकारियों (उद्योग) और राज्य सरकारों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और व्यापार प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर एककों को मंत्रणा देने का कार्य भी करता है। इसलिए केवल व्यापार प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिए किए गए व्यय का आकलन नहीं किया जा सकता है। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त अतिथि वक्ताओं को भी व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनको मानदेयों का भुगतान किया जाता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत अतिथि वक्ताओं को १९५७-६० में लेक्चर देने के लिए ६३० (छैसौतींस) रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

महाराष्ट्र में खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र

†४२१. **श्री पांगरकर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष १९६०-६१ में अभी तक खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र खोलने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दिसम्बर, १९६० तक कितने केन्द्र खोले गए थे तथा वे कहां-कहां स्थित हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा महाराष्ट्र में खादी भंडारों और ग्रामोद्योग बिक्री डिपो स्थापित करने की संभावनाओं की खोज करने की दृष्टि से अनेक स्थानों का दौरा किया था और संबंधित संस्थाओं के साथ चर्चा की थी। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप १० भंडार और एक ग्रामोद्योग बिक्री डिपों खोलने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

(ख) क्योंकि नये भंडार द्वारा विक्रय और डिपो खोलने के लिये निधियां अभी हाल में ही मंजूर की गई है। इसलिए अभी यह जानकारी देना सम्भव नहीं है।

मनीपुर और त्रिपुरा में लोह, लोहे की चादरों आदि का वितरण

†४२२. **श्री पांगरकर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर और त्रिपुरा उद्योगों के लिए वर्ष १९६०–६१ में अभी तक कोटे के आधार पर किस किस्म के लोहे, लोहे की चादरों, तांबा और पीतल तथा उनकी चादरों का वितरण किया गया है; और

(ख) कथित कोटा किन उद्योगों के लिए आवण्टित किया गया था तथा वे कहां पर स्थित हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

प्रशासन का नाम	मद	प्रशासन द्वारा वितरित मात्रा	वे उपयोग जिन के लिये आवण्टन किया गया
१	२	३	४
मनीपुर . .	कच्चा लोहा	..	..
	लोहे की चादरें	..	उत्पन्न नहीं होता ।
	तांबा	..	उत्पन्न नहीं होता
	पीतल और पीतल की चादरें तथा तांबे की चादरें	नीचे का नोट देखिये	
त्रिपुरा .	कच्चा लोहा	..	..
	लोहे की चादरें	४५ टन	राज्य क्षेत्र के धर्मनगर, कैलाशहर, कमालपुर, उदयपुर बेलोनिया और सदर सब-डिवीजनों में स्थित लुहारगीरी, रिंजिग और ट्रंक बनाने के उद्योग
	तांबा	..	उत्पन्न नहीं होता
	पीतल और पीतल की चादरें तथा तांबे की चादरें	नीचे का नोट देखिये	

नोट : पीतल और पीतल की चादरों तथा तांबे की चादरों पर कोई वितरण नियंत्रण नहीं है और जिन एककों को उन की आवश्यकता हो वे वास्तविक निर्माताओं से सामान्य व्यापारिक रीति से प्राप्त कर सकते हैं ।

हाथ से बनाये गये कागज का आयात

†४२३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९६०-६१ में हाथ से बनाये गये कागज का कितना आयात किया गया; और

(ख) उपयुक्त अवधि में हमारे देश में ऐसे कागज का कितना उत्पादन हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अक्तूबर, १९६० के अन्त तक हाथ से बनाये गये कागज का बिल्कुल भी आयात नहीं किया गया था। बाद की अवधि के संबंध में आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) दिसम्बर, १९६० के अन्त तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता किये जाने वाले विभिन्न एककों द्वारा १४,०७,७६७ पौंड हाथ से बनाये जाने वाले कागज का उत्पादन किया गया था।

महाराष्ट्र में रेशम उद्योग

†४२४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) पिछले दो वर्षों में इस दिशा में किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) इस समय महाराष्ट्र के लिये कोई निर्दिष्ट योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेशम उद्योग के लिये २५,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) पिछले दो वर्षों में १,०५,२०० रुपये की लागत की दो योजनायें, एक एटी के लिये और दूसरी टसर रेशम के लिये मंजूर की गई थी। नासिक क्षेत्र में रेशम कीट पालन प्रारम्भ करने के लिये प्रयोग कार्य शुरू किया गया है ।

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने के उद्योग

†४२५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में महाराष्ट्र में प्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार ने कितने बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किये; और

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितना विनियोजन हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सरकार ने निर्णय किया है कि २४.३५ करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से ट्राम्बे में एक उर्वरक कारखाना तथा ११ से १२ करोड़ रुपये की लागत से पनवेल के निकट बेसिक कैमिकल्स एण्ड इंटरमिडिएट प्लांट स्थापित किया जाये। उर्वरक परियोजना में निर्माण कार्य १९६० में आरम्भ हो चुका है और बेसिक कैमिकल्स प्लांट बनाने के लिये स्थान का चुनाव किया जा रहा है। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, पिम्परी, का विस्तार भी किया जा रहा है ।

विदेशी सहयोग के करार

†४२६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) १९५८, १९५९ तथा १९६० में विदेशी सहयोग के कितने करार स्वीकृत हुए हैं; और

(ख) इसी अवधि में कितने करारों को स्वीकृति नहीं दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९५८–६० में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के करार तथा इसी अवधि में अस्वीकृत करारों की संख्या नीचे दी जाती हैं :—

	स्वीकृत	अस्वीकृत
१९५८ . . .	६४	२४
१९५९	१५४	१७
१९६०	३८१	२२

पंजाब में चाय उद्योग का विकास

†४२७. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ तथा १९६० में पंजाब में चाय उद्योग का विकास करने के लिये पंजाब सरकार को अथवा चार्य बोर्ड को केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता अथवा अनुदान दिया है;

(ख) इसी अवधि में राज्य में चाय का कारखाना बनाने के लिये उल्लिखित सरकार को कितना अनुदान अथवा ऋण दिया गया; और

(ग) इस राज्य में ही चाय की किस्म को अच्छा बनाने के लिये चाय बोर्ड ने और क्या कार्यवाहियां की हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). यद्यपि पंजाब के चाय उद्योग का विकास करने के लिये कोई सहायता अथवा ऋण नहीं दिया गया है, परन्तु १९५७ में चाय बोर्ड ने कांगड़ा की केन्द्रीय चाय फैक्टरी बनाने के लिये वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इस कार्य के लिये ब्यौरेवार योजना बनाने के लिये पंजाब सरकार से प्रार्थना की गई थी। योजना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है

(ग) सरकार ने एक प्राथमिक योजना बनाई है जिस के अनुसार बागानों की मरम्मत आदि के लिये तथा चाय की मशीनों की मरम्मत के लिये धन दिया जायेगा। कांगड़ा के चाय बागानों से ऋण के लिये बोर्ड को अब तक ११ आवेदन पत्र मिले हैं जिन में एक वापस ले लिया गया और एक अस्वीकार कर दिया गया। शेष आवेदकों से और जानकारी मांगी गई है। जिस की प्रतीक्षा की जा रही है।

हाल में ही बोर्ड ने एक क्षेत्रीय सलाहकार पदाधिकारी नियुक्त किया है जो कांगड़ा और मंडी के छोटे चाय उत्पादकों को चाय की खेती के तथा चाय बनाने के नये तरीकों की सलाह देगा। आशा है कि पदाधिकारी कांगड़ा और मंडी में शीघ्र अपना पद संभाल लेगा।

टायरों का आयात

†४२८. **श्री कुंहन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से १९५९ की अवधि में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के कितने टायरों का आयात किया गया; और

(ख) दिल्ली में कौन से आयातक विदेशों से टायरों का आयात करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानुनगो)** : रबड़ टायरों के देशवार आयात आंकड़े तथा उन आयातकर्ताओं के नाम जिन्हें लाइसेंस दिये जाते हैं, "मन्थली स्टेटिटिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया" (जिस का नाम जनवरी, १९५७ से पहले "एकाउन्ट्स रिलेटिंग टु दि फारेन ट्रेड एण्ड नेवीगेशन आफ इंडिया" था) में नियमित रूप से प्रकाशति किये जाते हैं। इस की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। भिन्न भिन्न 'मेक' के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जिन आयातकर्ताओं को लाइसेंस दिये जाते हैं उन के नाम "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस की प्रतियां भी संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

राजस्थान में उद्योग

†**४२९. श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में राजस्थान में विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये राजस्थान राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कितना धन आवंटित किया है और अग्रिम दिया है; और

(ख) यह उद्योग कौन कौन से हैं इन में कितने व्यक्ति नियुक्त हो सकतें हैं और यह किन स्थानों पर स्थापित होंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह)**: (क) दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में राजस्थान में विभिन्न उद्योगों के विकास के लियै राजस्थान राज्य को केन्द्रीय सरकार ने ७२८.२० लाख रुपया आवंटित किया।

(ख) जिन उद्योगों का विकास किया गया है वह निम्नलिखित हैं:—

(क) खादी (परम्पराप्गत तथा अम्बर)
(ख) ग्रामोद्योग
(ग) छोटे पैमाने के उद्योग (औद्योगिक बस्तियों सहित)
(घ) रेशमकीट पालन
(ड़) हथकरघा
(च) हस्तशिल्प

इन ग्राम उद्योगों का विकास राज्य के विभिन्न भागों में किया गया है और विकास के स्थानों का विनिश्चयन करने के लिये बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी का ध्यान रखा गया है। कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा इस बारे में और स्थापना के स्थान के बारें में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में मध्यम आय और अल्प आय वर्ग आवास याजनाओं के अधीन सहायता

†**४३०. श्री ओकार लाल**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक मध्यम और अल्प आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन राजस्थान में वर्षवार कितना ऋण दिया गया; और

(ख) जिलेवार अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ख) राजस्थान में बनाये गये मकानों के जिलेवार आंकड़े राज्य सराकार से मंगाये गये हैं और मिलने पर सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब तथा राजस्थान में अम्बर चर्खे का प्रचार

४३१. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक राजस्थान तथा पंजाब में अम्बर चरखे के प्रचार के लिये दिया गया धन वर्षवार कितना है ;

(ख) अब तक कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ग) अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

राजस्थान तथा पंजाब में खादी का उत्पादन

†४३२. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ (मासवार) में राजस्थान और पंजाब में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) १९६१-६२ में राजस्थान तथा पंजाब में खादी के उत्पादन के लक्ष्य क्या निश्चित किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह :** (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) १९६१-६२ के लिये खादी के उत्पादन लक्ष्य अब तक निश्चित किये गये हैं ।

विवरण

अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर १९६०-६१ में राजस्थान तथा पंजाब में खादी का उत्पादन निम्नलिखित है :—

(वर्ग गज़ में)

महीना	राजस्थान १९६०-६१ में खादी का उत्पादन	पंजाब १९६०-६१ में खादी का उत्पादन
अप्रैल .	२,०६,९२४	६,८५,३९१
मई .	१,८३,१७०	५,६९,१७५
जून .	२,२४,६९९	६,८१,८८६
जुलाई .	२,६८,२२४	७,४२,९८५
अगस्त	२,८९,३२९	४,४७,२९०
सितम्बर	६७,०७७	४,३३,०७७
अक्तूबर	७९,७००	५,२४,८९४
नवम्बर	५७,२८२	६,२८,५५८
दिसम्बर	३५,४४३	६,७२,५६९
जोड़	१४,११,८४८	५३,८५,८२५

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू में बम विस्फोट

†४३३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के पाकिस्तान की सम्बा सीमा से तीन मील पर रैन गांव की सड़क पर तीन बम फटे थे ;

(ख) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस के क्या परिणाम हुए ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १७ दिसम्बर को जम्मू-सियालकोट सीमा में लगभग २½ मील अन्दर की ओर तथा हीरानगर पुलिस थाने के पश्चिम में ५ मील पर एक ट्रक के नीचे एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट स्थल से लगभग एक मील की दूरी पर बाद में ३ सी ई/टी एन टी स्लैब मिले। निश्चित रूप में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों ने यह विस्फोटक वहां रखे थे।

(ख) और (ग). जम्मू तथा काश्मीर पुलिस ने जांच के लिये एक मामला रजिस्टर कर लिया है।

उर्वरकों का निर्माण

†४३४. { श्री प्र० गं देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सं० अ० मेहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र मे उर्वरकों के निर्माण के बारे में अपनी नीति में रूपभेद कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन उर्वरक उद्योग का विकास अनुसूची 'ख' के अन्तर्गत आता है जिस में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जिन को राज्य स्थापित करने में प्रारंभिक कार्य करेगा। परन्तु गैर-सरकारी उपक्रम भी राज्य के इन प्रयत्नों में सहयोग दे सकते हैं। उन में बताई गई नीति का अनुकरण किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फरटिलाइजर्स लिमिटेड नंगल

†४३५. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल में हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना में और क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३)**

बागान मजदूरों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय

†४३६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बागान मज़दूरो के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय के अनुसमर्थन के लिये और क्या प्रगति हुई हैं ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय में वर्गीकृत बागानों में कृषि के लिये नियुक्ति के तरीकों तथा जोतों की सीमाओं के बारे में जांच की जा रही है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के अनुसमर्थन के सम्बन्ध मे निर्णय तभी किया जायेगा जब आंकड़े मिल जायेंगे और उन की परीक्षा कर ली जायेगी ।

साड़ियों का निर्यात

†४३७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) लंका, बर्मा, अफगानिस्तान, अमरीका, थाईलैंड, सउदी अरब, पूर्व फ्रीका, सिंगापुर सूडान और अन्य देशो को भारतीय साड़ी का निर्यात बढ़ाने के क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक नोट संलग्न है ।

विवरण

(क) वस्त्रो के निर्यात को बढ़ाने के प्रयत्न एक साथ किये जाते हैं और इसी में साड़ियों का निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न भी आ जाते हैं । परन्तु जहां पर भी कहीं बाजार का अध्ययन करने पर यह

---

†मूल अंग्रेजी में

पता लगा है कि वहां पर साड़ियों की खपत अधिक है वहां पर सभी प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं जिस से भारतीय साड़ियों की बिक्री बढ़ सके। उदाहरण के रूप में दिसम्बर १९६० मे लंका में सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने एक प्रदर्शनी की थी जिस में मुख्यत: साड़ियां ही थी। परिषद् विदेशो में हो रहे मेलों तथा प्रदर्शनियो मे भी भाग लेते हैं। उन मे साड़ियों समेत भारतीय सूती वस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। हथकरघा निर्यात संगठन भी हथकरघा कपड़ों के निर्यात को बढ़ाने के लिये बनाया गया है।

(ख) सामान्यत: ऐसा मालूम होता है कि १९६० में अमरीका में भारतीय साड़ियां बिकने लगी हैं और प्रश्न में बताये गये देशों में साड़ियों का निर्यात किया जा रहा है।

विदेशों में भारतीय राजदूत

†४३८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे कितने राजदूत १. जनता (गैर-सरकारी) के हैं तथा कितने (२) भारतीय असैनिक सेवा तथा अन्य सेवाओ के हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** इस समय १५ गैर-सरकारी राजदूत और तीन आई. सी. एस. और पो. सी. एस. के राजदूत हैं।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के भाषण तथा लेख

४३९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चै० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के भाषणों तथा लेखों के संकलन व प्रकाशन के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). प्रकाशन-सलाहकार समिति ने समाचार-पत्रों और हमारे दूतावासों की मार्फत जो अपील की थी उस के उत्तर में, पूर्व-एशिया के देशों से कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, जिस की इस समय पब्लिकेशन्स डिविज़न मे छानबीन हो रही है। उम्मीद है कि संकलन लगभग इस वर्ष के मध्य तक प्रकाशित हो जायगा।

ऊन उद्योग का आधुनिकीकरण

४४०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊन उद्योग के पुन: संस्थापन तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट, जो विचाराधीन थी, में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह) : कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर जारी किये गये सरकार के प्रस्ताव तिथि तथा कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

सेरस का निर्माण

†४४१. **श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसी कच्ची सामग्री का निर्यात करने की अनुमति दे देती है जिससे सरेस बनाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस कारण भारतीय सरेस वाले कारखानों में कच्ची सामग्री की कमी पड़ जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्यात करने की अनुमति देने में क्या क्या लाभ है :

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां परन्तु नियन्त्रित रूप में।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई सिफारिश नहीं मिली है।

(ग) निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा मिलती है

सरकारी प्राइवेट लिमिटेड समवायों का निवेदन निदेशक बोर्ड

†४४२. **श्री वे० पे० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि केन्द्रीय सरकार के प्राइवेट लिमिटेड समवायों के निदेशक बोर्ड में कितने प्रतिशत गैर-सरकारी सदस्य हैं।

उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह): केन्द्रीय सरकार के समवायों के निदेशक बोर्ड में ३०.८ प्रतिशत गैर-सरकारी सदस्य हैं।

निर्यात

†४४३. **श्री कोडियान :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९६० में निर्यात के क्या लक्ष्य निश्चित किऐ थे;

(ख) क्या लक्ष्य पूरे हो गये हैं;

(ग) यदि नहीं तो कमी के क्या कारण है; और

(घ) एसी कौनसी मदें हैं जिनमें निर्यात आय की कमी हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) से (घ). निर्यात संवर्द्धन निदेशालय ने, निर्यात संवर्द्धन परिषदों वस्तु बोर्डों के परामर्श से भारत के निर्यात की लगभग १६५ वस्तुओं अर्थात् ९० प्रतिशत के १९६०–६१ में निर्यात में अग्रिम प्राक्कलन बनाये थे। पत्री वर्ष १९६० के प्राक्कलन नहीं बनाये गये थे।

†मूल अंग्रेजी में

१९६० में कुल निर्यात ६३६ करोड़ रुपयों के थे जो १९५९ के निर्यात से १५ करोड़ रुपये अधिक थे ।

१९६० के पूरे वर्ष के प्रत्येक वस्तु के आंकड़े इकट्ठे हो जाने पर मुख्य वस्तुओं के निर्यात का अध्ययन किया जायेगा ।

जनता होटल, दिल्ली

†४४४. **श्री कोडियान :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित जनता होटल, दिल्ली के प्राक्कलन तथा नक्शे बना लिये गए हैं; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है ;

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन और प्रारम्भिक नक्शे बना लिये गये हैं और सरकार के विचाराधीन हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण, बिभाग में श्रम पदाधिकारी

†४४५. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब तक कर्मचारी संनामावलि में रहते हैं तब तक केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के श्रम पदाधिकारियों के उनके सम्बन्ध में क्या कार्य होते हैं ?

(ख) क्या वह रजिस्टर्ड कार्मिक संघों द्वारा उनके पास भेजी गई संनामावलि के कमचारियों की मांगों को सुन सकते हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) श्रम पदाधिकारी कार्य भारित अथवा संनामावलि वाले सभी कर्मचारियों के लिये कल्याण पदाधिकारी होते हैं ।

(ख) जी हां ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास

†४४६. **श्री वें० प० नायर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (ख) ५०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा (ग) प्रति मास ५०० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को १५ जनवरी १९६१ तक सरकारी आवास नहीं मिले थे तथा दिल्ली और नई दिल्ली में कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सरकारी आवास मिल गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : सामान्य रूप मूल में आवास के बारे में यह स्थिति है :—

	सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता जिन्हें सरकारी आवास आवण्टित किया गया है	सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता जिन्हें अभी आवास नहीं मिला
दिल्ली		
(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी . .	१६.६	८३.४
(ख) ५०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारी . . .	१६.०	८४.०
(ग) ५०० रुपये तथा अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी	५.०	९५.०
नई दिल्ली		
(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	४४.३	५५.७
(ख) ५०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारी	३९.०	६१.०
(ग) ५०० रुपये और अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी . .	५७.४	४२.६

उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग

†४४७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं के लिये यह सहायता दी गई थी ;

(ग) कितनी सहायता दी गई थी; और

(घ) इसमें से कितनी ऋण के लिये तथा कितनी अनुदान के रूप में थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) पायदानों, फर्शी चटाइयों तथा अन्य नारियल जटा वस्तुओं के निर्माण के लिये बनाई गई सहकारी संस्थाओं को सहायता दी गई है।

(ग) ६९,७५० रुपये की राशि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में मंजूर की गई है। पांचवें वर्ष के लिये मंजूरी मार्च १९६१ में, दिसम्बर १९६० को समाप्त होने वाले नौ महीनों के वास्तविक व्यय के आधार पर एवं जनवरी-मार्च १९६१ के अनुमानित व्यय के आधार पर जारी की जाएगी।

(घ) ४१,२५० रुपये ऋण तथा २८,५०० रुपये अनुदान।

ईरान को पटसन के सामान का निर्यात

†४४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में ईरान को कितना तथा कितने मूल्य के पटसन के सामान का निर्यात किया गया था ;

(ख) क्या प्रतिवर्ष निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इससे यह समझा जाए कि भारतीय पटसन के उत्पादों में अनुमानतः वृद्धि हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क)

वर्ष	निर्यात मात्रा (टनों में)	मूल्य (हजार रुपयों में)
१९५८	८१३	१,१६३
१९५९	२,१६८	३,२६५
१९६०	३,०६३	५,२३४

(ख) जी, हां।

(ग) वृद्धि के कारण अन्य कारणों के साथ-साथ ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने सितम्बर, १९५९ में, वस्तुविनिमय आधार पर ईरान को नारियल जटा सामान के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

(घ) जी, नहीं।

क्यानाइट अयस्क

†४४९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में कितनी मात्रा में क्यानाइट अयस्क का भारत से निर्यात किया गया था;

(ख) इसका किन देशों को निर्यात किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन निर्यातों के फलस्वरूप भारत को डालरों तथा स्टर्लिंग के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई हुई; और

(क) देश में इस अयस्क का कितनी वार्षिक खपत है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) १९५८ में १९,१५८ लौंग टन और १९५९ में २२,३३५ लौंग टन और १९६० (जनवरी-नवम्बर) में १५,३४६ मीट्रिक टन ।

(ख) मुख्यतया इंग्लिस्तान, अमरीका, नीदरलैंड, बैल्जियम, डैनमार्क, इटली, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और पश्चिम जर्मनी को ।

(ग) १९५८ में ५,५७०,६४१ रुपये के बराबर, १९५९ में ५९,७५,२०१ रुपये के बराबर तथा १९६० में (जनवरी-नवम्बर) में ३९,९९,८८८ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा कमाई गई ।

(घ) लगभग १०,००० टन ।

भूमिहीन श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय

†४५०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भूमिहीन श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय ४० प्रतिशत घट गई है;

(ख) क्या त्रिपुरा के भूमिहीन श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय ४५ प्रतिशत गिर गई है; और

(ग) यदि हां, तो वह क्यों गिर गई है और इसे बढ़ाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस रूप में भूमिहीन श्रमिकों की पृथक आय सांख्यिकी दूसरी कृषि श्रम जांच में एकत्रित नहीं की गई थी । तथापि कृषि श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय समूचे तौर पर १९५०–५१ और १९५६–५७ के बीच ४.४ प्रतिशत तक गिर गई प्रतीत होती है ।

(ख) दूसरी कृषि श्रमिक जांच में त्रिपुरा के लिये एकत्रित आय सांख्यिकी पृथक से नहीं रखी गई थी किन्तु वह आसाम की सांख्यिकी के साथ मिला दी गई थी और उक्त अवधि में कृषि श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय १२.९ प्रतिशत तक बढ़ गई प्रतीत होती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मग लैम्प

†४५१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खानों में मग-लैम्पों के उपयोग के बारे में आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

†**श्रम तथा रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : मुख्य खान निरीक्षक ने ९ मई १९५९ को सब कोयला खानों के प्रबंधकों को एक परिचारी पत्र भेजा जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अपनी खानों से मग-लैम्प या ऐसे ही खुले लैम्पों को हटा दें । उपलब्ध सूचना

---

†मूल अंग्रेजी में

के अनुसार अधिकांश मग बत्तियों के स्थान पर लालटेनें रख दी गई हैं यद्यपि लालटेनों की कमी के कारण उनको बदलने में कुछ विलम्ब हो गया था ।

निर्यात

†४५२. **श्री मुरारका :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन निदेशालय की स्थापना से लेकर किन वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है;

(ख) निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) किन देशों को यह निर्यात बढ़ाया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). निर्यात संवर्धन निदेशालय अगस्त, १९५७ में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया था । १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में कुल निर्यात इस प्रकार था :

मूल्य (करोड़ रुपयों में)

१९५७	१९५८	१९५९	१९६०
६०२.०	५६२.२	६२०.४	६३५.७

वस्तु वार तथा देश वार निर्यात सांख्यिकी वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकी के महा निदेशक द्वारा 'विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी' में प्रकाशित की जाती है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय प्रतिनिधिमंडल

†४५३. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न विषयों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में तब से कोई प्रगति की गई है ;

(१) दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय उद्भव के लोगों के प्रति व्यवहार;

(२) अल्जीरिया का प्रश्न; और

(३) दक्षिण अफ्रीका में जाति संघर्षों का प्रश्न ।

(ख) यदि हां, तो क्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'न' हो तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के १५वें सत्र में विषय संख्या २ की चर्चा की गई थी और एक संकल्प

---

†मूल अंग्रेजी में

पारित किया गया था, जिस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४]**

महा सभा के १५वें सत्र के पहले भाग में विषय संख्या १ और २ की चर्चा नहीं की जा सकी, और ये विषय फिर से होने वाले सत्र की विषय सूची में सम्मिलित किये गये हैं, जो ७ मार्च, १९६१ को न्यूयार्क में आरम्भ होगा।

केन्द्रीय सरकार के अफसरों के लिये आवास

†४५४. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अफसरों के लिये आवास की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त अधिक फ्लैट बनाने का इरादा रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर 'न' है तो क्या अफसरों के लिये मकानों का प्रबन्ध करने के लिये सरकार ने कोई वैकल्पिक योजना बनाई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जहां तक दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल आवास के लिये अर्ह सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ७९७५७ की कुल मांग में से लगभग ४९५०० आवासों की इस समय कमी है ;

(ख) तथा (ग) चालू मंजूर निर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

आवास श्रेणी	बन रहे क्वाटरों की संख्या	क्वाटरों की संख्या जो बनाये जायेंगे
ए और बी	२७	—
सी १.	—	२
सी २.	८	—
डी २	८	—
ई	१,५००	४४
एफ .	४६०	३६०
जी . .	१,३४४	२,७२४
चौथी श्रेणी के लिये . .	५४०	५७६
कार्य भारित कर्मचारियों के लिये . . .	८८८	६९२

तीसरी योजना में अधिक क्वाटरों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत का प्रसारण

†४५५. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से शिकायतें आई हैं कि आकाशवाणी से प्रसारित शास्त्रीय संगीत वास्तव में वही होता है और एक सप्ताह में बार बार दोहराया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). लन्दन के एक श्रोता से केवल एक शिकायत मिली है जिस में कहा गया है कि जब उस ने एक रात्रि को आकाशवाणी स्टेशन लगाया तो उस ने वही संगीत सुना जो उसी दिन ११ बजे मध्याह्न पूर्व सुना था। जांच करने पर यह पता चला कि उस ने एक बार इंग्लिस्तान के लिये आकाशवाणी की अंग्रेज़ी सेवा को सुना था और दूसरी बार आस्ट्रेलिया तथा उत्तर-पूर्व एशिया के लिये आकाशवाणी की अंग्रेज़ी सेवा को सुना था। अतः शिकायत ठीक नहीं है क्योंकि वह कार्यक्रम विभिन्न समयों पर विभिन्न लक्ष्य क्षेत्रों को प्रसारित किया गया था।

राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निगम

†४५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शेष राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निगमों की स्थापना के बारे में तब से क्या प्रगति की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये एक निगम की स्थापना की मंजूरी दे दी है। आसाम सरकार ने आसाम सरकारी विपणन निगम नाम का एक निगम स्थापित किया है।

फरीदाबाद का प्रशासन

४५७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद नगर का प्रबन्ध पंजाब सरकार द्वारा स्थापित नोटिफाइड एरिया कमेटी को सौंप दिया गया है ;

(ख) क्या फरीदाबाद विकास मंडल के सब अधिकारियों को यह कमेटी रख लगी ; और यदि हां, तो वेतनादि के नियम क्या वही होंगे जो अब तक रहे हैं ;

(ग) विकास मंडल के कितने अधिकारियों पर इस का प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) फरीदाबाद विकास मंडल को जो काम आरम्भ में सौंपे गये थे क्या वे सब पूरे हो गये हैं अथवा कुछ शेष हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां, उपनगर का नगरपालिका प्रशासन १-१-६१ से नोटिफाइड एरिया कमेटी को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) और (ग). १७२ कर्मचारी जोकि नगरपालिका सम्बन्धी सेवाओं पर नियुक्त थे उन में से १६० को नोटिफाइड एरिया कमेटी ने उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर रख लिया है जोकि वे बोर्ड के अधीन प्राप्त कर रहे थे। केवल १२ कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अधीन प्रतिकर देने के बाद अवछेदन किये गये हैं।

(घ) जी हां, जलोत्सारण के अतिरिक्त सारा विकास कार्य समाप्त हो चुका है। जलोत्सारण के काम को पूरा करने के लिये पंजाब सरकार को ३.९८ लाख रुपये दिये जायेंगे।

अखबारी कागज का दुरुपयोग

†४५८. **श्री कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के अखबारों द्वारा अखबारी काग़ज़ के कोटे के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कौन से अखबार इस में अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में और कोई विकास न हुआ।

बॉन में भारतीय राजदूतावास

†४५९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बॉन स्थित भारतीय राजदूतावास के निसृष्ट दूत के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). विभागीय कार्यवाही अभी जारी है।

सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाले काश्मीर के समाचार-पत्र

†४६०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर के कितने समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन मिलते हैं ; और

(ख) प्रत्येक समाचार पत्र का परिचालन कितना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). काश्मीर के जिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये जाते हैं, उन की संख्या १४ है। पत्रिकाओं और पत्रों के नाम बताये बिना उन का परिचालन बताना कठिन है और विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचार पत्रों आदि की सूची प्रकाशित करने की प्रथा नहीं है क्योंकि सामान्यतः उन सभी समाचार पत्रों के भाषा

---

†मूल अंग्रेजी में

माध्यम के सम्बन्ध में एक सूची रखी जाती है जोकि विज्ञापन के लिये निवेदन करते हैं और प्रत्येक विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार उन्हें विज्ञापन सम्बन्धी कार्य दिये जाते हैं। कभी कभी विज्ञापन इस प्रकार से दिये जाते हैं कि अधिक से अधिक समाचार पत्रों का उपयोग किया जा सके।

फिर भी, उन्हें विज्ञापन देते समय उन के परिचालन, उन की प्रकाशन सम्बन्धी नियमितता, पढ़ने वाले व्यक्तियों के वर्ग और पत्रकारिता सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन आदि सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

नंगल बांध पर भारी विद्युत् कारखाना

†४६१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के उत्तरी भाग में एक भारी विद्युत् कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ दल ने नंगल बांध तथा कुछ अन्य स्थानों का दौरा किया था और नंगल बांध को इस के लिये सब से अधिक उपयुक्त स्थान पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कारखाना कब स्थापित किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). उस समिति ने पंजाब में नंगल और अन्य स्थानों तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों का दौरा किया है। वह समिति उन विभिन्न स्थानों के प्रविधिक तथा अन्य गुणों के सम्बन्ध में विचार कर रही है। आशा है कि स्थान के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा।

इंगलैण्ड में बसों के सिख कंडक्टर

†४६२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैनचेस्टर के बसों के सिख कंडक्टर काम करते समय पगड़ी पहनने के अपने अधिकार की रक्षा कर सके हैं ;

(ख) क्या उन सिखों ने अपने अधिकार की रक्षा के लिये भारतीय उच्च आयोग की सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार को ज्ञात हुआ है कि मैनचैस्टर परिषद् ने, जोकि पूर्णरूपेण एक स्वायत्त निकाय है, और जिस ने इस सम्बन्ध में विचार किया था, बस कंडक्टरों द्वारा पहने जाने वाले गणवेश में, जिस में पीक कैप पहनना आवश्यक है, परिवर्तन करने से इनकार कर दिया है।

(ख) और (ग) जहां तक सरकार को ज्ञात है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और भारतीय उच्चायोग इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता क्योंकि मैनचेस्टर परिषद् एक स्वायत्त-प्राप्त निकाय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर कारों का निर्माण

†४६३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से १९६० तक की अवधि में भारत में विभिन्न प्रकार की कितनी मोटर कारों का उत्पादन किया गया है ;

(ख) १९५६ से १९६० तक इन कारों का वर्षवार और राज्यवार वितरण क्या है ;

(ग) क्या इन निर्मित कारों में से कुछ प्रतिशत कारें राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों के लिये रक्षित कर ली जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी प्रतिशत कारें रक्षित की जाती हैं और उन में से विभिन्न राज्यों का अंश कितना होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १९५६ से १९६० तक के उत्पादन आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०
१. फियट '११००'	४,०८५	३,९७७	१,२२६	४,३८०	६,४५३
२. स्टैण्डर्ड '१०' .	१,४११	१,४४२	१,१२९	१,३९२	३,३२६
३. हिन्दुस्तान एम्बेस्डर .	४,८२५	४,७८८	३,८३३	५,५९५	९,१९९
४. बेवी हिन्दुस्तान	२६३	—	७४६	३९	९
५. स्टैण्डर्ड वेनगार्ड .	४२५	८०९	३३३	३९७	३७
६. डाज/प्लाइमाउथ	१६.३७	८९६	६१७	७९	६३
७. स्टुडबेकर	७२५	२९८	२२९	१११	९
८. अन्य .	२९५	१	..	..	..
(कामरवेन, मोरिस)	———	———	———	———	———
कुल .	१३,६६६	१२,२११	८,११३	११,९९३	१९,०९६

उक्त आंकड़ों में उक्त कारों की स्टेशन वेगनें, डलिवरी तथा युटिलिटी वैन माडल भी सम्मिलित हैं। क्रम संख्या ४ से ८ तक की कारें इस समय देश में तैयार नहीं की जा रही हैं।

(ख) १ मई, १९५९ से पहले, अर्थात मोटर कार (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश के लागू होने से पहले इन का वितरण स्वयं निर्माताओं द्वारा प्रत्येक क्षेत्र की मांग और व्यापार के अनुसार स्वेच्छा से किया जाता था। मोटर कार (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९५९ के अधीन, जोकि केवल तीन प्रकार की कारों अर्थात् फियट '११००', स्टेण्डर्ड '१०' और हिन्दुस्तान एम्बेसडर पर लागू होता है, मोटर कार नियंत्रक द्वारा इन तीनों के निर्माताओं को ये हिदायतें जारी की गयी थीं कि प्रत्येक तिमाही में किसी भी राज्य में वितरण के कोटे का अनुपात उस तिमाही में

†मूल अंग्रेजी में ।

वितरण के लिये निर्माता के पास उपलब्ध कुछ कारों का तुलना में इतना होना चाहिये जितना कि १९५६ या १९५७ के प्रतिवर्ष में उस राज्य में वितरित की गयी मोटरकारों की संख्या देश के विभिन्न राज्यों में उन कारों की कुल संख्या की तुलना में हो। प्रत्येक वर्ष में विभिन्न राज्यों को दी गयी कारों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

(ग) और (घ). मोटर कार वितरण तथा विक्रय नियंत्रण आदेश, १९५९ के अधीन मोटरकार नियंत्रक द्वारा हिदायतें जारी की गयी थीं जिनके अनुसार प्रत्येक निर्माता को प्रत्येक राज्य सरकार के लिये प्रत्येक तिमाही में उस राज्य में वितरण के लिये निर्धारित कुल कारों में से ५ प्रतिशत कारें प्राथामिक आवंटन के लिये रक्षित कर देनी पड़ती है, परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के आवंटन में एक तिमाही में एक से कम और पांच से अधिक कारें रक्षित न की जायें। केन्द्रीय सरकार के लिये कोटा प्रतिशतता आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है। यह प्रत्येक तिमाही में अलग अलग होता है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कोटे मुख्यतया सरकारी विभागों, संस्थाओं आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रखा जाता है। यदि आवश्यकता पूर्ति के बाद कुछ कोटा शेष बच जाता है, तो वह संसद्-सदस्यों राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों आदि को आवंटित कर दिया जाता है।

राजघाट पर क्वार्टर

†४६४. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट समाधि के क्वार्टरों में रहने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से अभी तक किराया लिया जा रहा है ; और

(ख) क्या उनसे लिया गया किराया उन्हीं वापस किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के परामर्श से उन कर्मचारियों से अभी तक लिये गये किराये वापस कर देने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से जल संभरण शुल्क की वसूली

†४६५. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण :** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकत प्रश्न संख्या १७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट समाधि क्वार्टरों के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से जल संभरण शुल्क की वसूली के मामले का पुनरीक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों से १९५४ और १९५५ की अवधि के लिय भी जल संभरण शुल्क वसूल किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध

†४६६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सूती वस्त्र सार्थ हैं जिनका प्रबन्ध इस प्रकार से किया जा रहा है कि वह अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित की दृष्टि से घातक सिद्ध हो रहा है ;

(ख) १९५८–५९ और १९५९–६० में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अधीन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) उन मामलों के सम्बन्ध में जांच की इस समय क्या स्थिति है और प्रबन्ध के बारे में अभी तक कितना पता लगा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा १५ के अधीन १९५८–५९ में ३ सूती मिलों १९५९–६० में ९ मिलों और १९६०–६१ में ८ मिलों के विरुद्ध जांच कार्य प्रारम्भ किये गये थे। उन की जांच के आदेश उस समय दिये गये थे जब कि इन मिलों की व्यवस्था खराब हो जाने के सम्बन्ध में सूचना मिली थी और या तो वे मिले बन्द हो चुकी थीं या बन्द होने वाली थीं। उन मिलों की व्यवस्था में खराबी हो जाने का कारण या तो वित्त की कमी थी या प्रबन्ध की कार्यकुशलता का अभाव था या असंतोष-जनक प्रबन्धकार्य था या कुछ और कारण थे। सिवाय चार मिलों के शेष सभी के सम्बन्ध में जाँच की रिपोर्टें प्राप्त हो गयी है। रिपोर्टें प्राप्त होने पर यथासंभव आवश्यक कार्यवाही की गयी है जिसके अधीन या तो उन सार्थों के प्रबन्ध को सुधार दिया गया है या प्राधिकृत नियन्त्रक के अधीन उन सार्थों के प्रबन्ध को ले लिया गया है। सरकार ने ६ मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया है और इसके लिये प्राधिकृत नियन्त्रक या प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त कर दिये हैं।

आसनसोल में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†४६७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में श्रमिक शिक्षा के लिये स्थापित प्रशिक्षण स्थापित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वह कब स्थापित किया जायगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं।

(ख) मामला अभी केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियर और टेक्निशियन

†४६८. श्री कोरटकर :
श्री दामानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने नवयुवक इंजीनियर और टेक्निशियन हैं जिन्होंने गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करने के लिये सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी विभागों की नौकरी छोड़ दी है ; और

(ख) यदि उनकी संख्या अधिक है तो क्या सरकार इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों के वेतन क्रम बढ़ा देने की जरूरत को महसूस करती है।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यह जानकारी इकट्ठी करना कठिन है,क्योंकि इसे बहुत से सरकारी उपक्रमों और मंत्रालयों तथा विभागों से इकट्ठा करना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष उपक्रम या भाग के बारेमें जानकारी चाहें तो उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिये यत्न किया जा सकता है ।

(ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि अधिक संख्या में इंजीनियर आदि सरकारी क्षेत्र को छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्र में चले गये हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गये हैं तथापि सरकार के विचार से ऐसे व्यक्तियों की संख्या थोड़ी सी रही है । सरकारी उपक्रमों द्वारा इन कर्मचारियों के वेतनक्रमों के सम्बन्ध में निरन्तर विचार किया जा रहा है

मजूरी अदायगी अधिनियम

†४६९. श्री तंगामणि : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने मजूरी अदायगी अधिनियम को फैक्टरियों तथा रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिक किसी और औद्योगिक संथापन के किन्हीं कर्मचारियों पर ही लागू किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस राज्य सरकार ने किस किस वर्ग के कर्मचारियों पर मजूरी अदायगी अधिनियम लागू किया है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जीं, हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है ।

राज्य/क्षेत्र	वे उद्योग/सेवायें जिन पर यह अधिनियम लागू किया गया है ।
आन्ध्र प्रदेश	मोटर ओमनी बस सेवायें, गोदी, घाट या जहाज के उतरने के घाट; विशाखा-पटनम के अन्तर्देशीय जहाजों के मजदूर ।
आसाम	मोटर ओमनी बस सेवायें, बागान, अन्तर्देशीय वाष्प नौपरिवहन सेवायें, गोदी, घाट या जहाज के उतरने के घाट ।
बिहार	मोटर ओमनी बस सेवायें, अन्तर्देशीय वाष्प नौपरिवहन सेवायें ।

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई	कारखाना अधिनियम की धारा ८५ के अधीन घोषित किये गये कारखाने, गोदी, बम्बई दूकान तथा वाणिज्यिक संस्थापना अधिनियम के अधीन सम्मिलित होने वाले संस्थापन, कांडला पत्तन की गोदी घाट या जेटी में, सामान चढ़ाने, उतारने, इकट्ठा करने या उठाने का काम करने वाले व्यक्ति या कांडला पत्तन छोड़ने पर सामान की प्राप्ति या उतारने के लिये जहाजों की तैयारी के सम्बन्ध में काम करने वाले व्यक्ति ।
केरल	मोटर ओमनी बस सेवायें; अन्तरर्देशीय बाष्प जहाज, कोचीन की गोदी, घाट या जहाज उतरने के घाट, बागान, (१) भवनों, सड़कों, पुलों और नहरों के निर्माण, आवास या संधारण (२) नौपरिवहन, सिंचाई या जल संभरण और (३) बिजली के पैदा करने, पारेषण और वितरण से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक कारखानों और संस्थापनों ।
मध्य प्रदेश	मोटर ओमनी बस सेवायें, बागान, कारखाना अतिनियम, की धारा ८५ के अधधीन घोषित किये गये कारखाने, मोटर तथा अन्य परिवहन उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के सभी वर्ग, वे संस्थापन जिन में इमारतों, सड़कों, पुलों या नहरों के निर्माण विकास या संभरण से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों अथवा नौ-परिवहन सिंचाई या जल सम्भरण के कार्य या बिजली या किसी और प्रकार के विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के सम्बन्ध में कार्य किये जाते हैं ।
मैसूर	मोटर ओमनी बस सेवायें, बागान, मैसूर, आयरण खण्ड स्टील वर्क्स में ट्रामवेज ।
उड़ीसा	किन्हीं परमिटों के अधीन मोटर गाड़ियों तथा पब्लिक करियर, बांस के वन सम्बन्धी कार्यों के संस्थापन ।
पंजाब	मोटर अओमनी बस सेवायें, बागान, सरकारी तथा गैर-सरकारी परिवहन कम्पनियां, पत्थर की खानें, और किन्हीं विशेष प्रकार के कारखाने ।
उत्तर प्रदेश	छापे खाने ।
पश्चिमी बंगाल	मोटर अमनी बस सेवायें, गोदी, घाट या जेटी, ट्रामवेज, बागान ।
दिल्ली	मोटर ओमनी बस सेवायें, मोटर माल परिवहन सेवायें, ट्रामवेज, सड़क निर्माण या भवन निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने तथा पत्थर कूटने के कार्य ।
त्रिपुरा	मोटर ओमनी बस सेवायें ।
जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में	खानें, (भारत सरकार द्वारा लागू किया गया)

नई दिल्ली नगरपालिका को स्थानान्तरित कर्मचारी

†४७०. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों को, जो कि नई दिल्ली नगर पालिका को स्थानान्तरित किये गये हैं, सेवाओं की कोई शर्तें और निबन्धन प्रस्तावित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्या क्या हैं;

(ग) क्या उन कर्मचारियों के वेतनों को बढ़ा दिया गया है और पुनर्निर्धारण पर उन्हें कोई बकाया राशियां दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) कार्य प्रमाणित कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने के प्रश्न को तभी लिया जायेगा जबकि वे केन्द्रीय लोक निर्माणविभाग में वापस आने के लिये विकल्प देंगे ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** : (गोहाटी) : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उसे अस्वीकृत कर दिया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह विषय अविलम्बनीय है, क्योंकि इस का संबंध भारतीय विमान बल के कुछ कर्मचारियों को, जिन को बन्दी बना लिया गया था, उन्हें हस्तांतरित करने से संबंधित है, मुझे अभी अभी यह जानकारी मिली है कि उपद्रवी नागाओं ने बन्दियों के संबंध में नागा नेता फिजो से जो कि इस समय लंदन में हैं लिखा है । देश इन बन्दियों को उपद्रवियों के हाथों से मुक्त कराने को चिन्तित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई ?

†**श्री हेम बरुआ** : यह जानकारी आसाम ट्रिब्यन के एक संवाददाता से प्राप्त हुई है, यहां तक ज्ञात हुआ है कि फिजो ने उन से यह जानकारी मांगी है कि वहां किये जाने वाले अत्याचारों के लिये जिम्मेदार कौन है ? इस के उत्तर में उपद्रवियों ने यह लिखा है कि अधिकतर अत्याचार सैनिकों द्वारा किये जाते हैं, इस प्रकार वहां का असैनिक प्रशासन नागा उपद्रवियों के साथ गठबंधन कर रहा है, उन्हों ने यह कह कर कि वे स्वयं इन बन्दियों को छड़ा लेंगे सैनिकों को कोई कार्यवाही नहीं करने दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संबंध में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, कल सभा में भी इस संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गये, प्रश्न यह है कि इन बन्दियों को छड़ाने में अभी तक क्या प्रगति हुई है । प्रतिरक्षा मंत्री ने सभा में यह बताया है कि जब तक वे बन्दी वास्तव में मुक्त न हो जायें तब तक यह कहना निरर्थक है कि हम क्या प्रगति कर रहे हैं; यह लोक हित में नहीं है कि हम उन साधनों को बतलायें जिन का हम उन बन्दियों को मुक्त करने में प्रयोग कर रहे हैं ।

इस से यह स्पष्ट है कि सरकार भी इस मामले में उतनी ही जागरूक है जितने अन्य सदस्य, तथापि लोक हित में न होने पर सरकार यह नहीं बतला सकती कि वह क्या कदम उठा रही हैं । इन बातों को ध्यान में रख कर में मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६३ में प्रकाशित रबड़ (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या २६६२/६१]

खान अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

योजना, श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (२) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३१ में प्रकाशित खान (संशोधन) नियम, १९६०।

(दो) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८ में प्रकाशित खान पालना (संशोधन) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या २६६३/६१]

रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका

श्री सरजू पांडे (रिसड़ा): मैं गाजीपुर के निकट गंगा नदी पर रेल व सड़क के पुल के निर्माण के बारे में ४८ याचिकाकारों द्वारा हस्थताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं ने अपनी अर्थ व्यवस्था की कुछ कमजोरियों को दूर करने पर बल दिया था। क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि यदि ऐसा न किया गया तो हमारा विकास का कार्य नष्ट प्रायः हो जायेगा। एक ओर हमें अपनी खपत पर नियंत्रण रखना है दूसरी ओर इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण कुछ हाथों में न चला जाय। इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिये क्योंकि इस के बिना विकास योजनाओं में समुचित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

इस के बाद मैं उस रिपोर्ट की ओर आता हूं जो कि भारत चीन सीमा विवाद के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारी दल ने प्रस्तुत की है। इस दल ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है,परन्तु स्पष्ट बात यह है कि यह हमारी अतीत की भूलों को सामने लाती है। हम ने चीन की मित्रता के लिये बिना सोचे समझे तिब्बत को उन के हवाले कर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा यह निश्चित मत है कि चीन पर जितना हम ने विश्वास किया वास्तव में वह इस के योग्य नहीं था। यह भारत पर स्थायी रूपसे एक धब्बा रहेगा। इतिहास इसके लिये हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। भारत चीन अधिकारियों की जो उपरोक्त बातचीत हुई उससे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो गयी कि चीन और भारत की कोई सीमा निर्धारित ही नहीं हुई। यह चीन का दृष्टिकोण है और सचमुच बड़ा ही विचित्र दृष्टिकण है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस विवाद के सम्बन्ध में भारतीय कम्युनिस्टों की नीति ऐसी नहीं कि उसे सन्देह की दृष्टि से न देखा जाये। यह एक ठोस सत्य है कि चीन ने हमारे राज्य क्षेत्र पर जो आक्रमण किया है उस की उन्होंने कभी निन्दा नहीं की।

कांगों तथा अन्य देशों में हुई घटनाओं के प्रति भारत ने जो नीति अपनाई उसकी सत्यता को अनुभव किया जा रहा है। अमरीका और पाकिस्तान की घटनाओं से भी यही सिद्ध होता है कि भारतीय वैदेशिक नीति ही सही है। हमें इस नीति पर गर्व होना चाहिये।

देश की आन्तरिक अवस्था के बारे में मेरा निवेदन है कि भाषावार राज्यों की स्थापना के बाद प्रान्तीयता की भावना को खुली छूट मिल गयी है। जब तक भगीरथ प्रयत्नों से इसकी रोकथाम न की गयी तो यह राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। देश के राष्ट्रीय जीवन में ऐसी उलझनें पड़ेंगी कि सुलझाने पर भी सुलझ नहीं सकेंगीं।

जबलपुर में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में मुझे खेद है। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि हम इस देश में समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं अतः संसद् का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण को और भी सुदृढ़ बनावे। साम्प्रदायिक संस्थायें जो देश की राजनीति में उभर रही हैं उनका विष भरा प्रचार करने से रोका जाय।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण में गत वर्ष की सफलतायें और आगे कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम का सफल चित्र प्रस्तुत किया गया। मैं उसके लिए अपना आभार प्रदर्शित करता हूं और श्री भक्तदर्शन द्वारा प्रस्तुत अभिनन्दन प्रस्ताव का समर्थ करता हूं। राष्ट्रपति का यह कथन वास्तविकता पर आधारित है कि सरकार के मार्ग में देश के भीतर और बाहर भारी कठिनाइयां आई हैं। हमारी सरकार ने इस प्रकार की सभी समस्याओं को हल करने में अपनी मूल भूत नीति में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज सारा संसार हमारी वैदेशिक नीति की प्रशंसा कर रहा है और हमारे दृष्टिकोण को समझ रहा है। यह ठीक है कि गत दस वर्षों में कुछ कमियां रह गई हैं।

देश के आन्तरिक मामलों के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वह यह कि ऐसी परिपाटी कायम की जानी चाहिए कि मंत्रिमंडल में प्रत्येक राज्य के एक प्रतिनिधि को अवश्य स्थान दिया जाय। इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरायकेला और खरसावां राज्यों को जिनका विलय कि बिहार राज्य में कर लिया गया है, उड़ीसा को वापस मिलने चाहिएं।

यद्यपि योजना आयोग ने काफी अच्छा कार्य किया है परन्तु फिर भी उसमें अभी तक कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। सब से बड़ी कमी है प्रादेशिक विषमता। आर्थिक क्षेत्र में प्रादेशिक विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए ताकि सम्पूर्ण देश समान रूप से प्रगति की ओर आगे बढ़ सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि की ओर भी जो हमारी नीति है, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। खेती करने वालों को अपनी उपज का समुचित दर मिलना चाहिए ताकि वह अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों। यह तो अन्याय है कि औद्योगिक ऋणों पर तो ३½ प्रतिशत ब्याज लिया जाय और कृषि क्षेत्र में यह ब्याज ८ से ९ प्रतिशत तक हो। इसके अतिरिक्त एक कठिनाई यह है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण लेने में किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाई भी दूर की जानी चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने वालों को भूलना नहीं चाहिए। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और श्री रास बिहारी बोस की अस्थियों को, जो इस समय जापान में हैं, सम्मानपूर्वक भारत में ले आया जाना चाहिए। राजनीतिक पीड़ितों की भी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनको प्रत्येक प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे अपने बाल बच्चों का समुचित ढंग से लालन पालन कर सकें।

यह बड़े हर्ष की बात है कि राष्ट्रपति ने पंचायत राज्य का उल्लेख भी किया है। मेरा निवेदन है कि पंचायतों को समुचित अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि वे ठीक ढंग से काम कर सकें। सारी बातें कागज पर ही न रह कर अमल में आनी चाहिए।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): श्रीमान् जी, बहुत सारी बातें कहने को हैं। उनके बारे में मैं ज्यादा क्या कह सकूंगा, उनको सिर्फ गिना ही सकूंगा, आपकी सेवा में निवेदन ही कर सकूंगा।

यह तो हम सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हमारे राष्ट्रपति जी पधारे, हमको याद किया और अपने विचार सुनाये। हम सब उनके अनुग्रहीत हैं, इसमें क्या सन्देह है। एक बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कहता हूं और वह यह है कि जिसे कि हमारे श्रीमान् प्रधान मंत्री जी ने बड़ी कार छोड़ कर छोटी कार पर चढ़ना शुरू कर दिया है, इसी प्रकार अगर हमारे राष्ट्रपति जी भी इस सम्राटी तरीके को, शाही तरीके को, छोड़ कर शान शौकत से न आ कर एक जीप में बैठ कर चले आया करें, तो बहुत अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि उन्हें मालूम है कि ये सब बातें गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से और उसकी पालिसी के मुताबिक होती हैं, प्रेजीडेंट साहब कुछ अपनी मर्जी से नहीं करते। उनको नुक्ताचीनी में न लाया जाए।

राजा महेन्द्र प्रताप: अर्ज यह है कि मैं तो यह कोशिश कर रहा हूं कि हम ये बातें करें और ये न करें। अगर हो सके तो हम २५५ आदमी इकट्ठे हो जाएं और २५५ आदमी इकट्ठे हो कर इस प्रकार की सरकार बनायें कि यह चुनाव का झंझट ही दूर हो जाए। पन्द्रह साल तक हम यहां बैठें।

उपाध्यक्ष महोदय: एक शिकायत है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।

राजा महेन्द्र प्रताप: मैं तो कल परसों मर भी जाऊंगा मगर हमारे जो नौजवान हैं वे १५ साल बैठें। अर्ज यह है कि इस तरह की सरकार हमें बनानी है जिसमें हमारे राष्ट्रपति यहीं रहें, उपराष्ट्रपति यहीं रहें, और हमारे प्रधान मंत्री जी भी यहीं रहें। मगर जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी देवता हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं, ऐसे ही हमारे प्रधान मंत्री जी हो जायें और काम हम करें, तो अच्छा होगा। मेरा यह सुझाव है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर ऐसा हो सकेगा तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी।

मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह बहुत बुरा किया या हमारे फलां मंत्री जी ने यह ठीक काम नहीं किया। यह मैं नहीं कहता। मैं तो कहता हूं कि साहब आप हमारे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं।

[राजा महेन्द्र प्रताप]

मिसाल के तौर पर चीन का ही सवाल है । हमारे बहुत सारे भाई उसके बारे में काफी कुछ यहां कहते रहे हैं और कुछ बहुत नाराज़ भी हुए हैं । मेरा यह कहना है कि मैं तो एक काम कर सकता हूं । पांच साल तक चीन में रह चुकने के बाद, तिब्बत में रह चुकने के बाद, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं और सुलह कराने के लिए तैयार हूं । इसमें सिर्फ बीस हजार रुपया खर्च आएगा । मैं इस तरह की संधि कराने के लिए तैयार हूं कि हिन्दुस्तान, चीन और जापान अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को उन टापुओं में भेज दें, जिन की कि जनसंख्या कम है । यह मैं कर सकता हूं । यह सुझाव मैंने पहले भी रखा था और आज फिर रखता हूं ।

कांगो का ही मसला है । कांगो में क्यों न हम दस हज़ार की सेना भेजें, बीस हज़ार की सेना भेजें और यू० एन० ओ० की मदद करें । अब तो एक छोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े आदमी जिन्होंने कि एक तरह से हमको आजादी दी, लाड एटली साहब, यहां पधारे हुए हैं । उन्होंने बिल्कुल वही बातें कही हैं जो मैं तीन चार बरस से आपसे कहता चला आ रहा हूं । मगर बात यह है कि मुझे तो लोग यह समझते हैं यह पुराना आदमी हो गया है, क्या जाने, भूल गया, सठिया गया है । मगर अच्छा हुआ कि हमारे वकील साहब आ गए, लार्ड एटली और उन्होंने वही बातें कह दी जो मैं कहता रहा हूं । यू० एन० ओ० की, हमारे साहब का कहना है, फौज बनाई जाए, उसको फौज दी जाए, । यह सच बात है । अगर यू० एन० ओ० के पास फौज नहीं है तो वह बकती रहे, कोई सुनेगा नहीं, कमज़ोर की कोई सुनता नहीं है । अगर यू० एन० ओ० के पास फौज हो गई तो वह अपने हुक्म को मनवा सकेगी । मैंने प्रधान मंत्री जी को निवेदन किया था कि ज्यादा अच्छा यह हो कि हम तो अपनी पूरी सेना यू० एन० ओ० को दे दें और उसे कहें कि आप हिफाज़त करिये, हम सब की । मगर हमारे प्रधान मंत्री जी ने जवाब यह दिया और अपने दस्तखतों से दिया कि यह प्रेक्टिकल नहीं है । उन्होंने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है । मैं तो अर्ज़ करता चला जाता हूं और बड़ी शुद्ध भावना से निवेदन करता चला जाता हूं कि ये ये बातें ऐसे ऐसे हो सकती हैं ।

गोआ के बारे में बहुत सारे भाई बहुत नाराज़ हैं । मैंने आपसे कहा और मैं फिर दोहराता हूं कि पौर्चुगाल के साथ ऐसी संधि की जा सकती है कि हम अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या को मोज़ाम्बिक और अंगोला में भेजें और ऐसी भी संधि की जा सकती है कि पौर्चुगल के साथ हम लोग शादी ब्याह भी कर लें । इससे तमाम मसले हल हो जायेंगे जोकि पौर्चुगल के साथ मौजूद हैं ।

मेरी एक और अर्ज़ यह है कि अगर हम यू० एन० ओ० को, जितना रुपया वह मांगें उतना दे दें, और वे ही सब जगह अपने डिप्लोमेटिक मिशन्स रखें, राजदूत रक्खें तो काम ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है । मेरा ऐसा कहना है कि अगर सभी लोग ऐसा करें, सभी देश ऐसा करें, तो हम लोगों का बहुत पैसा बच जायेगा । यू० एन० ओ० की तरफ से जो राजदूत होंगे वे सभी देशों के साथ बहुत हमदर्दी के साथ न्याय करेंगे । सभी संसार की एक सेना होनी चाहिए, संसार की एक कचेहरी होनी चाहिए, और जो भी हमारी शिकायतें हों वे उसी कचेहरी में तय होनी चाहियें और संसार की जो फौज हो वह जो कुछ भी ठीक हो उसे मनवाये ।

जैसा मैंने कई दफ़ा अर्ज किया है, इस बात की बड़ी जरूरत है कि विचारों को परखा जाये । विचार कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे बीमारी के कीड़े । जसे हैजे के कीड़े होते हैं, तपेदिक के कीड़े होते हैं, मलेरिया के कीड़े होते हैं, उसी तरह से कुछ विचार होते हैं जो हमको मारते हैं । उन विचारों की खोज की जाए और उनको ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जाये, चाहे वे दीन में हों चाहे धर्म में हों, चाहे पार्टी में हों, चाहे कम्यूनिज्म में हों । हमारे कम्यूनिस्ट भाई हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं । कहते हैं हम मज-

दूरों का भला करेंगे, किसानों का भला करेंगे। मैं भी कहता हूं कि मजदूरों का भला कीजिये, किसानों का भला कीजिये। मगर मैं कहता हूं कि हमें लड़ाओ मत। हमारी प्राचीन सभ्यता यह कहती है कि समाज का संगठन इस तरह से होना चाहिये जैसे मनुष्य का शरीर। मनुष्य के शरीर में कोई भाग दूसरे भाग से लड़ता नहीं। मैंने नहीं सुना कि पैरों ने कोई जलसा किया हो और यह प्रस्ताव पास किया हो कि सिर बड़ा बेईमान है, हमेशा ऊपर रहता है। अगर कहीं ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया होता तो मनुष्य की बहुत बुरी गत बन जाती, सिर नीचे और पैर ऊपर। इसलिये मैं कहता हूं कि लड़ने वाली बातें बहुत बुरी होती हैं। हमको यह सिद्धान्त बना लेना चाहिये कि सब को सब के लाभ में लगा कर सबको सुखी बनाना है।

फिर मैं अर्ज करूंगा कि शायद बस्तर के साथ बेइन्साफी हुई हो, और उसकी बददुआ किसी वजीर पर पड़ गई हो। मुझे बड़ा अफसोस है कि तिब्बत में चीन ने कुछ ज्यादती की और उसकी चीनियों को कितनी बड़ी सजा मिली। आपने सुना होगा कि आज चीनियों को बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। जबलपुर में जो कुछ हुआ, उसके लियें तो क्या कहूं ? रोना आता है। मुझे अफसोस है, मगर अगर हम बीमारी को देख कर रोयें तो बीमारी तो इससे जाती नहीं, अगर हम बीमारी को गाली दें तो उससे भी बीमारी नहीं जाती, उसका तो हमको इलाज करना होगा। इसलिये जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया आपको मेहरबानी करके एक सदाचार गुट बनाना चाहिये। सदाचार गुट इस प्रकार का बनाया जाये कि वह मोहल्लों-मोहल्लों में हो और देखे कि लोगों में क्या विचार है, कोई गलत तरीके पर तो नहीं चल रहा है, कोई बुराई तो नहीं कर रहा है। यही एक दवा है जिसको हमारे धार्मिक नेताओं ने भी कहा है। जब आदमी दुराचारी होगा तो उसके मस्तिष्क से बुरे विचार ही निकलेंगे, जैसे कहीं गन्दगी होगी तो उसमें बीमारी के कीड़े बढेंगे ही। इसलिये यह कोशिश होनी चाहिये कि हमारा समाज सदाचारी समाज बने। इसके लिये मैंने एक कार्यक्रम रक्खा है सदाचार गुट का। "धर्म पाठ" एक छोटी सी पुस्तिका है, मैंने उसमें इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। इस "धर्म पाठ" पुस्तिका को मैंने राष्ट्रपति भवन में २० मिनट तक सुनाया। जब उन्होंने वे बातें सुनीं तो मुझसे कहने लगे कि राजा साहब, अगर यह विचार फैल जायें तो फिर तो कोई लड़ाई होगी ही नहीं। मैंने कहा: साहब, फैलाइये इन विचारों को। उन्होंने पूछा कि इनको कैसे फैलाया जाये ? मैंने कहा: आप सब स्कूलों में हमारे प्रेम धर्म का भाषण कराइये। तब वे चुप रहे। फिर मैंने यह कहा कि अगर यह संभव नहीं तो शहर में ही बड़ी बड़ी सभायें करके प्रेम धर्म पर भाषण कराइये। फिर भी वे चुप रहे। मैंने कहा अगर यह भी मुमकिन नहीं तो फिर राष्ट्रपति भवन में ही यह भाषण करवाइये। तब उन्होंने कहा: हां, यह ठीक है। मगर वे यह भी नहीं कर सके। जब यह हालत है तो क्या किया जाये। बहरहाल मैं तो अर्ज करता चलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो दो बाहरी आदमियों की आपस की बात है, वह पार्लियामेंट में इस तरह पर नहीं कहनी चाहिये।

राजा महेन्द्र प्रताप : मगर साहब, वह बड़ी अहमियत रखती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : अहमियत आप के लिये थी और उनके लिये, यहां उसके बतलाने की जरूरत नहीं है।

पंचायत राज के विषय में ठीक वही बात हुई जो मैं कहता रहा हूं और इस के लिये मैंने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। मगर मैं वही बात कहूंगा जो कि मेरे भाई डा० सामन्तसिंहार ने यहां कही कि सभी गांवों में शक्ति दी जाये पंचायतों को। वह इस तरह से कि पटवारी पंचायत का हो, चौकीदार पंचायत का हो, जो

[राजा महेन्द्र प्रताप]

फैसले हों वे पंचायत में हों, इन कचेहरियों में कोई न जाये जिस में दस-दस, बारह-बारह, साल तक मामला चलता रहे और बाप मर जाये, बेटा मर जायें, नाती के जमाने में उसका फैसला हो। यह चीजें नहीं होनी चाहियें। मैं कहता हूं :

"गांवों गांवों में हो स्वराज, गांवों गांवों में हो अपना राज,
नगर नगर में हो स्वराज, नगर नगर में हो अपना राज"

आज हम पर जो तरह तरह के कर लगाये जाते हैं, वह भी नहीं होना चाहिये। सिर्फ जमीन पर और दौलत पर कर लिया जाये, और उसका फायदा सब को पहुंचाया जाये। आप चाहें जितना भी रुपया बना लीजिये, उस में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि वह रुपया खर्च आप कैसे करते हैं। अगर आप बुराई में रुपया खर्च करते हैं तो हम आप को रोकेंगे, पकड़ेंगे, और अगर आप अच्छे कामों में उस को खर्च करते हैं तब बड़ी अच्छी बात है, खर्च कीजिये

अब खत्म करना चाहता हूं इस लिये गिना ही सकता हूं अपनी बातों को। इतनी बातें हैं, क्या क्या कहूं ? बुरे सिनेमा न हों, घुड़दौड़ और जए के खेल न हों, सट्टा न हो। आखीर में मैं यही बातें आप से कह सकता हूं :

हिन्दुस्तान कामनवैल्थ में से निकले, पाकिस्तान न रहे, आर्यान बने। ईरान से असम तक, हिमालय से सीलोन तक आर्यान हो, एशिया के सूबे का एक जिला और एशिया संसार संघ राज्य का एक सूबा। गांवों गांवों में हो स्वराज, गांवों वालों का अपना राज, नगर नगर में हो स्वराज, नगर वालों का अपना राज। आगे के लिये मज़दूर कारखानों के भागीदार बनाये जायें, खानों में भागीदार बनाये जायें और रेल का जो बोर्ड है उस में प्रतिनिधि बैठें मजदूरों के।

आखिर में मेरी अर्ज यह है कि तमाम मदरसों में कारखाना हो, खेत हो, बाग हो, गोशाला हो और हमारे लड़के आवश्यक वस्तुयें उत्पन्न करें। यही चीज छावनियों में हो। हमारे जो सिपाही हैं उन को भी खुश करना होगा। हम तमाम जमादारों को कैप्टेन बना दें, और तमाम सूबेदारों को कर्नल बना दें। इस तरह से अगर हम उन को मिला कर चलें

उपाध्यक्ष महोदय : पहले इतनी बातों पर अमल हो जाने दीजिये, बाकी दूसरे मौके पर कहियेगा।

राजा महेन्द्र प्रताप : मेरा दावा है कि अगर इस तरह से आप अपनी हुकूमत को चलायेंगे तो पंद्रह साल यहां बैठेंगे और आप की कोई मुखालिफत नहीं होगी और हम और आप मिल कर इस तमाम कार्यक्रम को चलाते रहेंगे।

†**श्री परूलकर** : (थाना) : मेरा मत है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की समस्याओं को प्रस्तुत करने में नितांत असफल रहा है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को जिन कुप्रवृत्तियों का सामना करना पड़ रहा है उनका कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। इतना जरूर बताया गया है कि देश ने गत चार वर्षों में आर्थिक उन्नति की है। यह भी बताने का प्रयत्न किया गया है कि देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय में काफी प्रगति हुई है परन्तु हमारी अर्थ व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने वाली भयंकर बातों की नितान्त उपेक्षा की गयी है

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में विदेशी पूंजी बड़ी तेजी से आ रही है । मेरा मत है कि यह बात हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए भयंकर परिणामों का कारण बन सकती है । गत पांच वर्षों में हमारा ऋण लगभग दो गुणा हो चुका है और हमारा बराबर शोषण हो रहा है । हमारी विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में विदेशी पूंजी की सहायता हमारी गुलामी का ही प्रतीक हो सकती है । इस अर्थ व्यवस्था के लिए भारी खतरे हो सकते हैं, परन्तु हमारी सरकार और हमारे वित्त मंत्री इस दिशा में नितान्त रूप से निश्चिन्त दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति का भाषण इस विषय पर बिल्कुल मौन है । इस बात की ओर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया कि हमारा विदेशी ऋण बराबर बढ़ रहा है

यह बात भी उल्लेखनीय है कि समाजवादी देशों से प्राप्त ऋणों से तो हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता के आधार पर विकसित करने में सहायता मिली है । परन्तु पूंजीवादी देशों से जो सहायता मिली है उसका परिणाम यही हुआ है कि हम इन देशों पर अधिक निर्भर करने लगे हैं

अभिभाषण में, देश में बढ़ रही बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बेरोजगारी देश के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी तीव्रता से से बढ़ती जा रही है । रक्षित बैंक के बुलेटिन इस बात का सजीव प्रमाण हैं । इस के साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ी है तो जीवन व्यय भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, जिस की ओर कि राष्ट्रपति का ध्यान नहीं गया है। लोगों की वास्तविक आय निरन्तर घटती ही जा रही है । खेतिहर मजदूरों की अवस्था बराबर बिगड़ती जा रही है । इन बातों से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति महोदय ने वास्तविकता को छिपाने का प्रयत्न किया और यदि यथार्थ कहीं कहा भी है तो आंशिक रूप में ही कहा है । मेरा मत है कि यह अभिभाषण भ्रांतिपूर्ण है और इस में जनता की समस्या को हल करने की ओर नितान्त उपेक्षा से काम लिया गया है ।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सफलता की आशा बंधाई है तथापि उन्होंने अपनी आशावादिता का कोई आधार नहीं बताया है ।

जहां तक देश का सवाल है देश में विघटन हो रहा है । इसका एक कारण यह भी है कि मंत्री लोग अपने पद को स्वार्थ पूर्ति का साधन बना रहे हैं। भाषा के सम्बन्ध में सरकार की नीति बहुत ढुल मुल है, इसका यह फल होता है अवसरवादी राजनीतिज्ञ इसका लाभ उठाते हैं। अतः सरकार को चाहिये कि भाषा के संबंध में एक सुदृढ़ नीति अपनायी जाये इस नीति का निश्चय सभी दलों का एक सम्मेलन करके किया जा सकता है ।

इसी प्रकार राज्यों के विभाजन के सम्बन्ध में हमारी नीति सुदृढ़ नहीं है। इस नीति का भी निश्चय सभी दलीय सम्मेलन में किया जा सकता है इसका फल यह होगा कि अन्य विरोधी दल इन बातों का राजनैतिक लाभ नहीं उठा सकेंगे ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

अब मैं वैदेशिक संबंधों को लेता हूं । वस्तुतः हमने अपनी संधियों पर बहुत अधिक भरोसा किया है इस का ही यह परिणाम हुआ है कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

अधिकार कर लिया है । अब हमें केवल यह दुराशा नहीं करनी चाहिये कि चीन स्वयं ही हमारा क्षेत्र छोड़ कर हट जायेगा । हमें चाहिये कि हम अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिये अपने को सुदृढ़ बनायें ।

इस संबंध में मैं पाकिस्तान का जिक्र करना चाहता हूं, बेरुबाड़ी के प्रश्न पर जब हमारे प्रधान मंत्री ने मानवता के नाते यह प्रश्न श्री अयूब खां को निर्देश किया तो वे उस पर राजी नहीं हुए । इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि हमें यह भी देखना चाहिये कि अन्य लोग भी इन संधियों का पालन करें ।

इसके पूर्व चीन और भारत के बीच तिब्बत का राज्य था । जिससे हमें काफी बचाव था । लेकिन हमारी गलती से यह भाग चीन के पास चला गया है, अन्य देशों में यदि सरकार ऐसी गलती करती तो उसके गम्भीर परिणाम होते ।

अब मैं अर्थव्यवस्था के प्रश्न को लेता हूं । धन तथा अन्य संसाधन होने पर योजनायें बनाना आसान है, तथापि उन्हें क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल है । हम देखते हैं कि इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में भी विभिन्न मंत्रालयों में परस्पर समायोजन नहीं होता है, इसका परिणाम यह होता है कि हमें वे फल प्राप्त नहीं होते हैं जोकि होने चाहिये, अतः मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में एक आयोग बनाया जाय जो इस सम्बन्ध में विचार करे कि योजना को सुचारु रूप से किस प्रकार क्रियान्वित किया जाय ।

यह स्मरण रखना चाहिये कि इन मामलों में जरा सी विलम्ब से लाखों का नुक्सान हो जाता है । इसके अतिरिक्त इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तथापि यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, इसके अतिरिक्त आय का अधिक भाग उच्चवर्गीय लोगों के पास जा रहा है । वस्तुतः निम्न वर्ग के लोगों की आय में जो वृद्धि हुई है वह कीमतों में हुई वृद्धि के बराबर नहीं है ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तथापि इस दिशा में उचित प्रचार करने और जनता को इस दिशा में प्रयत्न करने से अवगत करने की आवश्यकता है ।

निस्संदेह पंचायतों की स्थापना हो रही है तथापि यह दुख की बात है कि उच्च स्तरों में होने वाला विघटन इन पंचायतों में भी आ रहा है। यह निस्संदेह बहुत दुख की बात है । यदि हम चाहते हैं कि गांव की जनता में इस विष का वपन नहीं हो तो हमें पहिले अपने आदर्शों को ऊंचा रखना चाहिये । मंत्रियों को चाहिये कि वे ऊंची परम्परायें कायम करें ।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़-रक्षित-अनूसूचित जातियां) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आज वाद-विवाद का चौथा दिन है । पिछले तीन दिनों से इस पर बहस चल रही है । कांगो की, लाओस की, अल्जीरिया की और जर्मनी आदि देशों की समस्याओं के बारे में जो कुछ हो रहा है, उनको जिस तरह से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, वह दुनिया जानती है । उन देशों की समस्याओं की अपेक्षा हमारे अपने देश की भी बहुत बड़ी समस्यायें हैं । चीन जोकि हमारा पड़ौसी देश है, बड़ा होने के नाते हम उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं । परम्पराओं और आदर्शों को यदि हम देखें तो हमारा देश उससे कहीं ज्यादा आगे है । परन्तु

आज के युग में आबादी का बड़ा महत्व है, इसलिए हम उसको अपना बड़ा भाई मानते थे। परन्तु बड़े भाई ने छोटे भाई पर पीछे से पीठ पर वार किया है और हमारी १२,००० वर्ग मील भूमि पर, सीमा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और दुनिया को सह-अस्तित्व और पंचशील का उपदेश देता जा रहा है। हिन्दुस्तान को बदनाम करने में उसने कोई कसर उठा नहीं रखी। उसने बर्मा से सीमा सम्बन्धी संधि की, नेपाल से संधि करने वह जा रहा है और हमारे पड़ौसी सहोदर भाई पाकिस्तान को बहका रहा है। साथ ही साथ हमारे दो छोटे भाइयों, भूटान और सिक्किम को वह फुसला रहा है। ये छोटे देश हैं। इन्होंने चीन को अंगूठा दिखा दिया है और उन्होंने अपना बड़ा भाई हिन्दुस्तान से गठबन्धन किया है और कहा है कि उनकी सीमाओं के बारे में जो निर्णय होना है, वह भारत करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पड़ौसी राष्ट्रों को चीन बहका रहा है और हमारे देश की भूमि पर अपना कब्जा जतला रहा है और कुछ भाग पर तो कब्जा उसने कर भी लिया है।

हमारी वैदेशिक नीति स्पष्ट है। संसार के दूसरे देशों ने हमारी वैदेशिक नीति की सराहना की है। हमारे प्रधान मंत्री और भारत सरकार प्रयत्न कर रहे हैं कि लड़ाई न हो। आप जानते हैं कि खेत की मेंढ़ के प्रश्न को ले कर दो भाइयों में भी आपस में लड़ाई हो जाती है, लठ भी चल जाते हैं। परन्तु इतने बड़े भूभाग पर चीन द्वारा कब्जा कर लिये जाने के बाद भी भारत सरकार और हमारे देशके नेता यही चाहते हैं कि शान्तिपूर्वक मामला सुलझ जाये। परन्तु दुर्भाग्यवश चीन इसको मानता नहीं है। यह समय ही बतलायेगा कि मामला कैसे सुलझता है और हमारी सरकार इसके बारे में क्या करती है।

यह बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर आज हमारे देश को गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं वे चाहते हैं कि लड़ाई की घोषणा कर दी जाय। वे लड़ाई की भाषा में सोचते हैं। हम उनसे ज्यादा लड़ाई की बात करना चाहते हैं पर इसका आज समय नहीं है।

प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा है कि हम अपनी सीमा के मामले में कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे और यदि जबरदस्ती हमारे ऊपर लड़ाई थोपी गई तो उसका हम मुकाबला करेंगे। आप जानते हैं यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि जिस तरह से बिना नकेल या पगहा के बूढ़ा सांड उपद्रव करता है, ठीक उसी तरह से चीन कर रहा है। राष्ट्र संघ का वह सदस्य नहीं है। हमारी सरकार और हमारे नेता बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं कि यू० एन० ओ० का चीन सदस्य बन जाय। अब भी हम यही चाहते हैं और भविष्य में भी यही चाहेंगे कि वह यू० एन० ओ० का सदस्य बन जाये। परन्तु कुछ बड़े राष्ट्रों के रवैय के कारण चीन को उसका सदस्य बनने नहीं दिया जा रहा है। यदि वह यू० एन० ओ० का सदस्य बन जाता तो यह निश्चित बात है कि जो उसने हमारे भूभाग पर कब्जा कर लिया है, वह न कर पाता। अब समय बतायेगा कि हमारी सरकार इस दिशा में क्या प्रयत्न करती है और किस तरह से इस क्षेत्र को वापिस लेती है।

अब मैं हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। हिन्दी भाषा को हमारे संविधान ने राज-भाषा के रूप में स्वीकार किया है। सन् १९६५ में हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी राज भाषा घोषित कर दी जायगी। यद्यपि यह कार्य बहुत उपयोगी है, परन्तु अंग्रेजी के लिये सन १९६५ तक छूट दी हुई है। हम यह देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार के जो मंत्रालय हैं उन में काम करने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं वे हिन्दी से विद्रोह रखते हैं। मंत्री या बड़े अधिकारी उन से कहते हैं कि जल्दी से काम करो और हिन्दी में उत्तर देने की जो बात है वह हिन्दी में दो। परन्तु यदि वे उत्तर

[श्री नरदेव शास्त्री]

देते भी हैं तो बहुत देर में देते हैं । इस का यह परिणाम हो जाता है कि जिस प्रयोजन के लिये वह वार्तालाप या पत्र व्यवहार होता है उस में देरी हो जाती है और काम में विघ्न पड़ता है । आप जानते हैं कि हिन्दी जानने वालों की संख्या संसार में तीसरे नम्बर की है । पहला नम्बर तो चीनी भाषा जानने वालों का है, जो कि चीन देश में रहते हैं, लगभग ३० या ३५ करोड़ । दूसरा स्थान अंग्रेजी को दिया जाता है । कहते हैं कि २५ करोड़ के करीब अंग्रेजी भाषा भाषी हैं, और तीसरे नम्बर पर हिन्दी को बताया जाता है, जिस को लगभग २० करोड़ लोग जानने वाले हैं । यदि हम, लंका, नेपाल, सिंगापुर और बर्मा तथा पाकिस्तान में हिन्दी जानने वालों की संख्या को जोड़ लें तो यह संख्या करीब ३२ या ३३ करोड़ के हो जाती है । इस तरह से संसार में हिन्दी जानने वालों की संख्या दूसरे नम्बर पर हो जाती है, जब कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी जानने वाले १ फी सदी से ज्यादा नहीं हैं । फिर भी सारा शासन का अंग्रेजी में चल रहा है, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उन सब जगहों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है । यद्यपि गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के लिये हिन्दी की कक्षा की व्यवस्था कर रखी है, उस में जो भी कर्मचारी या अधिकारी वर्ग हैं, उन की संख्या पांच या सात वर्ष पहले जितनी थी, उतनी ही आज भी है, जब कि पढ़ने वालों की संख्या पहले से काफी ज्यादा है । अब उन की संख्या बढ़नी चाहिये । इस तरह से हमारे काम में भी सहूलियत होगी और हम को असन्तोष भी नहीं होगा । इस समय हमारे गृह मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय अथवा रोमन अंकों के लिये एक आदेश दे रखा है, और वह यह कि जितने प्रतिवेदन हिन्दी में छपें उन में जो अंक लिखे जायें वे रोमन अंक हों । मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह का आदेश क्यों दिया गया है । वह तो ऐसी ही बात हो गई जैसे खद्दर के कुर्ते पर विलायती कपड़े का पैबन्द लगा दिया गया हो । इसी तरह से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी प्रतिवेदन में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को लिखा जाना है । मुझे कोई चिन्ता नहीं है यदि रोमन में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में अंकों को लिखा जाय । लेकिन यदि यह होता है तो मेरा यह सुझाव है कि अंग्रेजी के प्रतिवेदन में हिन्दी के अंक लिखे जाया करें । इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा अधिकारी वर्ग है वह अपनी सहूलियत के लिये जनता को सहूलियत नहीं देता है । इस देश के आधे से ज्यादा लोग हिन्दी समझते हैं, पढ़ते हैं, और बोलते हैं, परन्तु उनको उन की भाषा में न समझा कर सारे प्रतिवेदन वा वक्तव्य जो होते हैं वे अंग्रेजी में दिये जाते हैं, जिस को १ फी सदी लोग भी नहीं जानते हैं । यह एक विचारणीय विषय हैं ।

शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में काफी प्रयत्न किया, और अब भी कर रहा है, परन्तु जितना उस को करना चाहिये था उतना नहीं किया है । आज भी कहते हैं कि हमारा शिक्षा मंत्रालय विश्वकोश बना रहा हैं, तथा एक ऐतिहासिक व्याकरण तैयार कर रहा हैं । वह कब तक बनेगा; कितना उस में पैसा लगेगा, इस का पता नहीं । आज जो साधारण व्याकरण है यदि उस के अनुसार भी कार्य शुरू कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह जल्दी हो सकेगा और आम जनता को समझने में भी आसानी होगी । इस तरह से हम देखते हैं कि हर ओर से हिन्दी के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है । मैं ने अपने कई एक भाषणों में हिन्दी के बारे में निवेदन किया है, परन्तु सरकार इस दिशा में मंद गति से प्रयत्न कर रही है, वह तेजी के साथ इस काम को नहीं बढ़ा रही है ।

आज हमारी शिक्षा व्यवस्था है, एजूकेशन का सिस्टम या पद्धति है, वह बड़ी विचित्र है। जो हमारे देश के नेता हैं, बड़े-बड़े विद्वान् हैं वे विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त भाषणों में इस वर्तमान शिक्षा

प्रणाली की बड़ी आलोचना करते हैं, वे कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली दूषित है, इस को बदलना चाहिये, परन्तु जब उनसे इस दूषित का बदलने के लिये कहा जाता है, तब वे चुप हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अब तक जो शिक्षा प्रणाली है वह अंग्रेजी राज के जमाने से चली आ रही है और उस में अब परिवर्तन होना चाहिये। कोई युग था, जबकि यहां अंग्रेजी राज्य था, तब वह उपयुक्त थी, परन्तु अब उस को परिवर्तित करना जरूरी है। एक जमाना था जबकि गुरुकुलों और ऋषिकुलों का कुलपति राजा होता था। वह दस दस हजार ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में पढ़ाता था, उन ब्रह्मचारियों को पढ़ाई की सुविधायें थीं, खाने पीने की सुविधायें थीं, वस्त्र की सुविधायें थीं, रहने की सुविधायें थीं और इसका प्रबन्ध राज्य की तरफ से होता था, क्योंकि वही कुलपति होता था। किन्तु आज हमारे राज्यपाल कुलपति हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों के खाने पीने की, कपड़े की और रहने की कोई व्यवस्था नहीं की। मेरा निवेदन है कि आप परीक्षण के तौर पर उन संस्थाओं को, जो कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में अपना आदर्श कायम करके अभी तक चलती रही हैं, पनपायें। आज हमारे बहुत से गुरुकुल हैं, उनकी ओर ध्यान दें। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मेरा निवेदन है कि हर एक जिले के अन्दर एक ऐसी संस्था खोली जाय जिसमें २००, ४०० या ५०० विद्यार्थी न सही, कम से कम, ५०, १००विद्यार्थियों को आप प्रशिक्षण दें। आप उनके कपड़े की, खाने की, पुस्तकों आदि की व्यवस्था करें, जैसे कि प्राचीन गुरुकुलों का सिस्टम था, तो मैं कह सकता हूं कि हम उसमें अवश्य सफल होंगे और जो हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष हैं उनको दूर कर सकेंगे। इस तरह से जहां हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होगा वहां हमारे बच्चों में भी कुछ आचार धर्म आयेगा और उनके अन्दर सदाचार पनपेगा। आज हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे स्कूल और कालेजों में जाते हैं वे ज्यादा से ज्यादा समय वाहियात चीजों में, सिनेमा देखने में और दूसरे राग रंगों में व्यतीत करते हैं। अपने मां बाप की बेशकीमती कमाई का पैसा दूसरी चीजों में व्यय करते हैं और जो उन का कीमती समय अध्ययन में जाना चाहिये, उससे वे अछते रहते हैं। यह हमारे सिस्टम की कमी है, उसमें गलतियां हैं, इसलिये उसको बदलना होगा, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकेगी। इस शिक्षा व्यवस्था के लिये अन्दर से आप जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रगति होनी चाहिये।

अभी हमारे माननीय सदस्यों ने जबलपुर काण्ड के बारे में भी अपने विचार रक्खे। वैसे जबलपुर में जो काण्ड हुआ उससे हमारा और हमारे देश के लोगों का माथा झुक जाता है, परन्तु इन सब के पीछे वही कारण है कि हमारे यहां के बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ती चली जाती है। जो बच्चे स्कूल और कालेजों में पढ़ते हैं उनके अन्दर अपने ऊपर नियन्त्रण रखने की आदत न होने से ऐसा होता है, वर्ना दो स्कूलों के बच्चों के कारण इस तरह के काण्ड न होते। यदि वे अनुशासित होते तो इस तरह की दुर्घटना न होती। अब तो जबलपुर काण्ड के जांच की रिपोर्ट ही हमें बतलायेगी कि वहां क्या हुआ है, परन्तु फिर भी हमारा सिर इस दुर्घटना से शर्म से झुक जाता है। हमारी सरकार को इन सब चीजों की ओर ध्यान देना होगा।

मेरा अपना विचार है कि हमारा जो पड़ौसी मित्र चीन है, जिसने पांच साल पहले "हिन्दी चीनी भाई भाई" का नारा लगाया था, उसके अन्दर कुछ अक्ल आयेगी और हमारा जो भू भाग उसके पास है वह छोड़ देगा नहीं तो संसार का जनमत उसके खिलाफ हो जायेगा और उनके अपने देश के अन्दर जो चीजें हैं वे ही उसे बाध्य करेंगी कि जो हिन्दुस्तान की जमीन है, उससे वह हट जाय। और उचित दण्ड व्यवस्था करनी होगी।

अन्त में मैं श्री भक्त दर्शन जी ने जो प्रस्ताव राष्ट्रपति को धन्यवाद देने का प्रस्तुत किया है उसका हृदय से समथन करता हूं। राष्ट्रपति जी ने जो कुछ अपने अभिभाषण में कहा है वह ठीक है

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यह दुख की बात है कि यद्यपि १३ वर्षों से हमारा प्रतिरक्षा विभाग काम कर रहा है तथापि हम इस अवस्था में नहीं है कि हम अपनी सीमाओं की प्रतिरक्षा कर सकें। मेरे विचार से प्रतिरक्षा पर किया जाने वाला व्यय काफी नहीं है। हम चीन का मुकाबला करने में समर्थ नहीं हैं। इसका कारण यह है कि पर्वतीय इलाके में जिस प्रकार का युद्ध किया जाता है उसे करने के योग्य हमारे सेना के पास उचित उपकरण और साजसज्जा नहीं है। दुखकी बात है कि ऐसे समय भी हमारे युद्धास्त्र कारखाने असैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं बना रहे हैं। अतः हमारे उच्चाधिकारियों को यह बात निस्सन्देह रूप में समझ लेनी चाहिये कि चीन का आक्रमण भारत के लिये एक स्थायी समस्या है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विश्वशान्ति और निशस्त्रीकरण का भी निर्देश किया गया है। निस्सन्देह यह एक महत्वपूर्ण समस्या है विशेषतः राकेटों के निर्माण में जो प्रगति हो रही है वह इतनी क्रान्तिकारी है कि निकट भविव्य में अन्तरिक्ष पर भी कुछ राष्ट्रों का आधिपत्य हो जायेगा; ऐसे समय यह आवश्यक है कि हम अभी से इस दिशा में प्रयत्न करें अन्यथा पीछे यह समस्या कभी भी हल नहीं हो सकेगी।

अब मैं खाद्यान्न की समस्या को लेता हूं। दुख की बात है कि दो योजनाओं के पश्चात् भी हम खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। एक ओर हम इसका दोष कृषकों को देते हैं दूसरी ओर हम उन्हें खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य भी नहीं देना चाहते हैं। मेरे विचार से यह समस्या विदेशों से खाद्यान्नों के निर्यात से हल नहीं हो सकती है। इसके लिये हमें एक क्रान्तिकारी नीति अपनानी चाहिये तथा खाद्यान्नों का उत्पादन यूद्ध स्तर पर बढ़ाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि कृषकों को सिंचाई का पानी सस्ती दरों में दिया जाय। उन्हें सस्ते मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध किये जायें तथा सुधरी किस्म के बीज उधार दिये जायं यदि इस प्रकार की सुविधायें कृषकों को दी जायेंगी तो मुझे विश्वास है कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में क्रान्तिकारी वृद्धि हो सकती है।

अब मैं मुद्रा स्फीति और कीमतों के नियन्त्रण के प्रश्न को लेता हूं कीमतों में निरतर वृद्धि हो रही है। हम तीसरी योजना में १२००० करोड़ रुपये का विनियोजन करना चाहते हैं, इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा स्फीति का हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा परिणाम होगा।

अब मैं गोआ का प्रश्न लेता हूं। दुख की बात है कि हम ऐसे उपनिवेशवादी राष्ट्रों से जो कि दमन करने के मामले में बदनाम हैं यह आशा करते हैं कि वे स्वयं ही गोआ को स्वतन्त्र कर देंगे। इतना ही नहीं अपितु हम भारतीयों द्वारा उसकी मुक्ति के मार्ग में भी बाधा डाल रहे हैं।

इस अभिभाषण में न कोई नवीनता है न कोई प्रेरणादायक सन्देश। जब तक हम इस परम्परागत दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकल सकेंगे तब तक हम आज के विश्व की कठिन परिस्थितियों के बीच कभी समृद्धि नहीं कर सकते हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना): मैं सबसे पहिले कपड़े की कीमतों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले वर्ष कपड़े की कीमतों में साल भर बहुत वृद्धि होती रही और फलस्वरूप कपड़ा मिल मालिकों ने बहुत लाभ अर्जित किया जब सरकार ने उनको इस सम्बन्ध में चेतावनी दी तो भारतीय सूती वस्त्र फैडरेशन ने देश की मिलों को यह अनुदेश जारी किये कि वे मोटे कपड़े पर २५ प्रतिशत, निम्न मध्यम प्रकार के कपड़े में २२ प्रतिशत और महींन कपड़े में ९ प्रतिशत दाम बढ़ा सकते हैं। जब सरकार ने इस पर असहमति प्रकट की तो इनकी कीमतों में दो या तीन प्रतिशत की नाममात्र

---

†मूल अंग्रेजी में

कटौती कर दी गयी। वस्तुतः इस प्रकार कपड़ा उद्योग को मुनाफा कमाने का पूरा-पूरा अवसर दिया गया।

एक ओर कपड़े की कीमतों में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि रुई की कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। रुई की अधिकतम कीमतें सरकार ने १९५१ में निश्चित कर दी थीं, तब से सूती वस्त्रों की कीमतों में लगभग ३० प्रतिशत, तिलहन की खली में ३९ प्रतिशत चाय में ११४ प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके विपरीत सरकार ने १९६०-६१ में कल्याण रुई की कीमतें घटा दीं। जब बहुत विरोध किया गया तब कहीं नाममात्र की वृद्धि की गयी। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की नीति से ८० प्रतिशत कृषकों को हानि हुई है। कृषकों के लिये रुई की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही हैं इसके विपरीत जब हमें रुई की कमी हुई तो हमने विदेशों से रुई मंगा ली है, और इस प्रकार हम दूसरे देशों के ऋणी हो गये हैं। वस्तुतः इस नीति को बदलने की आवश्यकता है।

अब मैं खाद्यान्नों का प्रश्न लेता हूं। यह ज्ञात हुआ है कि पंजाब और मध्य प्रदेश में गेहूं का पर्याप्त भण्डार जमा हो गया है और दाम गिर गये हैं यदि ऐसा है तो इसमें या तो राज्य सरकार का दोष है या केन्द्रीय सरकार का किन्तु घाटा उठाना पड़ रहा है कृषकों को।

जहां तक पंचायती राज्य का सम्बन्ध है यह बहुत अच्छी योजना है इससे जनता को अपने विकास कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण करने की आदत हो जायेगी, तथापि पंचायती राज की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि इसका संचालन लोकतन्त्रात्मक ढंग से किया जाय, इस सम्बन्ध में पुराने नौकरशाही परम्पराओं का त्याग करना होगा तब कहीं इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत करने के लिये यह आवश्यक है कि पंचायतों की जड़ें मजबूत की जायं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह आशा प्रगट की है कि चीन हमसे सुलह कर लेगा। मेरे विचार से चीन के इतिहास को देखते हुए हम उससे यह आशा कदापि नहीं कर सकते हैं। अतः हमें चाहिये कि हम एक हो कर सरकार के हाथों को मजबूत करें तभी कहीं चीन हमारे समक्ष झुक सकता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर): हमें चीन के प्रधान मंत्री तथा दोनों सरकार के उच्चाधिकारियों की बातचीत से बहुत आशा थी, तथापि यह सब आशायें गलत साबित हुईं। इसके साथ-साथ यह भी अफवाहें फैल रही हैं कि सीमांत के पार सैनाओं का जमाव गहरा हो रहा है और चीन भारत के बड़े भूक्षेत्र की मांग करने लगा है। यद्यपि सभा को यह नहीं बताया जा रहा है कि इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथापि मेरा सुझाव है कि हमें सीमांत की सुरक्षा के लिये सड़कें, संचार साधन तथा रेलवे लाइनें बिछानी चाहिये। इसके साथ देश के विखंडनात्मक तत्वों का दमन करना चाहिये।

मेरे विचार से नागालैंड का नाम नागा भूमि या नागा प्रदेश रखा जाना चाहिये। इस नाम में विदेशों जैसे नाम का आभास मिलता है। अभी केवल पांच दिन पूर्व इस राज्य का उद्घाटन पूर्ण सुरक्षा साधनों के अधीन हुआ है मैं आशा करता हूं कि यह व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य करेगी, तथापि उपद्रवों नागा लोगों के उत्पादों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

इस संबंध में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों से नागा लोग अपने क्षेत्र की स्वाधीनता के लिये संघर्ष कर रहे हैं। पीछले चार वर्षों से सरकार के दबाव के कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० च० बरुआ]

नागा नेता लोग छिप कर इस आन्दोलन का संचालन कर रहे हैं। इस कारण बहुत-बहुत हत्यायें रक्तपात इत्यादि हुआ है। अभी तक हमें अपने विमान दल के चार कर्मचारी भी वापस नहीं मिल सके हैं। इस संबंध में मैं २१ फरवरी १९६१ को आसाम ट्रिब्यून में प्रकाशित एक संवाद की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें कहा गया है कि नागा उपद्रवियों द्वारा पकड़े गये भारतीय विमान दल के चार कर्मचारियों को बर्मा के सीमान्त में उस इलाके में ले जाया गया है जहां कि उपद्रवियों का कब्जा है।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान कुछ घटनाओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आसाम को जाने वाली एक मात्र रेलवे लाइन पर सदैव नागा उपद्रवियों के आक्रमण होते रहते हैं। अभी हाल आसाम सरकार के एक योग्य अधिकारी की इन नागाओं के हाथों दुखद मृत्यु हुई थी, यह कहा जाता है कि उपद्रवियों की संख्या वहां की वफादार जनता से भी अधिक है। अतः सरकार का यह कथन बिल्कुल गलत है कि नागा उपद्रवियों की संख्या में कमी होती जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि हम नागा उपद्रवियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देवें और इस समस्या पर नये सिरे से विचार करें।

इसी प्रसंग में यह बात बतलाना भी उचित होगा कि स्वतंत्रता के पूर्व वर्तमान आसाम का प्रशासन दो एककों द्वारा किया जाता था, जब कि आज हमने राज्य को विभाजित कर दस एकक बना दिये हैं, इस प्रकार हमने राज्य के टुकड़े-टुकड़े कर स्वयं विघटन की ओर कदम उठाया है।

अब मैं तेल की खोज को लेता हूं। आसाम में इस समय दो क्षेत्रों में तेल की खोज हो रही है। एक क्षेत्र आइल इंडिया लिमिटेड के अधीन है और दूसरा तोल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन, आइल इंडिया लिमिटेड का काम काफी संतोषजनक है जब कि आयोग का काम ढिलाई से चल रहा है मैं आशा करता हूं कि आयोग इस ओर समुचित ध्यान देगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अंत में, मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि भारत में प्रतिवर्ष कई प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं तथापि आसाम को उनकी यात्रा में शामिल नहीं किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आसाम को भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रम में स्थान दिया जायेगा।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलदुर्ग): आज देश की एकता और सुरक्षा को भारी खतरा दिखाई दे रहा है। परन्तु राष्ट्रपति का अभिभाषण इस बात का कोई आश्वासन नहीं देता कि विभिन्न समस्यायें को हल करने के लिए सरकार अमुक उपाय अपनायेंगी। राष्ट्रपति द्वारा तीसरी योजना का उल्लेख किया गया है और यह भी कहा गया है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं देश की प्रगति और विकास के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि साधारण जनता भारी बोझों के नीचे दबी हुई है और देश की ऋणग्रस्तता बराबर बढ़ती चली जा रही है। बहुत अधिक मात्रा में ऋण लेने तथा असीमित कराधान के कारण मुद्रास्फीपि बहुत अधिक बढ़ गयी है। आज स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। हमें प्रतिवर्ष २०० करोड़ रुपया अपने लिये हुए कर्जों पर ब्याज के रूप में देना पड़ता है। हमारे दायित्व बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी तीसरी योजना में जो १२,५०० करोड़ रुपया खर्च हो रहा है ये सब ऋण

†मूल अंग्रेजी में

रुपये कर के रूप में उन करों के अतिरिक्त देने होंगें जो कि वह अब भी दे रहा है। मेरा निवेदन है कि यदि हमें साधारण जनता के हितों की रक्षा अभीष्ट है तो योजना में रूपभेद करना ही होगा। हमारी योजना हमारी आर्थिक स्थिति तथा देश के भीतर उपलब्ध साधनों के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा न हो कि सामान्य जनता को भूखों ही मरना पड़े, क्योंकि चीजों की कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही है।

देश की आय ६ से ७ प्रतिशत बढ़ी है यह तो राष्ट्रपति ने ठीक कहा है परन्तु कभी किसी ने यह भी सोचा है कि हमारा राष्ट्रीय व्यय कितना बढ़ा है : आज आय तो बढ़ी है परन्तु जीवन स्तर नीचे गया है। मेरा भय है कि तीसरी योजना में स्थिति और अधिक शोचनीय हो जायेगी।

जबलपुर में जो कुछ हुआ है उससे सारे देश में एक उत्तेजना हुई है। देश भक्तों के हृदय हिल गये हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश में साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक ही नहीं प्रत्युत अन्य प्रकार के भी अल्पसंख्यक हैं। सभी के हितों की रक्षा करनी अनिवार्य है। शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। इस दिशा में प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिएं। इस प्रकार की घटनायें सरकार और राष्ट्र दोनों के लिए कलंक का कारण है। इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी घटनाओं को प्रत्येक अवस्था में रोका जाना चाहिए।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महराजगंज–उत्तर प्रदेश) : मैं इस सम्बन्ध में केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का ही उल्लेख करना चाहता हूं। आज वहां व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। हमारे राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के विजिटर हैं। उन्हें अपने अभिभाषण में इस विषय का उल्लेख करना चाहिए था। इसके सम्बन्ध में जब भी हमने कुछ पूछताछ करने का प्रयत्न किया तो हमें बताया गया कि विश्वविद्यालय का प्रबन्ध एक स्वतन्त्र निकाय के हाथ में है, उसके सम्बन्ध में कुछ पूछा नहीं जा सकता। परन्तु यह निकाय तो विजिटर द्वारा मनोनीत किया हुआ ही है और विजिटर का समस्त उतरदायिव स्वयं शिक्षा मंत्रालय ने अपने ऊपर ले लिया है। अतः मैं चाहता हूं कि इस विषय पर यहां चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि किसी प्रोफैसर अथवा अध्यापक का व्यवहार विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध जाता है तो उन्हें हटाया जा सकता है। मुदालियर समिति ने बताया है कि विश्वविद्यालय की हालत अच्छी नहीं। जो अध्यापक निकाल गये थे उन्हें पुनः नौकरी पर रख कर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पूर्णतः उल्लंघन किया है। इससे सिद्ध होता है कि वह कुछ व्यक्तियों के प्रति भेदभाव कर रही है। दुश्मनों से दुश्मनी निकालने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं श्री भक्त दर्शन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने विरोधी पक्ष के लोगों के भाषण सुने हैं, उनमें किसी भी निश्चित नीति का सुझाव नहीं दिया गया। क्या हमारे दोस्त यह चाहते हैं कि चीन पर आक्रमण कर दिया जाय। और उसके परिणामों पर विचार ही न किया जाय। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक निश्चित मत व्यक्त किया गया है कि हम अपनी शांति पूर्ण नीति को अपनाते हुए प्रत्येक प्रकार से आगे बढने का प्रयत्न करेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि चीन भारत के साथ कोई समझौता करने के लिये राजी नहीं होता और भारत के राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नलदुर्गकर]

क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा बनाये रखने का दुराग्रह करता है, तो इस के जो बुरे परिणाम होंगे, उनके लिये वही उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति के भाषण में चीन को काफी चेतावनी दे दी गई है।

राष्ट्रपति ने पंचायत राज्य का जो उल्लेख किया है उस का स्वागत किया जाना चाहिये। इस के अतिरिक्त नागा लैंड का निर्माण एक अलग राज्य के रूप में कर दिया गया है। आशा है कि नागा लैंड के नेता आदिम जातियों के सभी वर्गों को संगठित करने का प्रयत्न करेंगे। वे हिंसा के मार्ग को छोड़ प्रशासन को सहयोग देंगे। भारत का प्रत्येक नागरिक उनकी उन्नति और समृद्धि के लिये सदैव तैयार रहेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। और आलोचना तथा सुझावों के रूप में बहुत सी बातें कही हैं लेकिन उन सब के बारे में कुछ कहना मेरे लिये थोड़ा कठिन है। जो कुछ यहां कहा गया है उन के बारे में सभी सम्बन्धित मंत्रालय ध्यान देंगे। मेरा विचार है कि यहां जो बातें उठाई गई है उन के बारे में अलग-अलग से कुछ न कह कर समष्टि रूप से उन के बारे में कुछ कहूं।

सर्व प्रथम मैं श्री अशोक मेहता द्वारा की गई आलोचना का उल्लेख करूंगा। उन्हों ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस है। सरकार का सदस्य होने के नाते, चूंकि हम इस अभिभाषण के लिये उत्तरदायी भी हैं, यह आलोचना निश्चय ही हम पर भी लागू होती है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह आलोचना आंशिक रूप में न्याय संगत भी है। मानव होने के नाते हम कभी-कभी अपनी राय, अपने द्वारा प्रयुक्त भाषा अथवा आलोचना के मामले में चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। मैं भी इस का शिकार हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे अवसरों पर, हमेशा नहीं, अपनी भाषा पर काबू रखना चाहिये। और जो कुछ भी कहा जाये वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिये अब तक जितने अभिभाषण हुए हैं, चाहे उन की संख्या १२ अथवा उस से अधिक ही रही हो, मुझे ठीक से तो याद नहीं, उन में एक निश्चित भाषा का प्रयोग किया गया है। यह बात अच्छी हो या बुरी इस बारे में लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि जब कभी भारत का प्रश्न आता है उसकी समस्याओं का सवाल उठता है, उस के भविष्य की बात उठती है तो सभी सदस्य, जैसा कि मैं भी करता हूं, बहुत जोर के साथ इसे महसूस करते हैं। हम भारत के अंग हैं, भावुकता की दृष्टि से हमें गहरे आघात पहुचे हैं। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि ऐसे अवसरों पर हमें भावनाओं का शिकार नहीं होना चाहिये। और स्थिति का निरूपण भावनाओं के आधार पर नहीं करना चाहिये। मैं यह बात क्षमा मांगने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं बल्कि स्थिति का विश्लेषण कर रहा हूं। बातें बनाना आसान है—कोई कठिन बात नहीं है। दर असल बात यह है कि हमें कठिनाइयों का मुकाबला तो करना ही है। चाहे वे कठिनाइयां हमारे आर्थिक विकास एवं तत्सम्बन्धी भयानक परिणाम की हों अथवा वह कठिनाई हमारी सीमा पर अतिक्रमण की धमकी हों अथवा उस का डर हो, इन सब के बारे में सभी प्रकार की बातें की जा सकती हैं। लेकिन बातें बनाने से ही समस्या का समाधान नहीं हुआ करता। ऐसी परिस्थितियों में स्थिति का ठंडे दिमाग से सोचना उन के बारे में तर्क से काम लेना और फिर कार्यवाही करना ही अच्छा होता है।

आज देश के सभी लोग एक महान और विकट समस्या में ग्रस्त हैं। जब इस के बारे में मैं सोचता हू तो यह अनुभव करता हूं कि यह हमारे भाग्य और परिस्थितियों ने हमारे ऊपर लाद दी हैं। जब मैं उसके बारे में विचार करता हूं तो यह अनुभव करता हूं कि हम इस के लिये सक्षम नहीं है यह समस्या आज की अथवा इस वर्ष की नहीं है, यह तो एक युग से चली आ रही समस्या है जिसका हमें मुकाबला करना है। इस का उल्लेख भारत के इतिहास में चला आ रहा है। इस का मुकाबला करने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

हमारी स्थिति बहुत ही हीन है। लेकिन आज हमारे देश में जो मोड़ आया है, आज भारत के करोड़ों लोगों में जो परिवर्तन आ रहा है वह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी इस महान समस्या का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। हम इस का मुकाबला करने के लिये बहुत छोटे हैं। नगण्य हैं लेकिन फिर भी हम इस का सामना कुछ विश्वास के साथ कर रहे हैं। इसलिये नहीं कि हमारा यह विश्वास है कि हम अपनी योग्यता के आधार पर इसका मुकाबला कर सकते हैं बल्कि इस विश्वास के साथ कि यह वह भारत है जो युगों से अब तक जीवितावस्था में चला आया है, इसकी जनता में हमारा अटूट विश्वास है, इसके करोड़ों व्यक्तियों में हमारा बिश्वास है, इस संसद् में जो कि इस कार्य को करती है हमारा अटूट विश्वास है। और इसी विश्वास के आधार पर हम अभी तक जीवित हैं।

चाहे कोई व्यक्ति कितना ही चतुर एवं महान क्यों न हो क्या वह यह सोच सकता है कि वह इस का मुकाबला अकेला अथवा छोटे-छोटे समुदायों की सहायता से कर सकता है। आखिर यह एक महान समस्या है। फिर भी गत दो वर्षों में कुछ लोगों ने परिश्रम कर के भारत की आजादी हासिल की है और भारत को अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि प्रदान की है एवं विश्व में इसे एक खास अहमियत प्रदान की है। यह कोई मामूली बात नहीं है जिसे कि कोई आदमी थोड़े समय में अथवा कुछ वर्षों में प्राप्त कर सके ; चाहे आदमी कितना ही होशियार क्यों न हो वह गलती करेगा, हम से भी गल्तियां हुई हैं, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जिस का कोई पूर्वोधारण नहीं था लेकिन फिर भी, इस के बावजूद भी हम ने राष्ट्रीय विकास किये हैं। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां कि ऐसी बातें हुई हों, या जहां कि परिस्थितियां हमारी जैसी रही हों।

इस प्रकार आप देखते हैं कि हम इस महान कार्य में लगे हुए हैं। देश के करोड़ों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारा देश एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रकार की समस्यायें हैं, विभिन्न प्रकार के मतों के लोग विद्यमान हैं। फिर भी हम ने उन सब को एकत्रित किया है। हमारे इस महान कार्य के लिये हमें आज महान सुविधायें दी गयी हैं। लेकिन मैं फिर भी आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कोरी बातों में नहीं बह जाना चाहिये। हालांकि हम यथार्थवादी बनना चाहते हैं।

माननीय सदस्यों ने बड़ी आलोचना की है। और उनका ऐसा करना ठीक भी है। मैं सोचता हूं कि उस आलोचना के पीछे मूलभूत बातों के बारे में एक समझौता है। हो सकता है कि मूलभूत बातों की विशालता एवं उनकी विस्तृता के बारे में काफी आलोचना करनी आवश्यक है और आलोचना करना भी ठीक। हो सकता कि कुछ माननीय सदस्य इन मूलभूत बातों से भी मत भेद रखते हों। हम ने अब तक जो कुछ किया है श्री रंगा उस से सहमत नहीं हैं। उनका तथा उन के दल का मत है कि इन सभी समस्याओं पर सोचने के बजाय परमात्मा में आस्था रखनी चाहिये। मेरी समझ में उनकी ये थोथी दलील नहीं आई। क्योंकि हमें तथ्यों एवं परिस्थितियों का मुकाबला करना है।

यदि आप हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचें जो कि मूल बात है, अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य बातों के बारे में सोचें तो आप को आलोचना करने के लिये बहुत कुछ मसाला मिल जायेगा, और उस की आलोचना करना स्वाभाविक भी हैं। क्या आप सोचते हैं कि सरकार के मंत्री एक दूसरे की अथवा एक दूसरे के कामों की आलोचना नहीं करते। मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि हालांकि हम जो आलोचना यहां की गई है उस से पूर्णत: सहमत नहीं है लेकिन फिर भी हम बहुत सी बातों से, बहुत सी आलोचनाओं से सहमति प्रकट करते हैं। और कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जिन की आलोचना हम खुद कर सकते हैं। भारत में योजना जैसे जटिल कार्य की आलोचना करना अनिवार्य है। क्योंकि इन योजनाओं के पीछे इन सम्बधी प्रतिवेदनों के पीछे हमारी जनता, ४० करोड़ व्यक्तियों की आकांक्षाओं का स्पन्दन है। और शायद ही कोई महान व्यक्ति इन समस्याओं का मुकाबला निश्चितता के साथ कर सकता है। हम लोग एक दूसरे से, एक दूसरों के अनुभवों से, एक दूसरों की भूलों से ही कुछ सीख सकते हैं। और यह बात सच है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लेकिन किसी की आलोचना करने या उसे समझने के लिये यह बहुत जरूरी है कि उस का सही रूप देखा जाये उस के बारे में पूरी बातें समझने की कोशिश की जाये, यह नहीं कि उस की किसी थोड़ी सी बात अथवा कुछ परिस्थितियों को लेकर ही आलोचना शुरू कर दी जाये। योजना के मामले में सैकड़ों, हजारों और करोड़ों बातें मिली जुली हैं। यह मामला ऐसा नहीं है जो केवल अवसर पर ही छोड़ दिया जाये, या किसी और बात के ऊपर छोड़ दिया जाये, और न यह मामला ऐसा छोटा है जैसे कि धर्मशाला आदि का निर्माण किया जाना हो। यह मामला कोई योजना नहीं है। योजना सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन की एक झांकी है। इसमें देश के ४० करोड़ व्यक्तियों की प्रगति निहित है। अतः कोई भी आलोचना करने से पूर्व हमें यह बात पूरी तरह से समक्ष लेनी चाहिये कि हमारे सामने देश के पुनर्निर्माण का एक महान कार्य है जिस में ४० करोड़ व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक समस्या पर देश में विद्यमान परिस्थितियों तथा अवस्थाओं के सम्पूर्ण स्वरूप को सामने रख कर विचार किया जाना चाहिये।

देश में बेरोजगारी के प्रश्न को ही लीजिये। यह हमारे लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाये उस का उल्लेख तो मैं यहां नहीं करूंगा लेकिन यहां कुछ ऐसी बातें कही गई हैं मानों सरकार की मूर्खता ही का परिणाम है कि यह समस्याहल नहीं हो सकी है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में ही नहीं है बल्कि विश्व के बहुत से देश इस समस्या से ग्रस्त हैं। यह बात ठीक है कि हमें इस पर विचार करना चाहिये लेकिन केवल कोरी आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस बारे में पहली बात तो यह है कि मोटे तौर पर हमें यह देखना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चाहे श्री रंगा के कुछ भी विचार क्यों न हो हमें आगे बढ़ना होगा। हमें आगे बढ़ने के लिये योजना बनानी होगी। (**अन्तर्बाधा**) हम वास्तविक स्थिति से काफी दूर हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा देश अमरीका, इंगलिस्तान अथवा किसी दूसरे देश की प्रतिमूर्ति बने। उन के यहां भी नई समस्यायें आ गई हैं, यह ठीक है कि उन्हों ने प्राथमिक समस्याओं का समाधान कर लिया है लेकिन फिर भी नई समस्यायें आ उठी हैं। हमारे सामने भी नई समस्यायें आयेंगी। उन समस्याओं का तो मैं अब कोई उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन आज हमारे सामने मूल, और प्राथमिक समस्यायें हैं जो सम्पूर्ण मानव जाति के सामने सभी जगह विद्यमान हैं। जो उन सभी राज्यों में विद्यमान हैं जिन्हें आप नया जीवन देना चाहते हैं। यह ही वह प्राथमिक समस्या है जो हमारे सामने है। इस के बाद ही दूसरी समस्यायें आती हैं। हमें सदैव ही देश के ४० करोड़ व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिये। और जैसे ही आप यह बात भूल जाते हैं वैसे ही आप गुमराह हो जाते हैं। हमारे बहुत से दल इस बात को भूल जाते हैं। युगों से बहुत से व्यक्ति गरीबी के शिकार हुए हैं और इस से छुटकारा पाने के लिये निरन्तर लड़ते रहे हैं। गरीबी से छुटकारा पाने के लिये महा कठोर लड़ाई और अपने परिश्रम से ही लोगों को ऊपर उठते देख कर हमें प्रेरणा मिलती है।

इस समस्या का हल करने के बहुत से तरीके हैं। हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं, हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं। कि यदि हम देश में विद्यमान गरीबी तथा बेरोजगारी से मुक्ति पाना चाहते हैं और देश की जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हमें विज्ञान तथा टेक्नोलोजी के आधुनिक उपयोग का सहारा लेना होगा और इस कार्य के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता है। और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हो सकता है कि अन्य मानवीय प्रयत्नों से आप सहमत न हों लेकिन इस प्रयत्न में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यही एक ऐसा साधन है जिस के द्वारा आप लोगों का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं अधिक उत्पादन कर सकते हैं।

हम समाजवाद की बात करते हैं । मैं समाजवाद के मूलभुत विचारों से आज से ५० वर्ष पहले से ही प्रभावित हूं । लोग इसकी आलोचना करते हैं और आलोचना की गुंजाईश है भी । किन्तु यदि आप इसका विश्लेषण करें तो फिर भी आप आधुनिक वैज्ञानिक एवं टेक्निकल उपायों की ही शरण लेंगे । और जब तक आप इन साधनों को नहीं अपनायेंगे तब तक समाजवाद नहीं हो सकता ।

हमारी आर्थिक व्यवस्था की भी कटु आलोचना की गई है । कुछ आलोचनाएं न्याय-संगत भी है । लेकिन फिर भी आलोचना करते समय कुछ बातें छूट गई हैं । आर्थिक व्यवस्था की आलोचना करते समय आप कृषि, उद्योग, मूल आधार बात––मानव, अर्थात् प्रशिक्षित मानव के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन यह बात आप को माननी पड़ेगी कि जब आप वैज्ञानिक तथा टेक्नीलोजीकल उपायों को अपना चुके हैं तो यह आवश्यक है कि आप के यहां प्रशिक्षित व्यक्ति हों ।

यदि आप कृषि की ही बात लें––हालांकि बहुत कुछ उस के बारे में कहा जा चुका है तो आप देखेंगे कि कृषि व्यवस्था में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है वह ठीक दिशा में प्रगति कर रही है । यह प्रगति गत १२ वर्षों के कठोर परिश्रम और परिस्थितियों का ही परिणाम है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि यह ठीक दिशा में प्रगति कर रही है । और हमने एक मोड़ लिया है । हो सकता है कि हमारे सामने भविष्य में कुछ अधिक कठिनाइयां आयें लेकिन यह निश्चय है कि इस मोड़ के फलस्वरूप हमारे खाद्य का उत्पादन बढ़ेगा। हम प्रकृति पर निर्भर हैं और हो सकता है कि आगामी कुछ वर्षों तक प्रकृति पर और निर्भर रहें लेकिन प्रकृति की इस निर्भरता को हम खाद्यान्नों का भॉडार कर के, और गहन खेती आदि कर के बहुत कुछ कम कर सकते हैं । और हम वह कर भी रहे हैं । माननीय सदस्य यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन में बहुत कुछ किया गया है लेकिन फिर उसे भी प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है । प्रकृति से काफी अलग रहने और कृषि में काफी विकास करने के बाबजूद भी वहां अकाल पड़ते रहे हैं । अतः परिस्थितियों को ध्यान में रख कर आप लोग जो आलोचना करते हैं वह ठीक नहीं है । उससे कुछ सहायता नहीं मिलती ।

मेरा विचार है कि प्रकृति पर निर्भरता कम होती जा रही है और कृषि व्यवस्था में इस दृष्टि से सुधार हो रहा है कि वह आधुनिक ढंग से चल रही है। किसान आजकल अच्छे हल, अच्छा बीज, तथा अन्य बहुत सी चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। आज का किसान अधिक से अधिक आधुनिक किसान बनता जा रहा है। साथ ही वह सहकारिता प्रिय बनता जा रहा है। वह सुधार कर रहा है। श्री रंगा ने जिस प्रकार के किसान का चित्रण किया है और जिन उपायों का वर्णन किया है मैं कह सकता हूं कि उन ठगों से कोई प्रगति नहीं हो सकती। सम्पूर्ण विश्व का अनुभव भी हमें यह बताता है। वह तभी संभव है जबकि हमारे यहां काफी मात्रा में भूमि हो, लोगों का रहन सहन का स्तर काफी नीचा हो––लेकिन वह आज संभव नहीं है । अत मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि कृषि आजकल अच्छाकार्य कर रही है ।

औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। हमारे देश में इस क्षेत्र में जो तेजी से प्रगति हो रही है उससे लोग हिल उठते हैं। मैं कह नहीं सकता कि सभा इस बात से सहमत भी है अथवा नहीं क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं कि यह नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग उद्योगों की उन्नति को देखते हैं निश्चय ही वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बड़े उद्योगों के बारे में तो लोग प्रायः न्यूनाधिक रूप में जानते हैं लेकिन मझौले तथा छोटे उद्योगों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं उन के बारे में बहुत थोड़े ही लोग जानते हैं । हमें इस बात का सही पता तभी चलता है जबकि कोई विदेशी दर्शक उन्हें देख कर उन के बारे में अपना मत प्रकट करता है । मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं विदेशी दर्शकों की राय को महत्व देता हूं बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि वे हमारी प्रगति के आलोचक हैं, और वे तब तक हमारी प्रगति की सराहना नहीं कर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सकते जब तक कि वे ऐसा करने के लिये मजबूर न हो जायें। और जब ऐसे लोग हमारी इस प्रगति की प्रशंसा करते हैं तो निश्चय ही उनकी प्रशंसा का कुछ अर्थ है, कुछ महत्व है ।

अभी एक दिन म एक लेख पढ़ रहा था---एक बड़े अखबार के एक बड़े प्रसिद्ध वित्तीय मामलों पर लिखने वाले सम्पादक का लेख । उन की बात पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । लेख में उन्होंने कहा था कि भारत में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों का विकास "बड़ी तेजी से और अंधाधुन्ध" हो रहा है उन्होंने अपने उस लेख में कई बातों की नुक्ताचीनी भी की, लेकिन आखिर में यही कहा है कि सारे भारत में चारों तरफ बढ़ाव ही बढाव नजर आता है, उसकी शक्ल बदलती जा रही है। बाहर के देशों से आने वालों को ऐसा ही लगता है। लेकिन यहां तो हम यही रोना रोते रहते हैं कि भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ी अजीब सी चीज है कि लोग असलियत को देख ही नहीं पाते, वे कुछ ऊपरी चीजों को, ऊपरी कुछ खराबियों को ही असलियत समझ लेते हैं। वैसे खराबियां तो हैं ही, बेशुमार हैं लेकिन वह असलियत तो नहीं ।

आज हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जब भारत के लोगों---करोड़ों लोगों की जिन्दगी में तरह-तरह से तब्दीलियां हो रही हैं---रोज़ बरोज़ तब्दीलियां हो रही हैं । किसान की ज़िन्दगी भी बदल रही है और पढ़ने पढ़ाने वालों की भी। अपने देश के पढ़ाई के ढंग की हम अक्सर नुक्ताचीनी करते हैं और सही करते हैं । लेकिन पढ़ाई का तौरतरीक़ा, पढ़ाई का ढंग, हमारी जिन्दगी में एक इन्कलाब भी पैदा करता जा रहा है नुक्ताचीनी करते वक्त, हम यह भूल जाते हैं। ये स्कूल-कालेज हमारे देश में एक इन्कलाब लाने में बड़ा हाथ बंटा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद हर महीने, हर साल बढ़ती जा रही है । हर साल दस लाख पढ़े-लिखे नौजवान तैयार हो जाते हैं। आज उन की तादाद ४ करोड़ ५० लाख है तीसरे प्लान के पूरा होते-होते उन की तादाद ६ करोड़ हो जायेगी। इन पढ़े-लिखे लोगों में लड़के भी हैं, और लड़कियां भी । लड़कियों के पढ़े-लिखे होने की बात और ज्यादा अहमियत की है । इसलिये कि अगर इन्कलाब घर से ही शुरू हो, तो फिर कोई चीज़ उस से अछूती, उस से अलग नहीं रह सकती । इस तरह आज हमारे देश में सैकड़ों तरफ से, तरह-तरह से, हर तरफ से हर चीज़ में इन्कलाब आ रहा है ।

और अगर हम इस सवाल पर एक वसी नज़रिये से, एक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करें, तो दिल अपनी कामयाबी, अपनी जीत की खुशी से भर जाता है । हमारा दिल दूना हो जाता है । इस कामयाबी पर । इसलिये कि हमारी तरक्की के रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है और हम सब उसी के हिस्से हैं । हमारी पार्लियामेन्ट, हमारी विधान सभायें, और कारखानों में काम करने वाले करोड़ों लोग और स्कूल-कालिजों के करोड़ों लोग---सभी उस के हिस्से हैं। हमारा पूरा देश जैसे एक बड़ा कारखाना है, और अब वह ज्यादा अच्छे ढंग से, ज्यादा कारगर तरीके से काम करने लगा है । मैं आप को बताना चाहता हूं, भारी-भरकम और लच्छेदार अल्फाज़ में नहीं, सीधे-सादे अल्फाज़ में आप को बताना चाहता हूं कि देश की बढ़ती, उस की तरक्की की यह तसवीर देख कर, दिल में कितनी गरमी, कितनी तेजी पैदा हो जाती है, कितनी खुशी होती है अपनी कामयाबी पर, अपनी तरक्की पर ।

पंचसाला योजना की रिपोर्ट आप देखिये । उस में आंकड़े ही आंकड़े भरे हैं, लम्बे-चौड़े आंकड़े । उस में लच्छेदार अल्फाज़ नहीं हैं । अदबी खुसीसियात नहीं हैं। लेकिन अगर आप उस की छानबीन करें, और उस के ढांचे से, उस के ब्यौरे और आंकड़ों से थोड़ा हट कर, उन के पीछे जो चीज़ है उसे देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि उन आंकड़ों में जिन्दगी बोल रही है, हिलोरें ले रही हैं, उनके पीछे उन करोड़ों लोगों के लोहू की थिरकन है जिनकी हर तरह की तरक्की से उस का ताल्लुक है। लोग इसे एक जज्बाती नज़रिया कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस जज्बाती नज़रिये में भी कुछ

है जिसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। और अगर इस जज्बाती नजरियों से योजना को देखा जाये, उसे समझने की कोशिश की जाये, तो असलियत की ज्यादा साफ तसवीर हमें दिखती है। प्लान के कुछ आंकड़ों से ही उलझे रहने पर, हमें असलियत की झांकी नहीं दिख पाती ।

इसीलिये मैं कहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मंजिल बड़ी मुश्किल है, मुश्किलात से भरी हुई है, लेकिन हमें जरूरी तौर पर उस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उस से गुजरने पर ही उन, मुश्किलात को हल करने के बाद ही, हम बेहतर जमाना ला सकेंगे और इसीलिये हम सभी मुश्किलात से जूझ रहे हैं। इस में अफसोस की कोई बात ही नहीं है। खेती बारी में ही, या उद्योग-धंधों में, हर देश इसी तरह मुश्किलात झेल कर ही आगे बढ़ता है। मैं आप को ज्यादा ब्यौरेवार तरीके से बता सकता हूं कि भारत उद्योग-धंधों के मामले में कितना आगे बढ़ा है लेकिन उस के लिये ज्यादा वक्त चाहिये ।

श्री रंगा ने बहुत सी बातें कही थीं। उन्होंने ही शायद यह कहा था कि हम ने हथ करघे से बुनाई करने वालों को भुला दिया है और बिजली से चलने वाले करघे चला कर उन को बेरोजगार बना दिया है। सब से पहली चीज़ तो यह कि उन को इस के बारे में ठीक-ठीक तथ्य मालूम नहीं हैं। दूसरी चीज यह कि वह नहीं देख पाते कि बेहतर टेकनीक के जरिये ही हर तरक्की की जाती है, पुराने टेकनीक से चिपके रह कर नहीं। पुरानी टेकनीक को छोड़ने में हमें तभी कोई आनाकानी होती है, जब उसे एकदम एकबारगी चालू करने से समाजी तौर पर किसी नुकसान का अंदेशा हो। वह तो दूसरी ही बात हुई लेकिन हथकरघे के बारे में तो चीज़ बिलकुल ही दूसरी है। हथकरघा उद्योग में तो हम ने २५ लाख हथकरघे और उन से बुनाई करने वाले बुनकरों को काम दिया है, जिन की तादाद आज पहले से कहीं ज्यादा है। हथकरघे से तैयार होने वाले कपड़े का उत्पादन १९५१ में ८५ करोड़ गज था, जो अब १९६० में १ अरब ८६ करोड़ हो गया है, यानी ड्योढे से ज्यादा हो गया है। इस बढ़ती का ४० फी सदी भाग सहकारी संस्थाओं के जरिये हुआ है, जिससे पता चलता है कि सहकारी संस्थायें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं ।

श्री डांगे ने नागपुर-प्रस्ताव का जिक्र किया था। उन का कहना है कि हम ने नागपुर-प्रस्ताव को भुला दिया है। मैं उन को यकीन दिलाता हूं कि हम ने उसे कतई नहीं भुलाया है। वह हमारे दिमागों में ही नहीं, हमारे कामों में भी मौजूद है। देश में सहकारिता तेजी से आगे बढ़ रही है। सहकारिता के दो हिस्से हैं—सेवा सहकारी संस्थायें और मिलीजुली फार्मिग की संस्थायें। यह सही है कि हम सेवा सहकारी संस्थाओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और इसीलिये वे ज्यादा तेजी से आगे आ रही हैं। लेकिन दूसरी संस्थायें भी बढ़ रही हैं, उतनी तेजी से न सही। हम जान बूझ कर सेवा सहकारी-संस्थाओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसलिये कि सहकारिता के लिये लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। उन को सीढ़ी-दर-सीढ़ी आगे ले जाना पड़ेगा। हमारा मकसद यही है कि जहां भी मुमकिन हो, और लोग तैयार हों, वहां सहकारी मिली-जुली खेती चालू की जाये। लेकिन अभी इतना ही काफी है कि देश भर में सेवा सहकारी संस्थायें फैला दी जायें। और हमें यकीन है कि इस के बाद जनता खुद ही इस के आगे का कदम उठा लेगी। हम उन को मजबूर नहीं करेंगे। यह भी याद रखना चाहिये कि मिलीजुली खेती का मतलब यह नहीं है कि किसानों के मालिकना अधिकार खत्म हो जायेंगे ।

चीनी का उत्पादन देखिये कितनी तेजी से, यकायक बढ़ गया है और हमारे पास फालतू चीनी का स्टाक भी बचने लगा है। इस्पात का उत्पादन भी देखिये। इन सबको देख कर मुझे लेनिन की बात याद आती है। लेनिन ने सोवियत इन्कलाब के शुरूआती दौरे में कहा था कि कम्युनिज्म के माने हैं सोवियतें (पंचायतें) और बिजली का योग। भारत के लिये भी प्रगति माने हैं पंचायतें और बिजली की ताकत का योग। इसमें थोड़ा फर्क भी है। हमें बिजली पर ज्यादा जोर देना है। इसलिये कि बिजली

की ताकत हर चीज़ को तबदील कर देगी। कल-कारखानों, खेती-बारी वगैरह सभी चीजों को बदल कर रख देगी। हमारी पालियामेंट भी बड़ी पंचायतें हैं। इसलिये पंचायतें और बिजली दोनों मिल कर देश की पूरी शक्ल बदल देंगी।

अपनी योजना के बारे में मुझे एक ही बात की परेशानी है—यह कि हमारे यहां बिजली की ताकत काफी तेजी से नहीं बढ़ रही है। बढ़ तो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। इसीलिये हमें उसकी कमी की वजह से कई ऐसी चीजें छोड़ देनी पड़ती हैं जो आज जरूरी हैं।

इस्पात के बारे में, मुझे बताया गया है कि दूसरी योजना के लिये जो लक्ष्य रखे गये वे पूरे किये जा चुके हैं। आचार्य कृपलानी का कहना है कि हमने आधे लक्ष्य की भी पूरे नहीं किये हैं। हम उनसे काफी पिछड़ गये हैं—उनका यही ख्याल है। इसमें सचाई नहीं है। सवाल असल में नजरिये का है। लक्ष्य पूरे करने लायक ताकत और मशीनें हमारे पास हैं। लेकिन नयी मशीनें एक दम तो अपने पूरे जोर से उत्पादन शुरू नहीं कर सकतीं। जैसे हर नयी कार के मामले में होता है। हर नयी कार को थोड़ा वक्त लगता है अपनी ठीक-ठीक रफ्तार तक पहुंचने में। हमने उत्पादन की क्षमता का जितना लक्ष्य रखा था, वह हमारे पास मौजूद है। अगले १८ महीनों में उत्पादन की रफ्तार और तेज हो जायेगी और दूसरी भी कई चीजें मदद करने लगेंगी उत्पादन को बढ़ाने में। अभी तो इतनी सारी मुश्किलात होते हुए भी, हमने इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया है। अब सारी कोशिश इसी की है कि उसे बढ़ाया जाये।

श्री डांगे ने अपने भाषण के दौरान कुछ आंकड़ों का जिक्र किया था। मैं उस वक्त यहां नहीं था। मैंने उनकी स्पीच की रिपोर्ट पढ़ी है। उसके आंकड़े देख कर तो मैं आंखें मलता रह गया। श्री डांगे का कहना है कि चैकोस्लोवाकिया के १ करोड़ २० लाख लोग ६० करोड़ टन इस्पात पैदा करते हैं। इसलिये अगर हम ४० करोड़ भारतीय ४० करोड़ टन भी पैदा करने लगें, तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने आगे कहा था कि लुक्जेमबर्ग जैसा छोटा सा देश भी ३० करोड़ टन इस्पात पैदा करता है। कुल मिला कर सारी दुनिया का उत्पादन भी इतना नहीं है।

†**एक माननीय सदस्य** : उनके भाषण की वह रिपोर्ट अशुद्ध है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : श्री डांगे ने कहा था कि चैकोस्लोवाकिया ६५ लाख टन इस्पात पैदा करता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : तो ठीक है। उनको अपनी स्पीच की अधिकृत रिपोर्ट शुद्ध करा देनी चाहिये। लेकिन इससे पता चलता है कि इतने सधे हुए दिमाग के लोग भी कभी-कभी ऐसी मोटी गलतियां कर बैठते हैं।

इस्पात और बिजली—दो ऐसी बुनियादी चीजें हैं, जो देश की तरक्की तय करेंगी। इन पर ही बढ़ती और तरक्की का दारोमदार है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम इस्पात पर जरूरत से ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ आपको बताता हूं कि इस्पात तो हम अभी जितना भी ज्यादा पैदा करें, वह थोड़ा ही रहेगा सौ साल बाद की बात मैं नहीं जानता, पर अभी तो यही हालत है। आप आज चाहे जितना ज्यादा इस्पात पैदा कर लें, उसकी जरूरत बनी ही रहेगी। सोवियत यूनियन आज ७ करोड़ १० लाख टन इस्पात पैदा करता है, और फिर भी उसका उत्पादन हर साल कई लाख टन बढ़ता जा रहा है। अभी उनकी जो योजना चल रही है, उसके पूरा होते-होते, वहां ९ करोड़ ४० लाख टन इस्पात होने लगेगा। फिर भी वे बाहर से जितना भी मिले इस्पात और

†मूल अंग्रेजी में

लोहा खरीदने के लिये तैयार रहते हैं। एक आगे बढ़ते हुए देश के लिये तो इस्पात की आवश्यकता दिन दूनी बढ़ती जाती है। इस्पात के जरूरत से ज्यादा उत्पादन की गुहार तो वही लोग मचाते हैं, जो पुराने ढंग से सोचते हैं, जो देश के आगे बढ़ने की बात, तबदीली की बात ही नहीं सोचते। निजी उद्योग वाले ही अक्सर ऐसी गुहार मचाते हैं, क्योंकि वही कम उत्पादन के बल पर ऊंचे दाम पाने की बात सोचते हैं। वैसे इस्पात के मामले में जरूरत से ज्यादा उत्पादन का सवाल ही नहीं उठता। उसके लिये तो सवाल यही रहता है कि या तो ज्यादा से ज्यादा इस्पात पैदा करे या फिर तरक्की न करे, जहां का तहां खड़ा रहे। इसलिये देश को आगे बढ़ाने के लिये इस्पात और बिजली बहुत जरूरी हैं। इसीलिये आज हमें सोचना है कि इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये नये-नये इस्पात कारखाने खोले जायें, चौथा फिर पांचवां और छठवां, और इसी तरह दसवां कारखाना भी हमें स्थापित करना है। बिल्कुल साफ है कि उद्योग ही नहीं, कृषि-खेती बारी के मामले में भी हमारी तरक्की इसी बात पर निर्भर होगी कि हम इस्पात के मामले में कितनी तरक्की करते हैं। आज भी हमारे यहां खेती बारी की तरक्की लोहा और इस्पात की कमी की वजह से काफी रुकी हुई है। हमारी जरूरत बढ़ती जा रही है, इसलिये जितना भी ज्यादा उत्पादन होता है खप जाता है। और, चौथा इस्पात कारखाना खड़ा करना बहुत ही जरूरी हो गया है। अफसोस इसी बात का है कि हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जितनी कि चाहिये। हम शायद कोई शकुन विचार रहे हैं यह कहने के लिये कि आज हमारी तीसरी योजना शुरू होगी। हमारे देश में बड़े पुराने जमाने से यह आदत चली आ रही है कि हम हर काम शुरू करने के लिये शकुन विचारते हैं कि उसे कब से शुरू किया जाये।

वैसे योजना बना कर आगे बढ़ने के लिये कोई एक वक्त, कोई अर्सा मुकर्रर नहीं होता। योजना तो एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी चलती ही रहती है। वक्त की अहमियत तो तभी सामने आती है जब हम देखना चाहते हैं कि एक अर्से में हम कितना आगे बढ़ पाये हैं। अभी कल ही सोवियत यूनियन से आये हुए, हमारे एक सम्माननीय मेहमान ने, सोवियत यूनियन के उपप्रधान मंत्री श्री कोसीगिन ने मुझे बताया था कि अब सोवियत के नेता योजना के बारे में अपने पुराने ख्यालात बदल रहे हैं। अब वे योजना के लिये कोई एक अर्सा मुकर्रर नहीं करते, क्योंकि उससे लोगों की गलत किस्म की आदत पड़ जाती है। लोग एक मुकर्रर वक्त से दूसरे मुकर्रर वक्त के आधार पर सोचने के आदी बन जाते हैं, जबकि योजना के मुताबिक आगे बढ़ने का काम लगातार, सिलसिलेवार ढंग से चलता ही रहता है। वह कभी रुकता ही नहीं। श्री कोसीगिन ने मुझ से कहा था कि अब इसीलिये सोवियत यूनियन में हर पांचवे साल योजना नहीं बनाई जाती, बल्कि हर साल अगले पांच साल के लिये योजना तैयार कर ली जाती है। इसी तरह योजना चालू रहती है, पांच साल पूरे नहीं होते—पांच ही बने रहते हैं। पता नहीं सभा के सदस्य इसको पूरी तौर से समझ भी पाये हैं या नहीं। मैं खुद बिल्कुल साफ ढंग से नहीं समझ पाया हूं। हां, लेकिन इसमें खास बात यही है कि योजना का सिलसिला लगातार चलता रहता है, जो काम आज होना है उसे आज ही करना पड़ेगा, किसी शुभ दिन का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा, खास तौर से लोहा, कोयला और बिजली जैसी बुनियादी चीजों में, जिनकी हमें हमेशा ही जरूरत बनी रहती है।

कोयले की पैदावार की राह में भी बड़ी-बड़ी मुश्किलात आईं; लेकिन हमने तब भी काफी अच्छी कामयाबी हासिल कर ली। आज हम ६ करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी क्षमता ६ करोड़ टन कोयला पैदा करने की हो गई है। कोयले के बारे में सबसे मुश्किल यही आ पड़ी है कि उसका परिवहन ठीक से नहीं हो पाता। उम्मीद है कि अगले चार-पांच महीनों में यह मुश्किल भी हल हो जायेगी। इस मौजूदा मुश्किल की वजह यह है कि परिवहन के मामले में हम उतनी तरक्की नहीं कर पाये जितनी कि दूसरे मामलों में हमने की है। इसलिये सबसे जरूरी बात है कि हमें सभी मामलों में, सभी मोर्चों पर एक सी तरक्की करनी चाहिये। पिछले साल कोयले की कमी थी। अब

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कोयले की पैदावार बढ़ गई, तो उसके परिवहन की समस्या खड़ी हो गई। उसमें भी कुछ सुधार तो किये गये हैं। पहले इतवार को कोयले की लदान नहीं की जाती थी, अब वह शुरू हो गई है। और भी कई उपाय किये गये हैं। फिर भी उनसे पूरा नहीं पड़ा। कुछ थोड़ी कमी रह ही गई है; और वह तभी पूरी होगी जब ज्यादा माल-डिब्बे मिलेंगे।

और अभी जो आम हड़ताल हुई थी, उसकी वजह से उत्पादन के सारे ढांचे को धक्का पहुंचा है। उस पर रुपये-पैसे का जो खर्च हुआ, वह तो हुआ ही; साथ ही, लोहा और इस्पात और खास तौर से कोयले का रेल-परिवहन भी काफी पिछड़ गया। कभी-कभी योजना में भी गलती रह जाती है। भारत जैसे इतने बड़े देश के लिये ऐसी कोई योजना बनाना बड़ा मुश्किल है कि जिसमें हर चीज़ बिल्कुल ही चौकस बैठे। गलती किसी ने भी की हो, ऐसे मामलों में वह सभी की गलती हो जाती है।

आखिर में, मुझे यही कहना है कि उद्योग-धंधों के मामले में हम काफी तेजी से, अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। गलतियां तो कुछ हैं और उनकी नुक्ताचीनी करना भी वाजिब है। पर मुझे बिल्कुल शक नहीं कि हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके उद्योग धंधों की रफ्तार दिन-दिन और तेज होती जायेगी। हमारे देश में पंचायत समितियां भी बड़ी तेजी से बन रही हैं, और खेती की पैदावार पर उनका एक जबर्दस्त असर पड़ेगा।

हमारे मित्र, आचार्य रंगा ने प्रतिरक्षा के बारे में और फौज के मौजूदा 'चीफ ऑफ स्टाफ' की जगह आने वाले नये 'चीफ ऑफ स्टाफ' की नियुक्ति के बारे में कुछ बड़ी अजीब सी बातें कही हैं। उन्होंने पूछा है कि इसमें इतनी जल्दी क्यों की गई है। श्री रंगा ने अगर इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश की होती, तो उनको पता लग जाता कि ज्यादातर देशों में यह इसी ढंग से होता है। कई ऐसे कारण हैं, जिनको देखते हुए बाद में बनने वाले नये 'चीफ ऑफ स्टाफ' की नामजदगी कई महीने पहले कर दी जाती है। इसलिये कि वह खुद उस ओहदे पर आकर कुछ दिन काम देख ले, उसकी पूरी जानकारी हासिल कर ले। इंग्लैण्ड जैसे ज्यादातर देशों में आम तौर पर यही होता है। हमने कोई नयी बात नहीं की।

पता नहीं माननीय सदस्यों ने नियुक्तियों के सवाल की छानबीन भी की या नहीं। ज्यादातर नियुक्तियां बड़े-बड़े अफसरों की चुनाव समितियां ही करती हैं। मन्त्रि-परिषद् की नियुक्ति समिति तो सिर्फ कुछ सबसे बड़े चोटी के अफसरों की नियुक्ति करती है, प्रतिरक्षा मन्त्रालय की सिफारिश को देखते हुए। आम तौर पर यही होता है।

श्री अशोक मेहता ने शिकायत भरे लहजे में एक सुझाव दिया है कि हमारे यहां इंगलैण्ड की तरह प्रतिरक्षा के बारे में कोई ह्वाइट पेपर (श्वेत पत्र) पेश नहीं किया गया। इंगलैण्ड में क्या होता है, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं। कुछ याद सा पड़ता है कि शायद खास-खास चीजों के लिये वहां 'ह्वाइट पेपर' पेश किये जाते हैं। किस तरह के हथियार इस्तेमाल किये जायेंगे,—इसके बारे में 'ह्वाइट पेपर' पेश किये जाते हैं। हथियारों से मतलब है आज के आधुनिकतम विमानों से, जिनको चलाने के लिये किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, जो बिजली से चलाये जाते हैं। जो भी हो, हम इस पर गौर करेंगे। प्रतिरक्षा मंत्री ने मुझ से कहा है कि हम इसकी छानबीन करेंगे और अगर हो सका तो अपने यहां भी वैसे श्वेत पत्र पेश किया करेंगे। जाहिर है कि फौज कहां है—कहां जा रही है, क्या कर रही है—इसके बारे में हम तो जानकारी नहीं जुटा सकते। उससे दुश्मन को मदद मिल सकती है।

प्रतिरक्षा के बारे में, हमने अपनी आजादी हासिल करने का काम फौज की पुरानी परम्पराओं को तोड़ने से शुरू किया था। पहले तो फौज के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में सारी नीति इंगलैण्ड में बनाई जाती थी और खास-खास हथियारों का उत्पादन भी इंगलैण्ड में ही हुआ करता था। उस वक्त, हमारे देश के युद्ध-सामग्री कारखाने कोई खास उत्पादन नहीं करते थे। पहले विश्वयुद्ध के बाद ही, उनको मजबूर हो कर कुछ हथियारों का उत्पादन यहीं शुरू करना पड़ा था। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद और ज्यादा हथियारों का उत्पादन हमारे यहां ही होने लगा। इस तरह, दोनों युद्धों के कारण हमारे देश के युद्ध-सामग्री कारखाने काफी आगे बढ़े। सारा उत्पादन इंगलैण्ड में होना बन्द हुआ। फिर भी खास-खास हथियार वहीं बनते थे। हमें उसे बदलना पड़ा। इसलिये कि आज के जमाने में युद्ध का दारोमदार फौजियों पर इतना नहीं जितना कि हथियारों पर है। आजादी मिलने के हाल ही बाद, काश्मीर की लड़ाई हमारे सिर पर आ पड़ी थी। इसलिये तब्दीली का यह सिलसिला चलता ही रहा है।

इस सिलसिले में सब से बड़ी बात यही हुई है कि हमने हथियारों के उत्पादन और उसके बारे में वैज्ञानिक रूप से सोचने-समझने के काम में काफी प्रगति की है। प्रतिरक्षा मंत्रालय का विज्ञान विभाग एक बेजोड़ चीज़ है। आज की प्रतिरक्षा का सारा दारोमदार इसी बात पर है कि हम किस क़िस्म के हथियार बनाते हैं। इसके बारे में भी हमने काफी तरक्की की है। विमानों के उत्पादन में हमने जो तरक्की की है वह तो सभी को मालूम है। जबलपुर में फौजी ट्रकें बनाने का काम भी काफी अच्छा चल रहा है। वहां हर महीने १२० ट्रकें तैयार होती हैं और ट्रकें भी काफी अच्छी क़िस्म की होती हैं। जल्द ही वहां हर महीने १५० ट्रकें बनने लगेंगी।

हमारे देश में 'नेशनल कैडेट कोर' बड़ी तेज़ी से बढ रही है। उसकी तादाद दोगुनी-चौगुनी हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब हर विद्यार्थी उसमें शामिल होगा। हमारे यहां अब जो नये अफसर आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर 'नेशनल कैडेट कोर' में रह चुके हैं।

फौजी कार्यवाहियों के बारे में, मैं कोई ब्यौरा आपको नहीं बता सकता ; जाहिर है। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि पहले हमारी फौजी कार्यवाहियां मूलतः उत्तर-पश्चिमी सीमा पर और पूर्वी सीमा पर ही केन्द्रित थीं। लेकिन चीन के साथ झगड़ा शुरू होने पर, हमें उसके बारे में एक नये सिरे से सोचना पड़ा। काफी सोच-विचार के बाद, हमने उसके लिये भी इन्तजामात किये हैं, जितने किये जा सकते थे। हम बड़ी तेज़ी से सड़कें बना रहे हैं।

श्री अशोक मेहता ने पूछा था कि चीनी हमला कब, कैसे और किस वक्त पर हुआ था ?

आज से दस साल पहले, १९५०-५१ में जब चीनी फौजें तिब्बत में दाखिल हुई थीं, तब हमें ऐसा कोई अन्देशा नहीं था कि हमारी सीमा पर भी कुछ गड़बड़ी होगी। पहले कभी भी तिब्बत के साथ मिलने वाली हमारी सीमा पर कोई हलचल नहीं थी। अब जब हलचल शुरू हुई तो हमें अपनी सीमा की हिफाजत की बात भी सोचनी पड़ी।

तभी एक हाई पावर कमिटी ऊंचे स्तर की एक समिति. सीमा प्रतिरक्षा समिति १९५१ या १९५२ में बनाई गई थी। उसने एक बड़ी ब्यौरेवार रिपोर्ट पेश की थी, और उसके कई सुझाव सरकार ने मान भी लिये थे। बात आज से दस साल पहले की है।

हमारा ख्याल था कि उत्तर-पूर्वी सीमा पर खतरे का ज्यादा अंदेशा था। शायद वह हमारी गलती ही रही हो लेकिन हमने दस साल पहले उसी को बचाने की बात सोची थी।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इससे पहले, १९५० में सीमा पर हमारी कुल पांच चौकियां थीं—दो हिमाचल प्रदेश में और तीन नेफा में। तिब्बत की हलचल शुरू होने के बाद अप्रैल १९५१ तक हमारी चौकियां २५ हो गई थीं। मैं नेफा की बात कर रहा हूं। कुछ अर्से बाद, नेफा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वगैरह में चौकियों की तादाद और भी बढ़ा दी गई थी। १९५४ में सीमा के बिल्कुल पास ही चौकियां बना दी गई थीं। यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि उन दिनों भी हम इसकी बाबत सोच रहे थे।

१९५१ में हमने लद्दाख में भी कुछ चौकियां स्थापित की थीं। उनमें फौजी टुकड़ियां रखी गई थीं। चौकियां काफी दूर-दूर थीं, इसलिये हमने अपनी सीमा के बिल्कुल पास तक पुलिस और फौज की टुकड़ियां गश्त के लिये भेजी थीं। वह गश्त कुछ इस तरह की होती थी, जैसेकि १०-१५ लोग मिल कर पहाड़ों पर चढ़ने जाते हैं। प्रशासन को मज़बूत करने के लिये १९५४ में लद्दाख की चौकियों को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था ; सावधानी के चौकसी के ख्याल से, क्योंकि उस वक्त कोई भी फौरी खतरा नहीं था। अक्साईचिन इलाके में आबादी नहीं थी, इसलिये हमने वहां चौकियां नहीं बनाई थीं। उसमें बड़ी मुश्किलात थीं। हां, लेकिन १९५० और १९५९ के बीच उस इलाके की गश्त के लिये लद्दाख में १६ बार टुकड़ियां भेजी गई थीं।

अक्साईचिन इलाके में कई ऐसे रास्ते थे जो गर्मियों में खुल जाते थे और जिनके जरिये बहुत पुराने जमाने से कारवां आया-जाया करते थे। चीनियों ने भी उनको इस्तेमाल किया था, आम तौर पर। लेकिन उनके इस्तेमाल करने से, वह इलाका उनका अपना तो नहीं होता। मध्य एशिया के इस रास्ते का इस्तेमाल आम तौर पर होता रहा है।

चीनियों ने १९५५ में उस रास्ते को एकसा करना शुरू किया उसे मोटरों के लायक बनाने के लिये। पता नहीं कि यह काम ठीक-ठीक कब शुरू हुआ। उसमें चीनियों को कई साल लग गये। उस वक्त हमें ठीक-ठीक पता भी नहीं था कि वह रास्ता हमारी सीमा में से होकर भी गुजरता है या नहीं। इस पर शक हमें सब से पहले १९५७ में हुआ, पीकिंग में छपे एक नक्शे को देख कर। नक्शा छोटा सा था। एक मैगज़ीन के आधे सफे के बराबर। हमने उस पर ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि तब हमारे पास कोई सबूत नहीं था।

अगली गर्मियों में, १९५८ में, हमने उस सड़क के दोनों छोरों का पता लगाने के लिये दो गश्ती टुकड़ियां भेजी थीं। दक्षिण की तरफ भेजी गई टुकड़ी ने पता लगा लिया कि वह सड़क हमारी सीमा के एक सिरे को काटती हुई चली है। दूसरी टुकड़ी एक अर्से तक लौटी ही नहीं। न लौटने वाली टुकड़ी की तरफ हमने चीन सरकार का ध्यान दिलाया और यह भी पूछा कि वह सड़क हमारी सीमा को काटती हुई चलती है या नहीं। हमने इसके बारे में सब से पहले १८ अक्टूबर, १९५८ को लिखा था। दूसरी टुकड़ी पहली के एक महीने बाद लौटी। तभी पक्की तौर पर यह पता चला कि चीनी लोग भारतीय इलाके के एक सिरे को सड़क की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त तक उस सड़क के पश्चिम में कोई भी चीनी चौकी नहीं बनाई गई थी। हमारी टुकड़ियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि चीनियों ने हमारे उस हिस्से पर कब्जा भी जमाया है। हम फिर चीन सरकार के जवाब की राह देखते रहे। उनका पहला जवाब दिसम्बर या जनवरी में आया था। मार्च, १९५९ में तिब्बत में गड़बड़ी शुरू हुई। वहां विद्रोह हुआ। और उसके बारे में चीन सरकार के साथ लिखा पढ़ी चली। हमने जून, १९५९ में अपनी एक गश्ती टुकड़ी चांग चेनमो घाटी के पास लानक-ला की तरफ भेजी। वहां चीनी नहीं थे। इससे पता चलता है कि उस सड़क के पश्चिम की ओर चीनियों का जमाव मुख्यतः १९५९ के जून से अक्टूबर के बीच में हुआ था। चांग-लुंग लुंगपा में और दूसरी

जगहों पर भी चौकियां बनाने के लिये जाने वाली गश्ती टुकड़ियों ने इसका पता लगाया था। उसके बाद ही हमने कोंगका दर्रे तक अपनी गश्ती टुकड़ी भेजी थी, जहां गोली चली थी और हमारे कई पुलिसमैन गोलियों के शिकार बन गये थे।

अक्साईचिन के उत्तरी इलाके की इस आम सड़क को चीनियों ने १९५० के आस पास तक तो आम तौर पर सड़क की तरह इस्तेमाल किया, और बाद में उसे मोटरों की सड़क बना लिया। चीनियों का बढ़ाव असल में तिब्बती विद्रोह के बाद, १९५९ में शुरू हुआ था। इसका नक्शों से कोई ताल्लुक नहीं। उनके बारे में तो हम कई साल पहले से ऐतराज़ कर ही रहे थे। लेकिन अक्साईचिन इलाके के बारे में खास तौर से असली मायनों में हमने अक्टूबर, १९५८ में विरोध-पत्र भेजा था। तिब्बती विद्रोह के वक्त उसके बारे में लिखा पढ़ी चल ही रही थी। विद्रोह १९५९ में हुआ था। उसी वक्त, अगस्त, १९५९ में प्रधान मंत्री ने यह मामला पार्लमेंट के सामने पेश किया था।

१९५९ की शरद के बाद से, चीनियों ने हमारे राज्य पर कोई और हमला नहीं किया, हां, उनके नक्शे मुख्तलिफ रहे।

अब इसके बारे में दो बातें हैं। पहली तो यह कि अगस्त, १९५९ के बाद से हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। तब से कोई नया हमला नहीं हुआ है और हम हमले का मकाबला करने के लिये काफी तैयार हो गये हैं।

सरकार पर यह इल्जाम लगाना ज्यादती होगी कि उसने चीनी हमले की बात पर पर्दा डालने की कोशिश की है। हमें तो उसका पक्का पता तभी चला जब हमारी दोनों गश्ती टुकड़ियां लौट आईं। तभी अक्टूबर, १९५८ में हमने उसके बारे में चीन सरकार को लिखा था। उनसे पूछ-ताछ किये बगैर, ठीक-ठीक पता लगाये बगैर, हम उस चीज़ को पार्लमेंट के सामने नहीं रखना चाहते थे। जनवरी में उनका अधूरा सा जवाब आया था। हमने फिर पूरे जवाब के लिये लिखा था। लेकिन तब तक मार्च में तिब्बत की उथल पुथल शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर चीनियों का बढ़ाव १९५९ में ही हुआ था और तभी हमने यह मामला पार्लमेंट के सामने पेश कर दिया था।

सच तो यह है कि इस सीमा पर हम १९५१ से ही कार्यवाही करते रहे हैं, नेफा की सीमा पर हमने ज्यादा कारगर ढंग से कार्यवाही की है क्योंकि वह सीमा काफी मुश्किलात से भरी सीमा है। वहां सैंकड़ों मील तक कोई प्रशासन ही नहीं था। वहां हमने इतना इंतजाम कर लिया है कि किसी भी हमले को रोक सकते हैं। वहां लौंगजू के छोटे से गांव पर जरूर हमला हुआ था, उसके बाद कोई भी हमला नहीं हुआ। उसे रोकने में हम कामयाब रहे थे। उसके बाद हमने अपनी सीमा की दूसरी जगहों पर ताकत पहुंचानी शुरू की, और सड़कें बनाने का प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है।

कांगो के बारे में, आपने देखा ही होगा कि कल या परसों सुरक्षा परिषद् ने पहली बार एक प्रस्ताव पास किया था। इससे पहले शायद अगस्त में, या सितम्बर में उसने एक प्रस्ताव पास किया था। सबसे अजीब चीज़ यह है कि कांगो में इतना सब कुछ होते हुए भी सुरक्षा परिषद् ने कुछ भी नहीं किया। वह हाथ पर हाथ धरे, चुप बैठी तमाशा देखती रही। उसकी वजह यह थी कि सुरक्षा परिषद् के अन्दर भी एक किस्म की रस्सा कशी चल रही थी। उसका असर कांगो में उसकी कार्यवाही पर भी पड़ा। अब उसने पहली बार एक अच्छा प्रस्ताव पास किया है। हम चाहते थे कि कुछ मामलों में वह प्रस्ताव कुछ और आगे जाता। लेकिन फिर भी वह अच्छा है। अब सवाल यह है कि उस पर अमल कहां तक होगा।

सुरक्षा परिषद् ने पिछले साल जो प्रस्ताव पास किये थे, वे भी बुरे नहीं थे, लेकिन उनकी

व्याख्या कुछ ऐसे तंग नजरिय से की गई थी कि कांगों में कुछ किया नहीं जा सका। उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के साथ वैसा नहीं होगा।

अब सवाल हे कि हम अपनी हथयारबन्द फोजें वहा भेजगे या नहीं। इसके बारे में आज सुबह ही मैंने एक सवाल का जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने करीब तीन हफ्ते पहले हमसे कहा था वहां फौजें भेजने के लिये। एक तरफ तो हमारा ख्याल यह है कि संयुक्प राष्ट्र को कांगों से हटना नहीं चाहिये, उससे तो वहां मुसीबत खड़ी हो जायेगी। दूसरी तरफ़ यह भी है कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ कांगो में हाथ पर हाथ धरे बैठा था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों की वहां उसी तरह बेइज्जती होती रहे। इसीलिये हम दुविधा में थे। हमने महासचिव से कहा भी था कि हम उसी सूरत में फौजें भेजने की बात सोचेंगे जब संयुक्त राष्ट्र संघ वाकई कुछ कारगार कार्यवाही करना शुरू करे। अब सुरक्षा परिषद् के इस प्रस्ताव से पता चलता है कि संयुक्तराष्ट्र अब वहां वाकई कुछ करने की सोच रहा है। इसलिये अपनी हथियारबन्द भेजने की संभावना भी अब बढ़ गई है।

माननीय सदस्यों ने और भी कई बातें कही थीं। मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। और आपका काफी वक्त भी मैं ले चुका हूं। लेकिन अगर आप इजाजत दें, तो मैं एक बात का जिक्र और कर दूं। वह है भारत, बर्मा और चीन की सरहदों के मिलने की जगह के बारे में। इस मामले में बरमा की नुक्ताचीनी करना हमारे लिये उचित नहीं हे। बरमा ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा रास्ता उसके सामने यही था कि वह चीन के साथ बैठकर बात करने से इन्कार कर दें। मुझे ठीक से याद नहीं, पर शायद पिछले चार-पांच साल से चीन और बरमा के बीच बात चल रही थी। रफ्ता-रफ्ता ही दोनों एक दूसरे के करीब आये हैं। दोनों के बीच संधि की शर्तें तभी तय हुई थीं जब जनरल ने विन प्रधान मत्री की हैसियत से पीकिंग गये थे, यू नू के प्रधान मंत्री बनने से काफी पहले। इस तरह संधि की शर्तें तय होने में काफी वक्त लगा है, और उसके बाद ही श्री चाऊ एन लाई के वहां जाने पर ही, उस पर दस्तखत हुए हैं। हमें उस पर कड़ा ऐतराज हो सकता था। हम चीन से तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि चीन के साथ हमारी बात नहीं रही थी। और जब तक किसी संधि का हमारे देश पर कोई असर न पड़ता हो, तब तक उसके बारे में कोई ऐतराज़ करने का हमें हक भी क्या है? बरमा और चीन के बीच हुई संधि का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता सिवाय इसके कि उसके मसविदे के साथ एक नक्सा भी जुड़ा हुआ था। उस चीनी नक्शे में जो सीमा दिखाई गई है, वह हमारे नक्शे से मेल नहीं खाती। हमने उसके बारे में बरमा और चीन की सरकारों को लिख दिया है। बरमा की सरकार ने संधि से पहले और बाद में भी बिल्कुल साफ़ तौर पर हमें बता दिया था कि वह उस नक्शे की उस व्याख्या को मंजूर नहीं करती, उससे उसका कोई मतलब भी नहीं। उसे तय करना भारत और चीन का अपना काम है। बरमा सरकार का ताल्लुक तो उसकी अपनी सीमा से और संधि की शर्तों से ही है। इस मामले में बरमा की सरकार ने बड़ी साफगोई से काम लिया है। इसलिये उसकी नुक्ताचीनी सुनकर मुझे अफसोस ही हुआ।

नेपाल का भी जिक्र किया गया था। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि वह नेपाल की घटनाओं की ताईद नहीं करते। एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा था, मुझ पर इल्जाम लगाया गया था कि मैंने नेपाल के बारे में कुछ कहा था जब कि मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिये था। ऐसे मौके पर यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या कहा जाये और क्या न कहा जाये। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि नेपाल में लोकतंत्र को खत्म कर दिया

गया है और उससे मुझे बड़ा सदमा पहुंचा है । मैंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा था, हालांकि मैंने इससे कहीं ज्यादा महसूस किया था ।

कुछ माननीय सदस्य समझते हैं कि हमें दूसरे देशों की सरकारों को हिदायतें देनी चाहिये । हम न तो वैसा कर सकते हैं और न करना ही चाहते हैं । उससे दूसरी सरकारें बेहद नाराज होंगी । उससे हमारे देश का भी कोई फायदा नहीं होगा । बल्कि उसका असर उल्टा ही पड़ता है ।

इसलिये अपने पड़ोसी मित्र देशों के बारे में कुछ कहते समय, माननीय सदस्यों को मेरी यह बात याद रखनी चाहिये कि हम उनकी नीतियां तय नहीं कर सकते, नेकनीयती के साथ अपनी इच्छा उनको बता सकते हैं । इससे ज्यादा कुछ नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रस्ताव के बारे में १२३ संशोधन हैं । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य अपना संशोधन अलग से मतदान के लिये रखना चाहते हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** सभी संशोधन एक साथ रख दिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव सम्बन्धी सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये सभा में रखूंगा ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

" कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत किया जाये :—

कि इस अधिवेशन में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने १४ फरवरी, १९६१ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०-६१

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा में वर्ष १९६०–६१ के आय व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा होगी तथा उन पर मतदान लिया जायेगा :—

~~प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।~~

अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	१,३८,०००
१५	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,०००
२१	वित्त मंत्रालय	३,००,०००

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
२८	चलमुद्रा	६०,००,०००
३१	वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्तिवेतन	१३,०१,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,०००
३४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	६,२०,० ०
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२७,३६,०००
४९	पुलिस	९३,७४,०००
५०	जनगणना	५०,००,०००
५४	हिमाचल प्रदेश	८०,००,०००
५६	मनीपुर	५९,५२,०००
५७	त्रिपुरा	५०,००,०००
५९	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,२५,००,०००
७०क	विधि मंत्रालय के अधीन व्यय	७५,०००
८०	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय .	४०,०००
८२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय .	७,८४,४२,०००
८३	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	१,५०,०००
८५	सामान्य राजस्व में डाक तथा तार का लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग	२,४८,३०,०००
९२	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	१९,००,०००
९५	संभरण	८,०४,०००
९६	अन्य असैनिक कार्य .	४,८०,२३,०००
९७	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई .	६८,००,०००
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,०००
११४	निवृत्ति-वेतन का परिगणित मूल्य	२२,५९,०००
११५	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	६,०००
११९	खाद्यान्नों का क्रय . . .	३६,००,००,०००
१२४	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय . .	१,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह मालूम करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य किस मांग पर जोर देना चाहते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : (पुरी) : सभी मांग एक साथ ली जा सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उन कटौती प्रस्तावों की संख्या गिनाते जायेंगे जिनको कि वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात कहें लेकिन सभी मांगों पर वे एक साथ बोलें उनको दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं कटौती प्रसताव संख्या ४२–४५ प्रस्तुत कर रहा हूं । मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या ४२, ४३, ४४ और ४५ क्रमश: मांग संख्या ७०क, ८२, ९५ और ९७ के बारे में है । मैं इन के बारे में संक्षेप में ही अपने विचार प्रकट करूंगा ।

जहां तक कि मांग संख्या ७०क की बात है मेरा कटौती प्रस्ताव हिन्दू धर्मस्व आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन देरी से प्रस्तुत करने के बारे में है । इस आयोग की स्थापना १ मार्च, १९६० को की गई थी और १९६०–६१ की मूल मांगों में इस के लिये कोई मांग नहीं की गई थी । शुरू में इस आयोग की स्थापना ६ महीने के लिये की गई थी लेकिन अब बताया गया है कि यह आयोग इस महीने के अन्त तक अपना कार्य करेगा । इस का अभिप्राय तो यह हुआ कि हमें इस के लिये २.२ लाख रुपये की स्वीकृति देनी होगी । मैं यह तो नहीं कहता कि यह राशि ठीक है अथवा नहीं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जिस ढंग से सारा काम किया गया है वह ठीक नहीं है । गत वर्ष जब आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस समय यह नहीं बताया गया था कि इस आयोग पर कितना धन व्यय होगा । मंत्रालय को पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिये था कि आयोग कितने समय में अपना काम पूरा कर लेगा और उस को कितने धन की आवश्यकता होगी । यह अच्छा नहीं लगता कि बार बार इस के लिये अनुपूरक मांग रखी जाती है । सरकार को बताना चाहिये कि क्या आयोग का प्रतिवेदन इस महीने के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगा । साथ ही मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये कि इसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी के क्या कारण हैं तथा संसद् के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया है ।

मांग संख्या ८४ डाक तथा तार विभाग के दो कर्मचारियों के निकालने के बारे में है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि कर्मचारियों को जब भी नौकरी से निकाला जाये तो तत्सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन सावधानीपूर्वक करना चाहिये । यह मांग इसी कारण लाई गई है क्योंकि प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया है ।

मांग संख्या ९७ स्टेशनरी के बारे में है । विभिन्न मंत्रालयों और विशेष रूप से डाक तथा तार विभाग के आर० एम० एस० को पर्याप्त स्टेशनरी नहीं दी गई है । कई बार यह मांग की गई है कि प्रत्येक मेंत्रालय के अपने अपने प्रैस होने चाहियें । मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह यह बताये कि कितना धन स्टेशनरी की अधिक आवश्यकता के कारण चाहिये तथा किदना धन मूल्यों के बढ़ने के कारण ।

मांग संख्या ९५ लंदन स्थित इंडिया स्टोर्स विभाग के बारे में है । इस सम्बन्ध में यह बताना चाहिये कि धन की मांग किस प्रकार की आकस्मिकताओं के कारण है ।

मांग संख्या ८२ इस्पात के मूल्य के बारे में है । इस मांग की आवश्यकता केवल इस कारण उत्पन्न हुई कि इस्पात के संधारण मूल्य के रूप में इस्पात उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैं वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या २१ की चर्चा कर रहा हूं। इस मांग में विदेशों से आये तीन शिष्ट मंडलों सम्बन्धी खर्चे को पूरा करने के लिये वित्त मंत्रालय ने ३ लाख रुपये की मांग की है। एक शिष्ट मंडल विश्व बैंक का था जो योजना कार्य देखने के लिये भारत आया था। इस शिष्टमंडल पर ८६,५०० रुपये व्यय हुए और प्रतिवेदन बहुत ही निराशाजनक था। दूसरे तथा तीसरे शिष्टमंडल ब्रिटेन और अमरीका के चित्रकारों के थे जो योजना सम्बन्धी प्रचार के सिलसिले में आमंत्रित किये गये थे। उनको आमंत्रित करना तो ठीक था। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन देशों में स्थित हमारे विदेशी दूतावास क्या कर रहे हैं। प्रश्न यह कि क्या यह कार्य उन देशों में स्थित हमारे प्रेस सहचारियों द्वारा नहीं कराया जा सकता था।

महारानी एलिजाबेथ के स्वागत पर अत्याधिक खर्च किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया है बाहर से आने वाले व्यक्तियों के स्वागत समारोहों पर प्रतिवर्ष खर्च बढ़ रहा है। हमें योजनाओं पर व्यय करने के लिये धन की आवश्यकता है लेकिन हमारे धन का अपव्यय इस मद में वैसे ही हो रहा है।

मांग संख्या ११९ खाद्यान्नों के आयात के बारे में है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने अनाज खरीदने का खर्च पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन मांगा है। सरकार जब तब यह कहती रहती है कि देश में अनाज की पैदावार बढ़ रही है फिर भी आयात जारी है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह बताये कि वास्तव में देश में कितने अनाज की कमी है।

जनगणना के सम्बन्ध में मैं ने एक पत्र गृह-कार्य मंत्री को लिखा था जिस में उत्तर में उन्होंने लिखा था कि सरायकेला और खरसांवा के लिये पर्याप्त संख्या में उड़िया भाषी गणकों और उड़िया लिपि में जनगणना के फार्मों का प्रबन्ध किया जायेगा लेकिन यह नहीं किया गया। जनगणना का कार्य ५ मार्च १९६१ को पूरा हो जायेगा। उस के सम्बन्ध में इस से पहले ही कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिये।

देश में पुलिस सम्बन्धी खर्चा बराबर बढ़ता जा रहा है। यह सरकार के लिये कोई गौरव की बात नहीं है। देश को स्वतन्त्र हुए आज १३ वर्ष हो गये हैं लेकिन सरकार अब भी पुलिस पर ही निर्भर कर रही है यह कोई अच्छी बात नहीं है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मेरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या १२४ के बारे में है। यह मांग गंगा बांध परियोजना के बारे में है। आज तक हमें यह कभी नहीं बताया गया है इस परियोजना के बारे में सरकार के विचार क्या हैं? इस परियोजना पर अनुमानतः ५६ करोड़ रुपय व्यय होंगे। यह राशि हमें सन् १९५४ में भी बताई गई थी। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इतने वर्षों से यह मांग इतनी ही चली आ रही है। अन्त में मैं अनुरोध करूंगा कि तीसरी योजना के लिये बहुप्रयोजनीय योजनायें अत्यन्त महत्व की सिद्ध होंगीं। अतः सरकार को गंगा बांध परियोजना के सम्बन्ध में अपनी असली मंशा बतानी चाहिये। यह बांध कलकत्ता पत्तन को बचाने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

मुझे एक घोषणा करनी है। माननीय सदस्यों ने १ से १४, १६ से २०, २२ से ३६, २८ से ३४, और ३४ से ४५, ४१ कटौती प्रस्ताव चुने हैं। ये ही प्रस्तुत समझे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
				रुपये
१५	१	श्री नौशीर भरुचा .	प्रामाणिक वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तकों के बनाने में विदेशी भाषा के लोकप्रिय प्रविधिक शब्दों के रखने की आवश्यकता	१००
१५	२	श्री आसर .	हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक पुस्तकों तथा वैज्ञानिक शब्दावली के तैयार करने के सम्बन्ध में मन्द प्रगति	१००
२१	३	श्री आसर . .	अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रचारार्थ आये संवाददाताओं पर हुआ व्यय	१००
२८	४	श्री नौशीर भरुचा .	एक रुपये के नोटों की मांग को कम करने के लिये ५० नये पैसे तथा दूसरे छोटे सिक्कों के तैयार करने की आवश्यकता	१००
२८	५	श्री आसर . .	बाजार में जाली नोटों के प्रचलन को रोकने में असफलता	१००
२८	६	श्री आसर . .	बाजार में काफी मात्रा में सभी प्रकार के नये सिक्कों के प्रचलन में असफलता	१००
३२	७	श्री नौशीर भरूचा .	नई दिल्ली के अतिरिक्त भारत के अन्य सभी प्रमुख स्थानों पर भारतीय विनियोजन केन्द्र के कार्यालयों के खोलने की वांछनीयता	१००
४१	८	श्री नौशीर भरुचा .	आयातित खाद्यान्न के बारे में अन्य सहायक खाद्य का प्रश्न	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
४१	९	श्री आसर .	गांवों में आयातित खाद्यान्न के संभरण में असफलता	१००
४१	१०	श्री आसर .	राज्यों को तत्काल खाद्यान्नों के परिवहन में असफलता	१००
५६	११	श्री ले० अचौ० सिंह .	मनीपुर में विधि और व्यवस्था की स्थिति	१००
५६	१२	श्री ले० अचौ० सिंह .	मनीपुर पुलिस के आधुनीकीकरण की आवश्यकता	१००
५६	१३	श्री ले० अचौ० सिंह .	मनीपुर में खाद्य की स्थिति	१००
५६	१४	श्री ले० अचौ० सिंह .	मनीपुर की पहाड़ियों में स्थान परिवर्तन के आधार पर की जाने वाली खेती की समाप्ति में प्रगति	१००
५६	१६	श्री ले० अचौ० सिंह .	मनीपुर में कबाइली कल्याण निधि का उचित उपयोग	१००
५	१७	श्री ले० अचौ० सिंह .	इस्पात के मूल्य को कम करने की आवश्यकता	१००
	१८	श्री नौशीर भरूचा	इस्पात के प्रतिधारण मूल्य में वृद्धि की घोषणा में देरी	१००
	१९	श्री आसर .	सीमान्त पर सड़कों के निर्माण में मन्द प्रगति	१००
	२०	श्री नौशीर भरूचा	रेलवे अभिसमय समिति के आधार पर डाक तथा तार विभाग में अभिसमय समिति बनाने की आवश्यकता जो कि उन सिद्धान्तों को बनायेगी जिन के आधार पर डाक तथा तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में अंशदान दिया जायेगा	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
९६	२२	श्री नौशीर भरूचा .	गणतन्त्र दिवस पर घेरों तथा बैठने के स्थानों का प्रबन्ध करने में अस्त व्यस्त जिसके फलस्वरूप आमंत्रितों पर मारपीट	१००
९७	२३	श्री नौशीर भरूचा	अच्छी किस्म के कागज को प्राप्त करने में असफलता	१००
९७	२४	श्री आसर .	महाराष्ट्र राज्य में कुछ केन्द्रीय कार्यालयों को काफी मात्रा में स्टेशनरी के संभरण में असफलता	१००
१०६	२५	श्री नौशीर भरूचा	मूल आरगेनिक रासायनिकों तथा मध्यस्थ रासायनिकों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं के बनाने की आवश्यकता में जल्दी	१००
११९	२६	श्री ले० अचौ० सिंह .	भारत में खाद्यान्न की कमी	१००
११९	२८	श्री आसर	देश में चावल तथा गेहूं की काफी मात्रा प्राप्त करने में असफलता	१००
११९	२९	श्री आसर .	देश में अधिक खाद्यान्न उत्पादन न कर के आयातित खाद्यान्न को रोकने में असफलता	१००
१	३०	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	यात्रा भत्तों पर अधिक व्यय	१००
२१	३१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	संवाददाताओं के दल पर अधिक व्यय	१००
४९	३२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुलिस पर अधिक व्यय	१००
५०	३३	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	सरायकेला और खरसावां राज्यों में जनगणना करने के लिये उड़िया भाषा में फार्मों का संभरण न करना	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
५०	३४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	सरायकेला और खारसावां राज्यों में उड़िया भाषा जनता के हितों की रक्षा करने के लिये जनगणना करने के हेतु उड़िया भाषी गणकों की नियुक्ति न करना	१००
११९	३६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	खाद्यान्नों का अत्याधिक आयात	१००
१५	३७	श्री अरविन्द घोषाल .	भारतीय भाषाओं में मूल तथा चालू वैज्ञानिक एवं प्रविधिक शब्दावली को रखने की आवश्यकता	१००
३२	३८	श्री अरविन्द घोषाल .	भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय विनियोजन केन्द्रों की प्रतिक्रिया	१००
४९	३९	श्री अरविन्द घोषाल .	आसाम सरकार द्वारा अन्य राज्यों के पुलिस बल का प्रयोग	१००
९२	४०	श्री अरविन्द घोषाल	त्रुटिपूर्ण राष्ट्रीय राजपथ	१००
२४	४१	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	गंगा बांध परियोजना पर काम शुरू करने में असाधारण देरी	१००
७०-क	४२	श्री तंगामणि .	हिन्दू धर्मस्व आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी	१००
८२	४३	श्री तंगामणि	इस्पात तथा पुनर्बेलन आयात तथा उत्पादकों की सहायता में वृद्धि	१००
९५	४४	श्री तंगामणि .	इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट, लंदन का कार्य	१००
९७	४५	श्री तंगामणि .	विभिन्न मंत्रालयों तथा डाक तथा तार विभाग में आर० एम० एस० को स्टेशनरी के सम्भरण की अपर्याप्तता	१००

†**अध्यक्ष महोदय :** अब ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१/५ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

[गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१
४ फाल्गुन, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	७७१–९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२५१	भूमिहीन श्रमिक	७७१
२६३	भूमिहीन श्रमिक	७७२–७४
२५२	राजनयिक प्रतिनिधियों का वापस भेजा जाना . .	७७४–७७
२५३	उर्वरक संयंत्र	७७७
२५४	लौह अयस्क का निर्यात	७७७–७९
२५५	राज्य व्यापार निगम	७८०–८३
२५६	संयुक्त राज्य अमेरिका को हथकरघा वस्त्र का निर्यात .	७८४–८६
२५७	संयुक्त राष्ट्र सचिवालय	७८६–८९
२५८	कांगो में संयुक्त समझौता आयोग .	७९०–९१
२५९	ग्रामीण जनशक्ति	७९१–९२
२६८	कांगो	७९३–९४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	. . .	
१	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना .	७९४–९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	.	६९७–८३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६०	दलाई लामा के लिए विदेशी मुद्रा	७९७
२६१	उर्वरक संयंत्र	७९७–९८
२६२	उड़ीसा में अल्युमिनियम संयंत्र	७९८
२६४	फ्रांस में भारतीय राजदूतावास	७९८

	विषय	पृष्ठ
२६५	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . . .	७९८–९९
२६६	बंगलौर में घड़ी का कारखाना	७९९
२६७	दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन का शिक्षा सम्मेलन . .	७९९–८००
२६९	रेशम कीट पालन उद्योग . . .	८००–०१
२७०	विदेशों में प्रदर्शन कक्ष	८०१
२७१	अलौह धातुएं	८०१
२७२	मूल्य नीति	८०२
२७३	जूट मिलें	८०२–०३
२७४	जहाजों के डीजल इंजनों का निर्माण . . .	८०३
२७५	खेल कूद के सामान का निर्यात . . .	८०३
२७६	नगरीय अचल सम्पत्ति	८०४
२७७	न्यू जेमहैरी खास कोयला खान	८०४
२७८	दण्डकारण्य में कृषि योग्य बनाई गई भूमि . . .	८०४–०५
२७९	फ्रांस द्वारा अणुबम का विस्फोट	८०५
२८०	आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में उर्वरक संयंत्र .	८०५–०६

अतारांकित प्रश्न संख्या

४१६	कहवा बागान	८०६
४१७	जम्मू तथा काश्मीर राज्य को तांबे का वार्षिक आवंटन .	८०६
४१८	जम्मू तथा काश्मीर में रेशम कीट पालन का विकास	८०७
४१९	पंजाब में ग्राम आवास योजना . . .	८०७
४२०	पश्चिम बंगाल की लघु उद्योग सेवा संस्था में व्यापार .	८०७–०८
४२१	महाराष्ट्र में खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र . .	८०८
४२२	मनीपुर और त्रिपुरा में लोहे की चादरों आदि का वितरण	८०८–०९
४२३	हाथ से बनाये गये कागज का आयात . .	८०९–१०
४२४	महाराष्ट्र में रेशम उद्योग . .	८१०
४२५	महाराष्ट्र में बड़े पैमाने के उद्योग . . .	८१०
४२६	विदेशी सहयोग के करार . . .	८१०–११
४२७	पंजाब में चाय उद्योग का विकास . .	८११

पृष्ठ

४२८	टायरों का आयात	८११–१२
४२९	राजस्थान में उद्योग	८१२
४३०	राजस्थान में मध्यम आय और अल्प आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन सहायता	८१२
४३१	पंजाब तथा राजस्थान में अम्बर चर्खे का प्रचार . .	८१३
४३२	राजस्थान तथा पंजाब में खादी का उत्पादन . .	८१३
४३३	जम्मू में बम विस्फोट	८१४
४३४	उर्वरकों का निर्माण	८१४
४३५	हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड . .	८१५
४३६	बागान मजदूरों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय .	८१५
४३७	साड़ियों का निर्यात	८१५–१५
४३८	विदेशों में भारतीय राजदूत	८१६
४३९	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के भाषण तथा लेख . .	८१६
४४०	ऊन उद्योग का आधुनिकीकरण . . .	८१६–१७
४४१	सरेस का निर्माण	८१७
४४२	सरकारी प्राइवेट लिमिटेड समवायों का निदेशक बोर्ड . .	८१७
४४३	निर्यात	८१७–१८
४४४	जनता होटल, दिल्ली	८१८
४४५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रम पदाधिकारी . .	८१८
४४६	सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास . . .	८१८–१९
४४७	उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग . . .	८१९–२०
४४८	ईरान को पटसन के सामान का निर्यात . . .	८२०
४४९	क्यामाइट अयस्क	८२०–२१
४५०	भूमिहीन श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय . . .	८२१
४५१	मग लैम्प	८२१–२२
४५२	निर्यात	८२२
४५३	संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय प्रतिनिधिमंडल . .	८२२–२३
४५४	केन्द्रीय सरकार के अफसरों के लिये आवास . .	८२३
४५५	आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत का प्रसारण . .	८२४

पृष्ठ

४५६	राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निगम . .	८२४
४५७	फरीदाबाद का प्रशासन	८२४–२५
४५८	अखबारी कागज का दुरुपयोग	८२५
४५९	बान में भारतीय राजदूतावास	८२५
४६०	सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाले काश्मीर के समाचार-पत्र .	८२५
४६१	नंगल बांध पर भारी विद्युत् कारखाना . . .	८२६
४६२	इंग्लैण्ड में बसों के सिख कंडक्टर . . .	८२६
४६३	मोटर कारों का निर्माण	८२७–२८
४६४	राजघाट पर क्वार्टर	८२८
४६५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से जल संभरण शुल्क की वसूली	८२८–२९
४६६	सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध	८२९
४६७	आसनसोल में श्रमिक शिक्षा केन्द्र .	८२९
४६८	इंजीनियर और टेक्निशियन	८३०
४६९	मजूरी अदायगी अधिनियम	८३०–३१
४७०	नई दिल्ली नगर पालिका को स्थानान्तरित कर्मचारी	८३१–३२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ८३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८३३

(१) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १६३ में प्रकाशित रबड़ (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३१ में प्रकाशित खान (संशोधन) नियम, १९६० ।

(दो) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८ में प्रकाशित खान पालना (संशोधन) नियम, १९६१ ।

रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका . . . ८३३

श्री सरजू पांडेय ने गाजीपुर के निकट गंगा नदी पर रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में ४८ याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश की ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव . . . ८३३—६१

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वादविवाद का उत्तर दिया—प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . . . ८६१—६८

आय व्ययक सामान्य, १९६०-६१ के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २४ फरवरी/५ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावली

आय व्ययक सामान्य, १९६०-६१ के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—2019 (Ai) LSD—21-3-61—125.